केन्द्रीय रेकॉर्डकीपिंग एजेंसी, एनएसडीएल

अभिदाता अंशदान अपलोड

के लिए

मानक परिचालन प्रकिया

राज्य सरकार

वर्सन 1.0

आमुख

भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के जरिए परिनिर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को प्रतिस्थापित करते हुए नई पेंशन पद्धति (एनपीएस) नामक एक नई परिनिर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम शुरू की है, नई पेंशन पद्धति 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुई और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले केन्द्र सरकार के सभी नई भर्ती कर्मचारियों, सशस्त्र बल को छोड़कर, के लिए लागू है. केन्द्रीय स्वायत्त संगठनों, राज्य सरकारों / संघराज्य क्षेत्रों और संबंधित राज्य सरकार / संघराज्य क्षेत्र के स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी भी नई पेंशन पद्धति में शामिल होने के लिए पात्र हैं. नई पेंशन पद्धति में शामिल होने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन पद्धति में अभिदाता के रूप में जाना जाएगा. भविष्य में, भारत सरकार नई पेंशन पद्धति में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक अभिदाताओं को अनुमति देने का निर्णय ले सकती है.

भारत सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत पेंशन निधियों को विकसित तथा नियंत्रित करने के लिए 10 अक्तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की. पीएफआरडीए ने अंशदान और कर्मचारियों के लिए विभिन्न पेंशन निधि योजनाओं में उसके निवेश का रेकॉर्ड रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को केन्द्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) नियुक्त किया है. एनएसडीएल ने इस प्रयोजन के लिए एक सीआरए प्रणाली स्थापित की है. अत: एनएसडीएल को इस दस्तावेज में सीआरए के रूप में उल्लिखित किया गया है.

सीआरए प्रणाली को इस्तेमाल (एक्सेस) करने के लिए नोडल कार्यालयों तथा अभिदाताओं को सीआरए प्रणाली में फिर से पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण के बाद संस्थाओं को विशिष्ट पंजीकरण संख्या, यूजर आईडी तथा पासवर्ड आबंटित किया जाता है जिनका नोडल कार्यालयों तथा अभिदाताओं द्वारा एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है. पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए नोडल कार्यालय कृपया www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध 'नोडल कार्यालयों के लिए पंजीकरण तथा अभिदाता पंजीकरण' के बारे में मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) देखें. पंजीकरण के बाद अभिदाताओं को सीआरए द्वारा एक प्रैन आबंटित किया जाएगा जिसका प्रयोग सीआरए प्रणाली में अभिदाता अंशदान सूचना अपलोड करते समय नोडल कार्यालयों द्वारा किया जाएगा. सीआरए संरचना नीचे दर्शाये गये रूप में संक्षेप में दी गयी है:

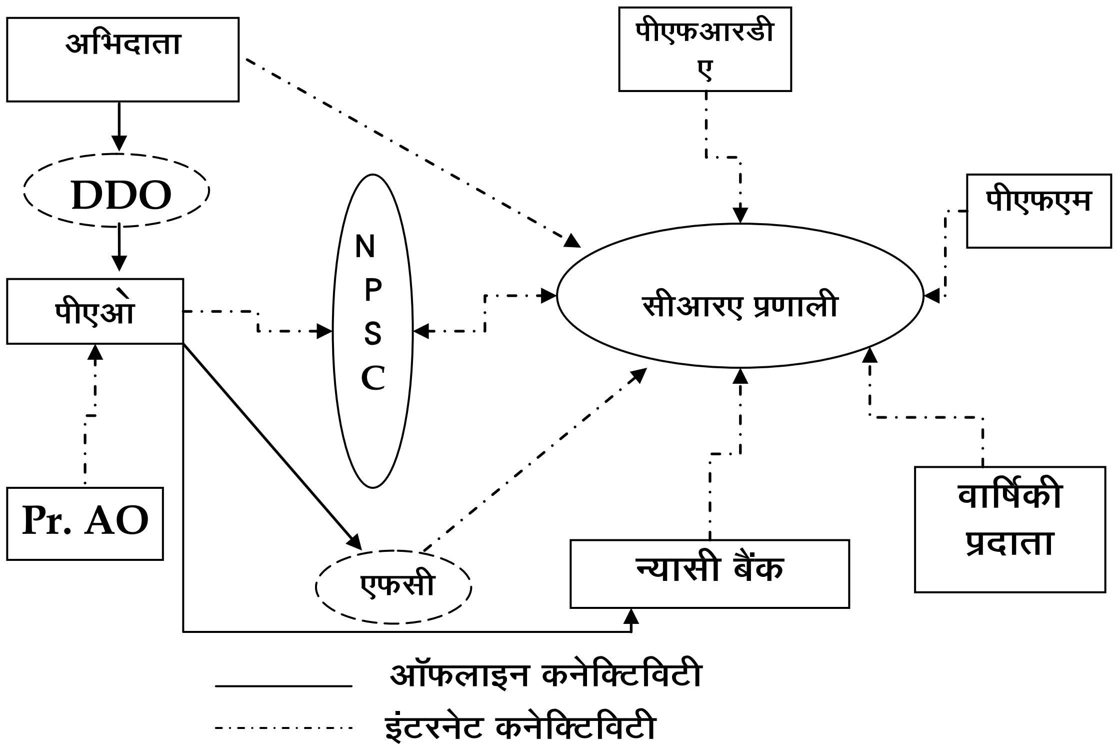

अभिदाता
पीएफआरडीए
DDO
NPSC
पीएफएम
पीएओ
सीआरए प्रणाली
Pr. AO
वार्षिकी प्रदाता
एफसी
न्यासी बैंक
ऑफलाइन कनेक्टिविटी
इंटरनेट कनेक्टिविटी

सीआरए संरचना

इस मैनुअल के बारे में

यह मैनुअल डीटीए / डीटीओ (अन्य लेखांकन संगठनों में इसी प्रकार की संस्थाएं) में कार्मिकों के लिए आशयित है जो एनपीएससीएएन में अभिदाता अंशदान सूचना अपलोड करते हैं. इस मैनुअल में एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली में अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) को तैयार तथा अपलोड करने में डीटीए / डीटीओ द्वारा अपनायी जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रिया दी गयी है. इस दस्तावेज में फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी (एफपीयू), फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) जैसे टूल्स के प्रयोग और एससीएफ तैयार करते समय तथा उसे एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली में अपलोड करते समय डीटीए / डीटीओ द्वारा अपनायी जाने वाली कार्यपद्धतियों और न्यासी बैंक में अंशदान निधियों के प्रेषण के बारे में भी जानकारी दी गयी है. डीटीए / डीटीओ कार्यालय में खरीदे / लगाये जाने वाले टूल्स, अपेक्षित न्यूनतम सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर और एफपीयू / एफवीयू जैसे संस्थापना टूल्स से जुड़ी विस्तृत प्रक्रिया इस दस्तावेज के अध्याय 2 में स्पष्ट की गयी है.

परिवर्णी शब्द तथा संक्षेपाक्षर

परिवर्णी शब्द	विवरण
सीआरए	केन्द्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
सीएसएफ	अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म
डीडीओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीटीए	राजकोष एवं लेखा निदेशालय
डीटीओ	जिला राजकोष कार्यालय
एफपीयू	फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी
एफआरसी	न्यासी बैंक द्वारा अपलोड की गयी निधि प्राप्ति पुष्टि फाइल
एफवीयू	फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी
आई-पिन	इंटरनेट वैयक्तिक पहचान संख्या
एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली
एनपीएस	नई पेंशन योजना
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
प्रैन	स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
एससीएफ	डीटीए /डीटीओ द्वारा अपलोड की गई अभिदाता अंशदान फाइल
एसटीओ	उप -राजकोष कार्यालय
टीबी	न्यासी बैंक

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	**विषय-वस्तु**	**पृष्ठ सं.**
	इस दस्तावेज में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद	
1	**प्रस्तावना**	
2	**नोडल कार्यालयों के लिए प्रणाली अपेक्षाएं**	
2.1	नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली का परिचालन करने के लिए पूर्वापेक्षाएं	
2.2	डीटीए / डीटीओ / एसटीओ डेस्कटॉप पर एफपीयू एवं एफवीयू इंस्टाल करने के लिए प्रक्रिया	
2.2.1	एफपीयू का संस्थापन	
2.2.2	एफवीयू का संस्थापन	
2.2.3	डाउनलोड एवं संस्थापन	
2.3	एफवीयू का उपयोग करना	
2.4	यूजर आईडी तथा आई-पिन का रखरखाव	
3	**अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करना**	
3.1	एफपीयू का प्रयोग करते हुए एससीएफ तैयार करना	
3.1.1	डीटीए / डीटीओ एवं अंशदान फाइल विवरण	
3.1.2	अभिदाता विवरण	
3.1.3	अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए जांच-सूची	
3.2	मध्यवर्ती फाइल तैयार करना	
3.3	अभिदाता अंशदान फाइल का सृजन	
4	**वैलिडेशन यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए एससीएफ का वैधीकरण**	
4.1	पाथ के साथ इनपुट फाइल का नाम	
4.2	त्रुटि / अपलोड एवं नियंत्रण पत्रक रिपोर्ट फाइल पाथ	
5	**एनपीएससीएएन में अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड करना**	
5.1	अपलोड की प्रक्रिया	
5.2	एससीएफ की अस्वीकृति	
5.3	एससीएफ के लिए एनपीएससीएएन का वैधीकरण	
5.4	वैधीकरण पश्चात् परिदृश्य	
6	**संशोधन फाइल**	
6.1	संशोधन फाइल तैयार करने तथा वैध बनाने की प्रक्रिया	
6.2	संशोधन फाइल अपलोड करने की प्रक्रिया	
7	**न्यासी बैंक को निधियों का अंतरण**	
7.1	न्यासी बैंक में अंशदान राशि जमा करना	
7.2	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से निधियों का अंतरण	
7.3	अंतरित अंशदान राशि की स्थिति का पता लगाना	
8	**अनुवर्ती महीनों के लिए फाइल तैयार करना**	
9	**कार्यकलापों का सारांश**	

इस दस्तावेज में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद

पद	स्पष्टीकरण
संशोधन फाइल	एक संशोधित फाइल जिसे डाटा में कुछ संशोधन के कारण मूल फाइल को प्रतिस्थापित करने के लिए अपलोड किया जाता है. संशोधन फाइल को तभी अपलोड किया जा सकता है जब मूल फाइल सीआरए द्वारा स्वीकार की गई हो और ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई हो.
डीडीओ	अभिदाता विवरण जैसे पंजीकरण, रखरखाव, अंशदान आदि प्राप्त करने और उसे आगे भेजने के लिए उत्तरदायी केन्द्र तथा राज्य सरकारों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डीटीओ	नई पेंशन पद्धति के अंतर्गत शामिल अभिदाताओं के लिए अंशदान विवरण का रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकारों के अधीन जिला राजकोष कार्यालय अथवा संघराज्य क्षेत्रों/ स्वायत्तशासी निकायों के अंतर्गत इसी प्रकार के कार्यालय
फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन)	एससीएफ को अपलोड करने पर एनपीएससीएएन से उत्पन्न हुई संदर्भ संख्या. डीटीए / डीटीओ द्वारा फाइल की स्थिति जानने के लिए भावी संदर्भ के रूप में इस संख्या का प्रयोग किया जा सकता है.
एफपीयू	फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी - सीआरए द्वारा प्रदान की गई एक उपयोगिता सुविधा जो सीआरए के फाइल फॉर्मेटों के अनुसार एससीएफ तैयार करने में डीटीए / डीटीओ की सहायता करेगी.
एफवीयू	फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी - सीआरए द्वारा प्रदान की गई एक उपयोगिता सुविधा जो यह सत्यापन करेगी कि क्या फाइल सीआरए के फाइल फॉर्मेट के अनुसार तैयार की गई है.
आई-पिन	इंटरनेट के जरिए सीआरए / एनपीएससीएएन को लॉगइन करने के लिए अभिदाता को अधिप्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त आठ अंकीय वर्ण-अक्षर संख्या
मिलान तथा दर्ज करना	मिलान एक प्रक्रिया है जिसमें डीटीए / डीटीओ द्वारा अपलोड की गई अभिदाता अंशदान फाइल का न्यासी बैंक द्वारा अपलोड की गई निधि प्राप्ति पुष्टि फाइल (डीटीए / डीटीओ-वार) के साथ मिलान किया जाएगा. यदि रेकॉर्ड मेल खाते हैं तो योजना-वार अंशदान राशि की गणना की जाएगी और उसे दर्ज किया जाएगा.
मूल फाइल	एनपीएससीएएन में अपलोड करने के लिए डीटीए / डीटीओ द्वारा तैयार की गई महीने के लिए कोई नई एससीएफ
प्रैन	सीआरए पद्धति में पंजीकृत प्रत्येक अभिदाता को सीआरए द्वारा आबंटित 12 अंकों की अनूठी स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा

	संख्या
निपटान	यह एक पूर्व-निर्धारित समय के दौरान सीआरए द्वारा रन की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें सभी अभिदाताओं की ओर से प्राप्त अंशदान, परिवर्तन या आरहण अनुरोधों को संसाधित किया जाएगा और अभिदाता-वार, योजना-वार यूनिट अनुरोध के प्रकार के अनुसार उत्पन्न किये जाएंगे / मोचित किये जाएंगे.
अभिदाता	अभिदाता का अर्थ राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय का कर्मचारी है जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुआ है और नई पेंशन पद्धति का हिस्सा है और सीआरए प्रणाली में पंजीकृत है.
अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ)	सीआरए प्रणाली में डीटीए / डीडीओ द्वारा अपलोड किये गये अभिदाता के मासिक अंशदान के बारे में विवरण
टी	टी शब्द से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन संव्यवहार किया जाता है.
टी-1, टी-2 आदि	संव्यवहार दिन टी से पूर्व दिनों की संख्या (जैसाकि ऊपर वर्णित है). उदा. यदि संव्यवहार 26.04.2007 को होता है तो टी=26.04.2007, टी-1 = 26.04.2007 तथा टी-2= 26.04.2007)
ट्रांजैक्शन आईडी	सीआरए द्वारा एससीएफ की सफलतापूर्वक स्वीकृति के पर सीआरए प्रणाली द्वारा उत्पन्न विशिष्ट आईडी
प्रयोक्ता	इस दस्तावेज में जहां भी प्रयोक्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, वह डीटीए तथा डीटीओ दोनों को सूचित करता है.

1. प्रस्तावना

नई पेंशन पद्धति के अंतर्गत, अभिदाताओं का मासिक पेंशन अंशदान अभिदाताओं की योजना प्रसन्द के अनुसार पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त विभिन्न निधि प्रबंधकों की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जाएगा. इस प्रयोजन के लिए, सीआरए प्रणाली में पंजीकृत अभिदाताओं का मासिक अंशदान विवरण (राज्य सरकार के अनुरूपी अंशदान सहित) एनपीएससीएएन (www.npscan-cra.co.in) में अपलोड किया जाएगा और अंशदान राशि न्यासी बैंक में जमा की जाएगी. डीटीए / डीटीओ अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) तैयार करेंगे और सीआरए द्वारा आबंटित यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करते हुए उसे एनपीएससीएएन में अपलोड करेंगे. हरेक कर्मचारी के अंशदान का रेकॉर्ड स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा नामक एक लेखे में रखा जाएगा. इस लेखे को स्थाई सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (प्रैन) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा.

एससीएफ में डीडीओ पंजीकरण संख्या जिससे अभिदाता सम्बद्ध है, अभिदाता का प्रैन, अंशदान माह, अभिदाता के अंशदान की राशि, सरकारी अंशदान की राशि आदि जैसे विवरण निहित होंगे. प्रत्येक निपटान दिवस को सीआरए एक पूर्व निर्धारित समय पर निपटान प्रक्रिया को रन करेगा. निपटान प्रक्रिया के दौरान, सीआरए प्रणाली सभी अभिदाताओं की ओर से प्राप्त अंशदान, परिवर्तन तथा आहरण अनुरोधों को संसाधित करेगा और अभिदाता-वार, योजना-वार यूनिट उत्पन्न करेगा.

1.1 **अंशदान अपलोड का मॉडल**

अंशदान अपलोड की प्रक्रिया शुरू करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के लिए पूर्व-आवश्यकता मासिक अंशदान अपलोड मॉडल का चयन करना है जिसे वे अपनाना चाहती हैं. राज्य सरकार उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित मॉडलों में से कोई एक मॉडल अपना सकती हैं.

1. **केन्द्रीकृत मॉडल** : इस मॉडल में, डीटीए प्रधान लेखा कार्यालय -सह-वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) के रूप में कार्य करेंगे तथा डीटीओ सीआरए पद्धति में डीडीओ के रूप में कार्य करेंगे जिसके द्वारा डीटीए डीटीओ-वार मासिक अंशदान फाइल (एससीएफ) अपलोड करेगा तथा न्यासी बैंक को समेकित निधि अंतरण करेगा. नीचे दिये गये चित्र में, स्पष्टता के लिए क्रम संख्या डालें.

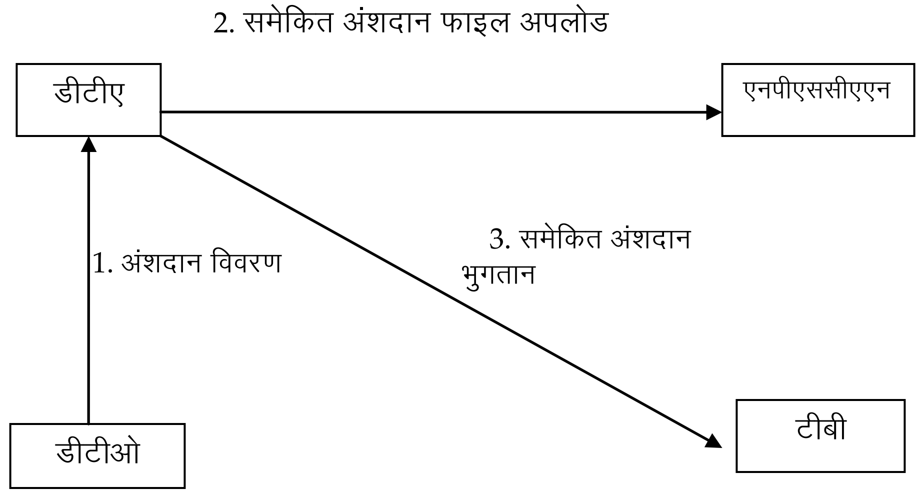

2. **विकेन्द्रीकृत मॉडल** : इस मॉडल में, डीटीए प्रधान लेखा कार्यालय के रूप में कार्य करेंगे तथा डीटीओ वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीओए) के रूप में कार्य करेंगे जिसके द्वारा मासिक सीएएफ अपलोड करने तथा न्यासी बैंक को निधि अंतरण करने का कार्य डीटीओ द्वारा किया जाएगा. यह मॉडल केन्द्र सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाये जाने वाले अंशदान अपलोड मॉडल के समान होगा.

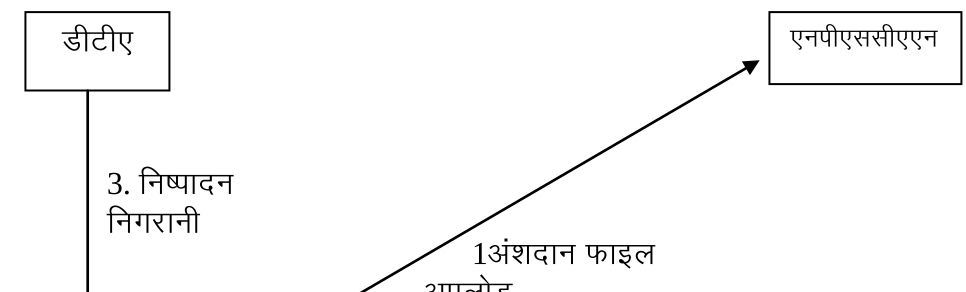

3. **अर्ध केन्द्रीकृत :** इस मॉडल में हरेक डीटीओ अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय एनपीएससीएएन प्रणाली में अपलोड करेगा. तथापि, डीटीए सभी डीटीओ की ओर से बैंक को एक समेकित भुगतान करेगा. यहां सुपर ट्रांजैक्शन आईडी की संकल्पना का प्रयोग किया जाएगा जिसे अभिदाता अंशदान अपलोड के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया में विस्तार से स्पष्ट किया गया है.

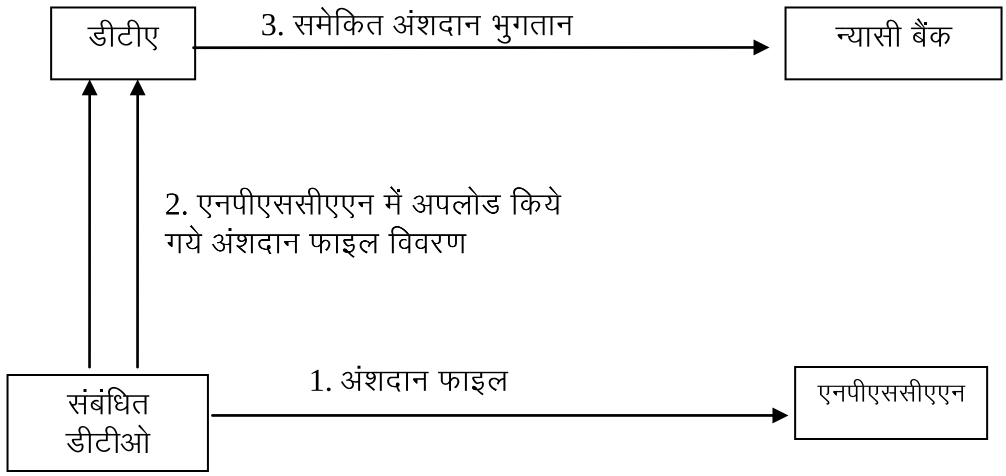

डीटीए / डीटीओ द्वारा अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) तैयार करने तथा उसे अपलोड करने के चरण

1. फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी (एफपीयू) का प्रयोग करते हुए एससीएफ तैयार करना
2. इस दस्तावेज के अध्याय 4 में वर्णित रूप में फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का प्रयोग करते हुए एससीएफ का वैधीकरण

इस दस्तावेज के अध्याय 5 में वर्णित रूप में डीटीए / डीटीओ को आबंटित आई-पिन का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन प्रणाली में एससीएफ को अपलोड करना.

2. नोडल कार्यालयों के लिए प्रणाली अपेक्षाएं

2.1 नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए पूर्वापेक्षाएं

1. नोडल कार्यालयों तथा अभिदाताओं का पंजीकरण (नोडल कार्यालयों तथा अभिदाताओं के पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.nsdl.co.in या www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध नोडल कार्यालयों तथा अभिदाताओं के पंजीकरण से संबंधित मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) देखें.)
2. डीटीए / डीटीओ को एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली से सम्बद्ध कार्यकलापों को शुरू करने तथा प्राधिकृत करने के लिए दो व्यक्तियों को निर्दिष्ट करना चाहिए.
3. डीटीए / डीटीओ में न्यूनतम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं स्थापित की जानी चाहिएं.

डीटीए / डीटीओ के पास एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं के रूप में निम्नलिखित सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर होने चाहिए.

सॉफ्टवेयर सुविधाएं (एफपीयू तथा एफवीयू की संस्थापना के लिए पूर्वापेक्षाएं)

सॉफ्टवेयर	न्यूनतम अपेक्षाएं
ब्राउजर	इंटरनेट एक्सप्लोरर 6.0 तथा इससे अधिक
जावा रन टाइम एन्वारनमेंट	जेआरई 1.5
परिचालन प्रणाली	विंडोज 2000 प्रोफेशनल / विंडोज एक्सपी

ऊपर तालिका में सूचित सॉफ्टवेयर सुविधा के साथ डीटीए / डीटीओ अपने डेस्कटॉप पर एफपीयू (फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी) तथा एफवीयू (फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी) इंस्टाल करेंगे जिनकी न्यूनतम हार्डवेयर अपेक्षाएं निम्नलिखित तालिका में दी गयी हैं :

हार्डवेयर सुविधाएं (पूर्वापेक्षाएं)

हार्डवेयर	न्यूनतम अपेक्षा
प्रोसेसर	इंटेल पेंटियम पी III / सेलरॉन (333 एमएचजेड या उच्चतर सीपीयू)
मेमरी	न्यूनतम 256 एमबी रैम

2.2 डीटीए / डीटीओ डेस्कटॉप पर एफपीयू एवं एफवीयू इंस्टाल करने की प्रक्रिया

अभिदाताओं के पेंशन अंशदान ब्यौरे के डिजिटाइजेशन तथा समेकन को सुगम बनाने के लिए सीआरए ने फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी (एफपीयू) नामक एक उपयोगिता विकसित की है. यह एक जावा आधारित उपयोगिता है जिसे डेस्कटॉप मशीन पर आसानी से इंस्टाल किया जा सकता है.

अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड

डीटीए / डीटीओ सीआरए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in से एफपीयू को नि:शुल्क रूप से डाउनलोड कर सकते हैं. तथापि डीटीए / डीटीओ यह अनिवार्य नहीं है कि सीआरए द्वारा प्रदान किये गये एफपीयू का प्रयोग करें. डीटीए / डीटीओ विकल्पत: एफपीयू के फाइल फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं और फाइल सृजित करने के लिए अपने स्वयं के बैक ऑफिस में एक यूटिलिटी बना सकते हैं. यदि डीटीए / डीटीओ फाइल तैयार करने के लिए अपने स्वयं के बैक ऑफिस का प्रयोग करना चाहते हैं तो उन्हें एफपीयू के लिए फाइल फॉर्मेट देखना चाहिए जो सीआरए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है.

2.2.1 एफपीयू का संस्थापन

i) डीटीए / डीटीओ यूजर सीआरए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in को ऐक्सेस करेगा और एफपीयू को डाउनलोड करेगा तथा उसे स्थानीय मशीन पर सेव करेगा.

ii) डाउनलोड करने के बाद, जिस फोल्डर में एफपीयू को सेव किया गया है, उस फोल्डर को नैविगेट करने पर ".JAR" विस्तार के साथ एक फाइल डीटीए / डीटीओ यूजर को प्रदर्शित की जाएगी.

iii) स्थानीय मशीन में सेव किये गये एफपीयू को खोलने के लिए यूजर को "FPU.JAR" फाइल पर दो बार क्लिक करना होगा.

iv) यह आवश्यक है कि डीटीए / डीटीओ यूजर उस मशीन में जावा 1.5 (J2SE 1.5) इंस्टाल करे जहां एफपीयू इंस्टाल किया जाना है. यदि जावा का यह विशिष्ट वर्सन इस मशीन में इंस्टाल नहीं किया गया है तो एफपीयू क्रियाशील नहीं होगा. एफपीयू को रन करने के लिए यही जावा वर्सन चाहिए. यदि अपलोड करने वाले कार्यालय ने अपने मशीन में जावा इंस्टाल नहीं किया है तो वे www.jawa.com से इसे नि:शुल्क डाउनलोड कर सकते हैं. इसे डाउनलोड करने के लिए लिंक http://java.com/en/download/index.jsp. है.

v) यदि J2SE वर्सन 1.5 इंस्टाल नहीं किया गया है तो प्रणाली चित्र 1 में दर्शाये गये रूप में आवेदन की सहायता से फाइल खोलने के लिए यूजर को प्रेरित

करेगा. यदि J2SE वर्सन 1.5 मशीन में इंस्टाल नहीं किया गया है तो यूजर "FPU.JAR" फाइल नहीं खोल सकेगा. इसे नीचे दर्शाया गया है.

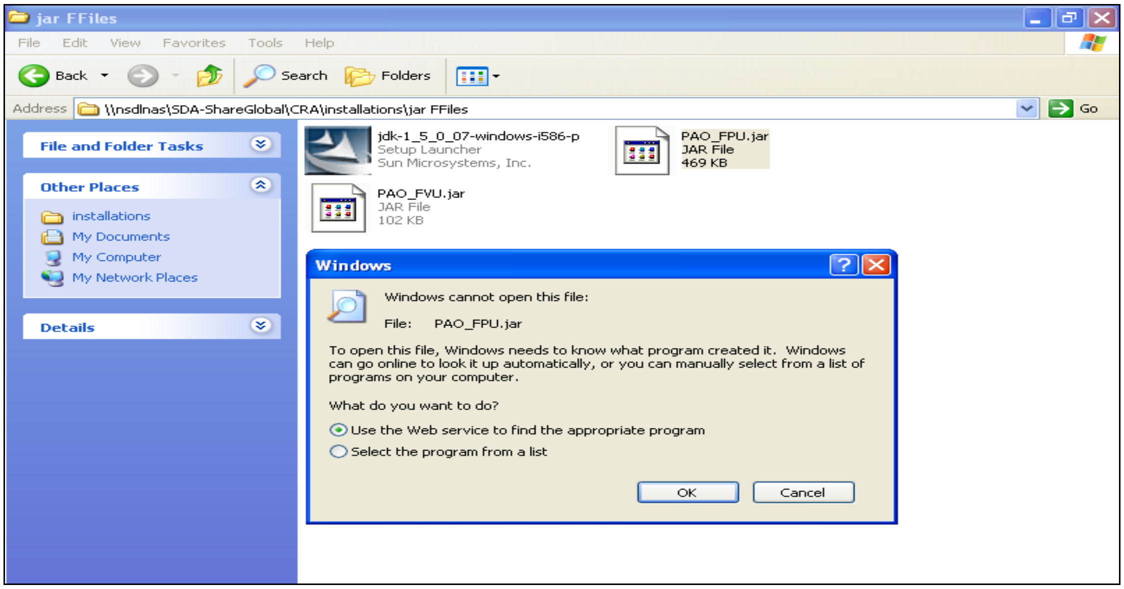

चित्र 1

1) यदि J2SE का उपयुक्त वर्सन इंस्टाल किया गया है तो 'एफपीयू' नीचे दर्शाये गये रूप में दिखाई देगा:

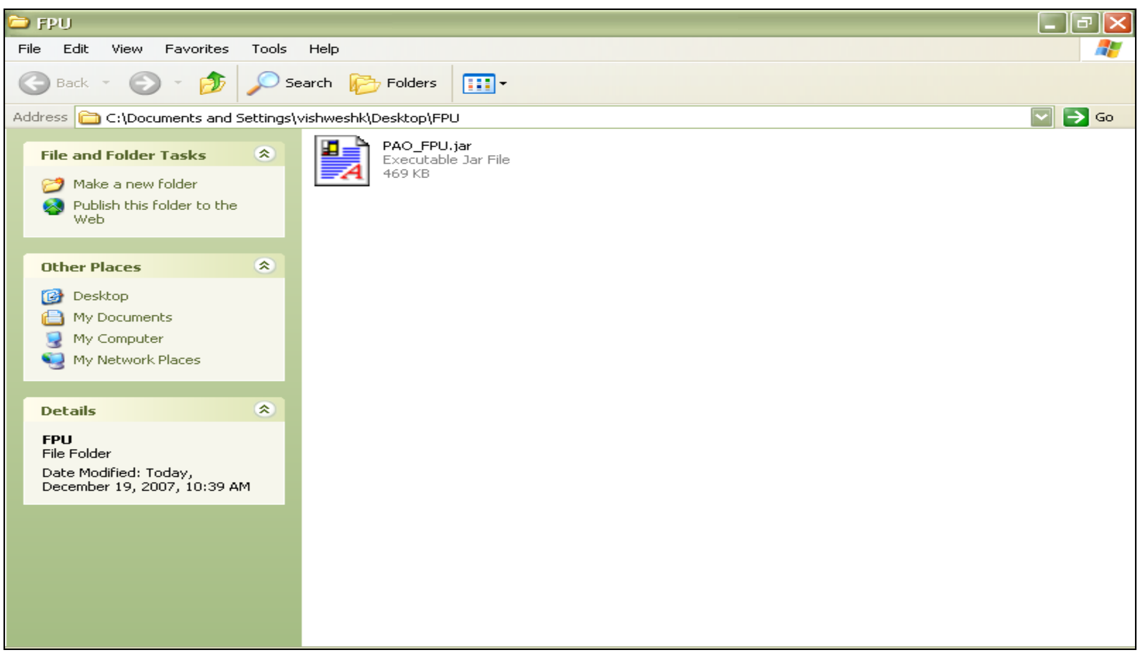

चित्र 2

2) एफपीयू के सफलतापूर्वक डाउनलोड तथा संस्थापन के बाद डीटीए / डीटीओ अभिदाता अंशदान फाइल के सृजन के प्रयोजनार्थ एफपीयू का प्रयोग कर सकेंगे. फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी का प्रयोग करने में सहायता के लिए यूजर फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी के 'Help menu' में दिये गये अनुदेशों को पढ़ सकते हैं.

2.2.2. एफवीयू का संस्थापन

एफवीयू सीआरए द्वारा विकसित एक जावा आधारित यूटिलिटी है जो यह सुनिश्चित करता है कि डीटीए / डीटीओ द्वारा तैयार की गई एससीएफ सीआरए के फाइल फॉर्मेट के अनुरूप है. डीटीए / डीटीओ सीआरए की वेबसाइट.www.nspcra.nsdl.co.in से एफवीयू को नि:शुल्क रूप से डाउनलोड कर सकते हैं. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि एफवीयू के अद्यतन वर्सन का प्रयोग किया जा रहा है. डीटीए / डीटीओ सीआरए की वेबसाइट से एफवीयू का अद्यतन वर्सन प्राप्त कर सकते हैं. एफवीयू को किसी भी विंडोज पीसी में डाला जा सकता है. एफवीयू के संस्थापन के संबंध में न्यूनतम विन्यास एफपीयू के लिए आवश्यक विन्यासों के समान हैं.

2.3. एफवीयू का प्रयोग करना

1) एफवीयू J2SE वर्सन 1.5. के संस्थापन की अपेक्षा करता है. यदि J2SE वर्सन 1 मशीन में इंस्टाल नहीं किया गया है तो यूजन "FVU.JAR" फाइल नहीं खोल पाएगा. यह अनुप्रयोग डीटीए / डीटीओ को नीचे दर्शाये गये रूप में दिखाई देगा:

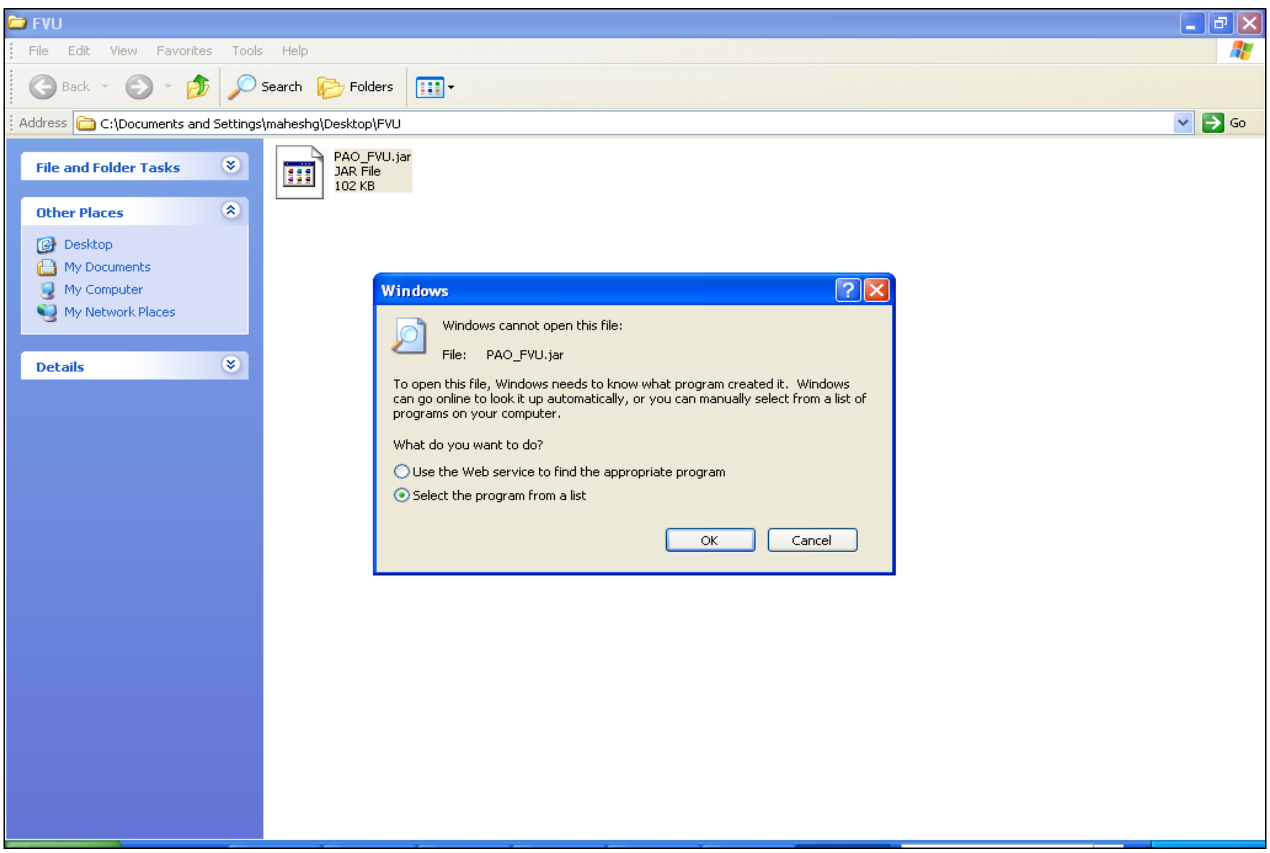

चित्र 3

2) "FVU.Jar" फाइल पर क्लिक करने पर एफवीयू नीचे दर्शाये गये रूप में दिखायी देगी:

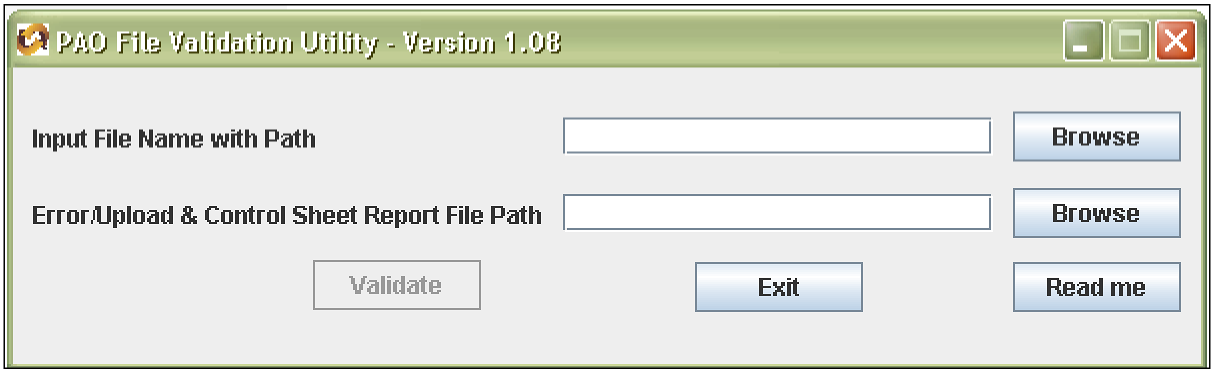

चित्र 4

2.4 यूजर आईडी तथा आई-पिन का रखरखाव

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन पर सीआरए एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए यूजर आईडी तथा आई-पिन (पासवर्ड) का दो सेट आबंटित करेगा. डीटीए / डीडीओ दो अधिकारियों की पहचान करेगा जिसमें से एक मेकर के रूप में और दूसरा 'प्राधिकृतकर्ता' यूजर के रूप में होगा. उन्हें यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिये जाने चाहिए. अधिकारियों को आई-पिन की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. पहली बार लॉगिंग करने के बाद डीटीए / डीटीओ यूजर को उन निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करना होगा जो एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं. निबंधनों एवं शर्तों की स्वीकृति के बाद डीटीए / डीटीओ यूजर को अपना पासवर्ड बदलने के लिए प्रेरित करेगा. डीटीए / डीटीओ को पासवर्ड के प्रबंध के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए:

- पासवर्ड न्यूनतम आठ अंकों तथा अधिकतम चौदह अंकों का होना चाहिए.
- पासवर्ड में यूजर आईडी नहीं होना चाहिए.
- पासवर्ड में खाली जगह नहीं होनी चाहिए.
- पासवर्ड में कम से कम एक संख्या तथा एक विशेष अक्षर होना चाहिए.
- पासवर्ड 60 दिन के बाद समाप्त हो जाएगा.
- पिछले 3 पासवर्डों में से कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए.

डीटीए / डीटीओ यूजर को पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए. पासवर्ड के चयन तथा प्रयोग में अच्छी सुरक्षा पद्धतियां निम्नलिखित हैं :

- यूजर पासवर्ड गोपनीय होने चाहिए. अपने पासवर्डों की गोपनीयता के लिए यूजर उत्तरदायी होते हैं. पासवर्ड किसी भी परिस्थिति में दूसरे को नहीं बताया जाना चाहिए.
- यूजर को डेस्क पर, मानिटर के पास, सीपीयू, कीपैड / कुंजी पटल के नीचे या किसी कागज पर पासवर्ड लिखकर उसे अपने मेज की दराज में नहीं रखना चाहिए.
- जब भी संभावित प्रणाली या पासवर्ड संकट का कोई संकेत हो, पासवर्ड बदल दिया जाना चाहिए.
- यूजर को अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए. यदि पासवर्ड बताने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे उपयुक्त अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए.
- यूजर को किसी व्यक्ति को मेल के जरिए पासवर्ड नहीं भेजना चाहिए.

पासवर्ड किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाना चाहिए. यदि वरिष्ठ अधिकारी को मूल यूजर की अनुपस्थिति में कार्य निष्पादित करने के लिए या मूल यूजर के स्थानांतरण पर किसी अन्य अधिकारी को लिफाफे खोलकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड देना पड़ता है तो पासवर्ड तुरंत बदल दिया जाना चाहिए.

सारांश

- **डीडीए / डीटीओ सीआरए के पास पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास एनपीएससीएएन प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए वैध यूजर आईडी तथा आई-पिन होने चाहिए.**
- **एससीएस को अपलोड करते समय डीडीए / डीटीओ को एनपीएससीएएन प्रणाली को ऐक्सेस करने के लिए सीआरए द्वारा उन्हें आबंटित यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करना चाहिए.**
- **डीडीए / डीटीओ को दो कार्मिक निर्दिष्ट करने चाहिए, एक यूजर आईडी के साथ मेकर कार्यकलाप के लिए एक कार्मिक और दूसरे यूजर आईडी के साथ प्राधिकर्ता कार्यकलाप के लिए दूसरा कार्मिक.**
- **फाइल प्रीपरेशन यूटिलिटी (एफपीयू) तथा फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) को सीआरए वेबसाइट** www.npscra.nsdl.co.in **से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है.**
- **डीडीए / डीटीओ सीआरए द्वारा प्रदत्त एफपीयू या अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए सीआरए फाइल फॉर्मेट के अनुसार अपने स्वयं के बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं. दोनों में से किसी भी मामले में , उत्पन्न हुई फाइल को एफवीयू से रन किया जाना चाहिए.**

- **जिस मशीन में एफपीयू तथा एफवीयू इंस्टाल किया गया है, उसमें जावा जेडीके एवं जेआरई वर्सन 1.5 होना चाहिए.**

3. अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करना

कदम निम्नलिखित आरेख में स्पष्ट किये गये हैं :

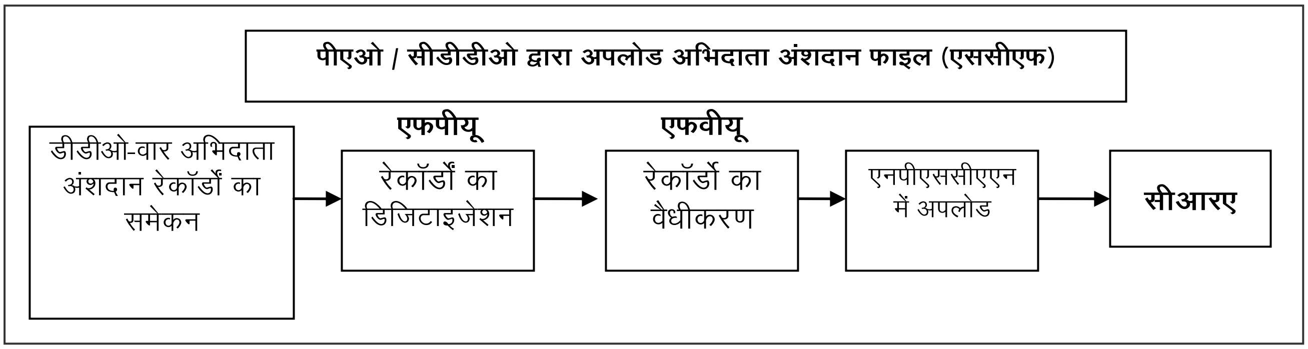

3.1 एफपीयू का प्रयोग करते हुए एससीएफ तैयार करना

एफपीयू तथा एफवीयू के संस्थापन की प्रक्रिया इस मैनुअल के अध्याय 2 में दी गयी है. संस्थापन के बाद डीटीए / डीटीओ अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप करेगा :

डीटीए / डीटीओ उससे सम्बद्ध विभिन्न डीडीओ के अभिदाता पेंशन अंशदानों के मासिक विवरण को समेकित करेंगे और एफपीयू के अद्यतन वर्सन का प्रयोग करते हुए रेकॉर्डों को डिजिटाइज करेंगे. डीटीए / डीटीओ उनसे सम्बद्ध कर्मचारियों के अभिदाता-वार अंशदान रेकॉर्डों को समेकित करेंगे. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि एफपीयू का अद्यतन वर्सन प्रयोग किया जा रहा है. डीटीए / डीटीओ सीआरए वेबसाइट अर्थात् www.npscra.nsdl.co.in से एफपीयू तथा एफवीयू में अद्यतन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं.

एफपीयू में दो पैनल होते हैं :

क) पीएओ तथा अंशदान फाइल विवरण पैनल : इस पैनल में, यूजर अंशदान फाइल का प्रकार, डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीटीए / डीटीओ का नाम तथा ट्रांजैक्शन आईडी (संशोधन फाइल अपलोड के मामले में) जैसे विवरण प्रविष्ट करेगा.

ख) अभिदाता विवरण पैनल: इस पैनल में यूजर अभिदाता के अंशदान विवरण जैसे अभिदाता प्रैन, अंशदान माह, अंशदान राशि आदि प्रविष्ट करेगा.

एफपीयू को निष्पादित करने पर यूटिलिटी अपलोडकर्ता कार्यालय को क्षेत्र अर्थात् सरकारी (केन्द्र /राज्य) क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र (पीओपी / पीओपी - एसपी) चुनने के लिए कहेगा.

राज्य सरकार में अपलोड करने वाली संस्था सरकारी (केन्द्र / राज्य) क्षेत्र के रूप में क्षेत्र प्रकार का चयन करेगी जैसाकि नीचे चित्र में दर्शाया गया है:

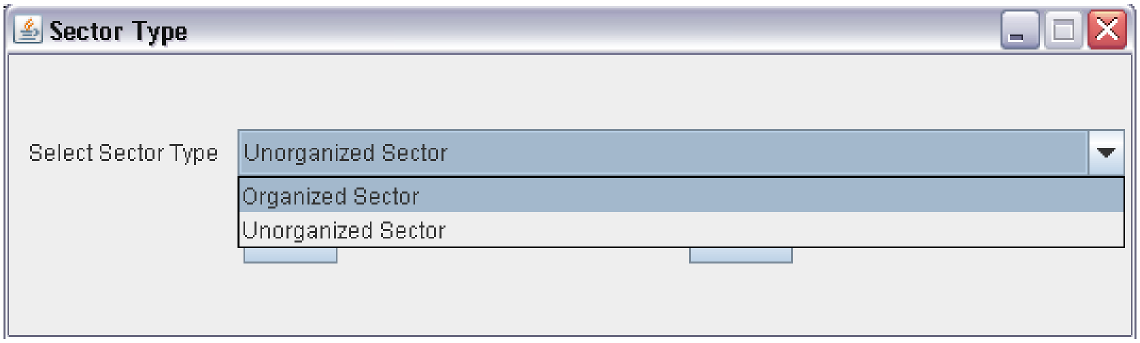

3. 1.1 पीओए तथा अंशदान फाइल विवरण :

यह पैनल डिफॉल्ट से खुलेगा जब डीटीए / डीटीओ FPU.JAR फाइल निष्पादित करेगा (या उस पर दो बार क्लिक करेगा). इस पैनल के ब्यौरे नीचे दर्शाये रूप में दिखाई देंगे:

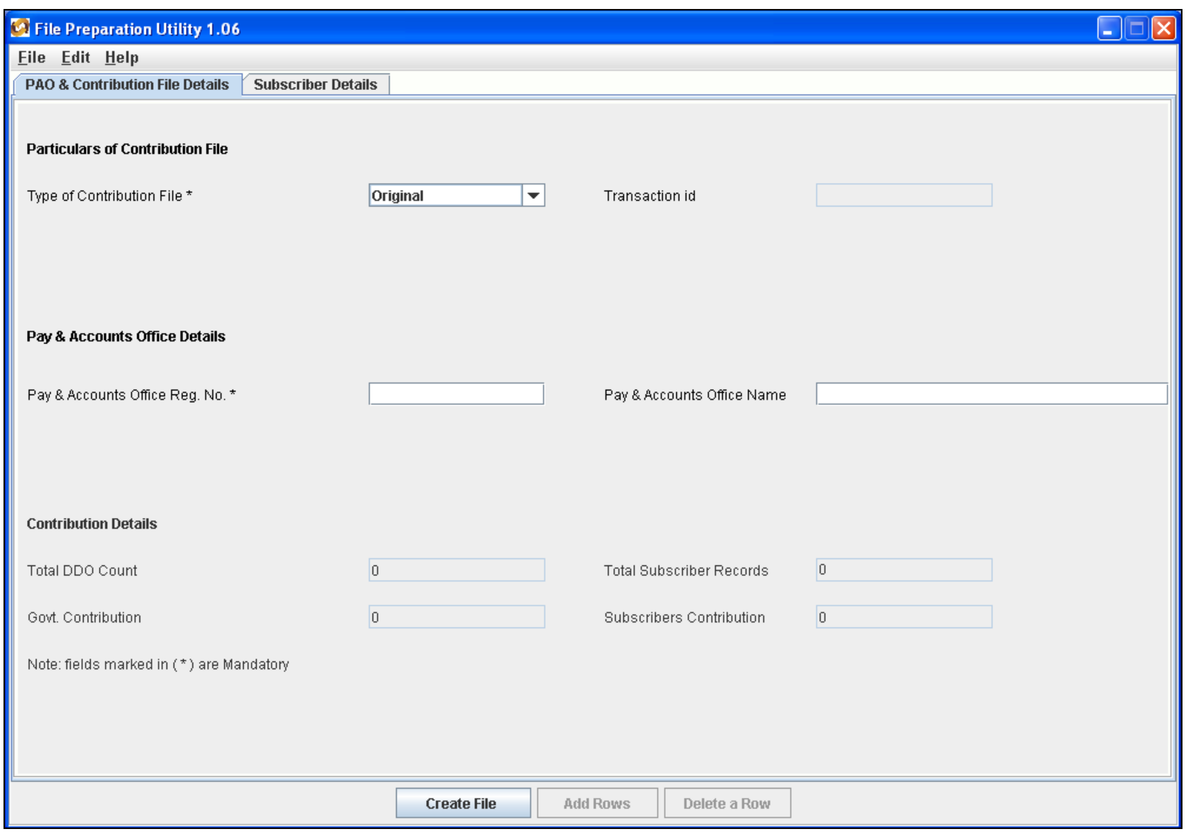

चित्र 5

यूजर को इस पैनल में निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे:

1. अंशदान फाइल का प्रकार (ओरिजिनल / करेक्शन) : जहां डीटीए / डीटीओ एनपीएससीएएन में अपलोड करने के लिए किसी महीने के लिए एक नई अभिदाता अंशदान फाइल तैयार कर रहा है, चुनी जाने वाली फाइल का प्रकार 'Original' होना चाहिए. यदि डीटीए / डीटीओ ऐसी एससीएफ में कोई सुधार करना चाहता है जिसे सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है और जिसके लिए सीआरए द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट किया गया है, फाइल प्रकार 'Correction' रूप में चुना जाना चाहिए. जहां फाइल का प्रकार Correction है, डीटीए / डीटीओ यूजर को मूल फाइल का ट्रांजैक्शन आईडी देना होगा.
2. ट्रांजैक्शन आईडी : जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां फाइल का प्रकार 'करेक्शन' है, यूजर को करेक्शन फाइल के लिए मूल फाइल का ट्रांजैक्शन आईडी देना होगा. यदि ट्रांजैक्शन आईडी नहीं दिया जाता है तो यूजर फाइल सृजित नहीं कर सकेगा. ट्रांजैक्शन आईडी एससीएफ के सफलतापूर्वक अपलोड के बाद एनपीएससीएएन द्वारा प्रदान की गई पावती संख्या है.
3. डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या : यूजर को सीआरए में सफलतापूर्वक पंजीकरण पर सीआरए द्वारा आबंटित डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या दर्ज करनी चाहिए.
4. डीटीए / डीटीओ का नाम : यह एक वैकल्पिक फील्ड है. यूजर इस फील्ड में डीटीए / डीटीओ का नाम दर्ज करेगा.
5. अंशदान का विवरण : अर्थात् डीडीओ काउंट, कुल अभिदान रेकॉर्ड, कंट्रोल टोटल (सरकारी), कंट्रोल टोटल (स्वयं) यूजर ने अभिदाता विवरण पैनल में जो एंटर किया है उसके आधार पर स्वत: दिखाई देगा.
6. '*' तारांकित फील्ड अनिवार्य फील्ड हैं.

1.1.2 अभिदाता का विवरण

एफपीयू के अभिदाता विवरण पैनल का दृश्य नीचे दर्शाया गया है :

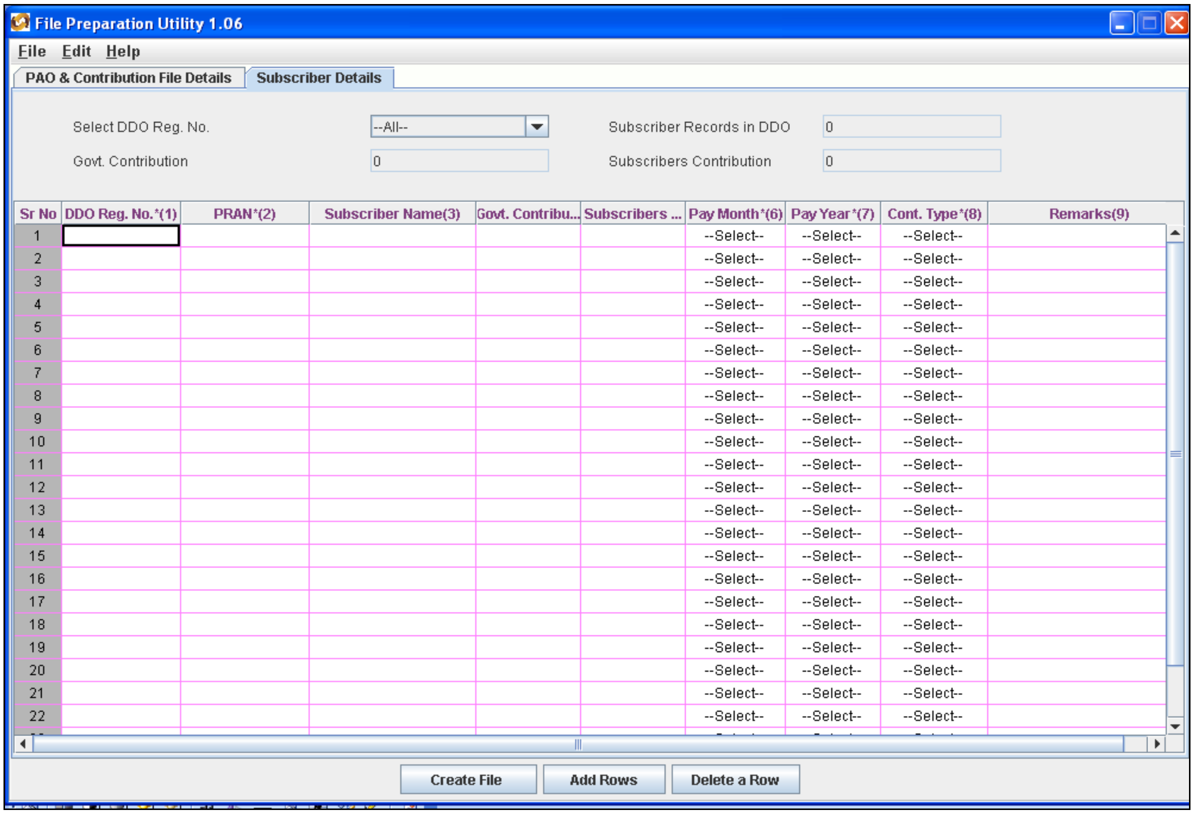

चित्र 6

यूजर को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :

1. डीडीओ पंजीरकरण संख्या : यूजर को सीआरए द्वारा आबंटित डीडीओ पंजीरकरण संख्या भरनी चाहिए.
2. प्रैन : यूजर को अभिदाता का प्रैन भरना चाहिए जिसके लिए अंशदान विवरण भरे जा रहे हैं.
3. अभिदाता का नाम : यूजर अभिदाता का नाम भर सकता है. यह एक ऐच्छिक फील्ड है.
4. सरकारी अंशदान : यूजर को सरकारी अंशदान राशि भरनी चाहिए. यदि अपलोड करने वाला कार्यालय अभिदाता अंशदान राशि भरता है तो यह फील्ड अभिदाता अंशदान खाने में भरी गई राशि से स्वत: भर जाएगा.
5. अभिदाता अंशदान : यह फील्ड अभिदाता अंशदान भरने के लिए है जिसे अभिदाता के वेतन में से काटा गया है. यदि सरकारी अंशदान राशि भरी जाती है तो यह फील्ड सरकारी अंशदान खाने में भरी गई राशि से स्वत: भर जाएगा.
6. वेतन माह : यूजर उपलब्ध ड्राप डाउन विकल्प से अंशदान का महीना चुन सकता है.
7. वेतन वर्ष : यूजर उपलब्ध ड्राप डाउन विकल्प से अंशदान का वर्ष चुन सकता है.
8. अंशदान का प्रकार : यूजर उपलब्ध ड्राप डाउन विकल्प से अंशदान का प्रकार अर्थात् नियमित या बकाया चुन सकता है.
9. टिप्पणियां : टिप्पणी कॉलम उसी समय अनिवार्य होता है जब फाइल का प्रकार बकाया फाइल है. डीटीए / डीटीओ यूजर बकाये से संबंधित अवधि भरेगा.

आंकड़े भरते समय, एफपीयू डीटीए / डीटीओ यूजर द्वारा भरे गये आंकड़ों का फॉर्मेट तथा संरचनात्मक स्तरीय वैधीकरण कार्य निष्पादित करेगा. किसे गये वैधीकरण के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिये गये हैं. यदि भरा गया आंकड़ा सीआरए के फाइल फॉर्मेट के अनुसार नहीं है तो एफपीयू यूजर को एक त्रुटि संदेश दिखायेगा. ऐसे त्रुटि संदेश का एक उदाहरण नीचे दिया गया है :

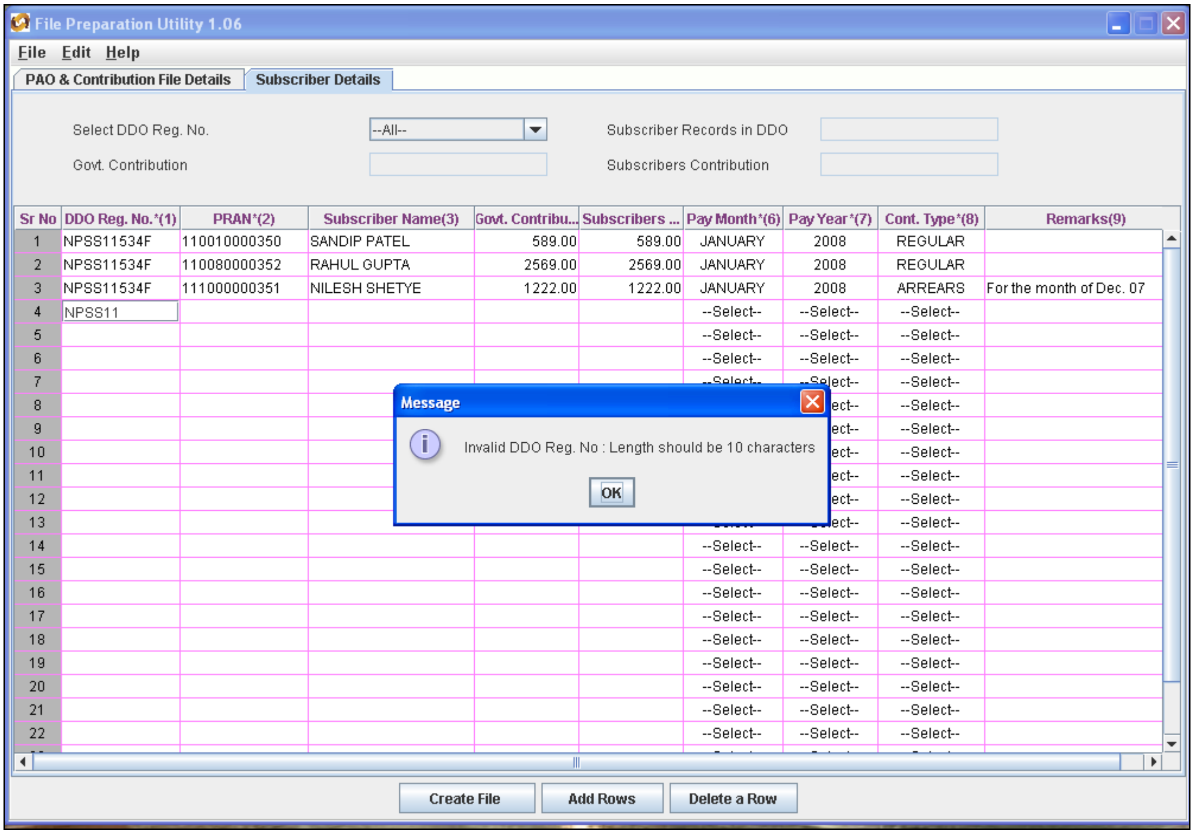

चित्र 7

डीटीए / डीटीओ अभिदाता के विवरण मैनुअल रूप से भर सकता है या ऐक्सेल शीट से डाटा कॉपी कर सकता है. ऐक्सेल शीट से डाटा पेस्ट करने के लिए , डीटीए / डीटीओ "Paste from Excel" विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं. इसे या तो Edit Menu में जाकर या "Paste from Excel" विकल्प का प्रयोग करके या उस खाने में माउस को दायीं ओर से क्लिक करके किया जा सकता है जिसमें आंकड़े रखे जाने हैं. अंतर्वस्तु निम्नलिखित रूप में दिखाई देगी :

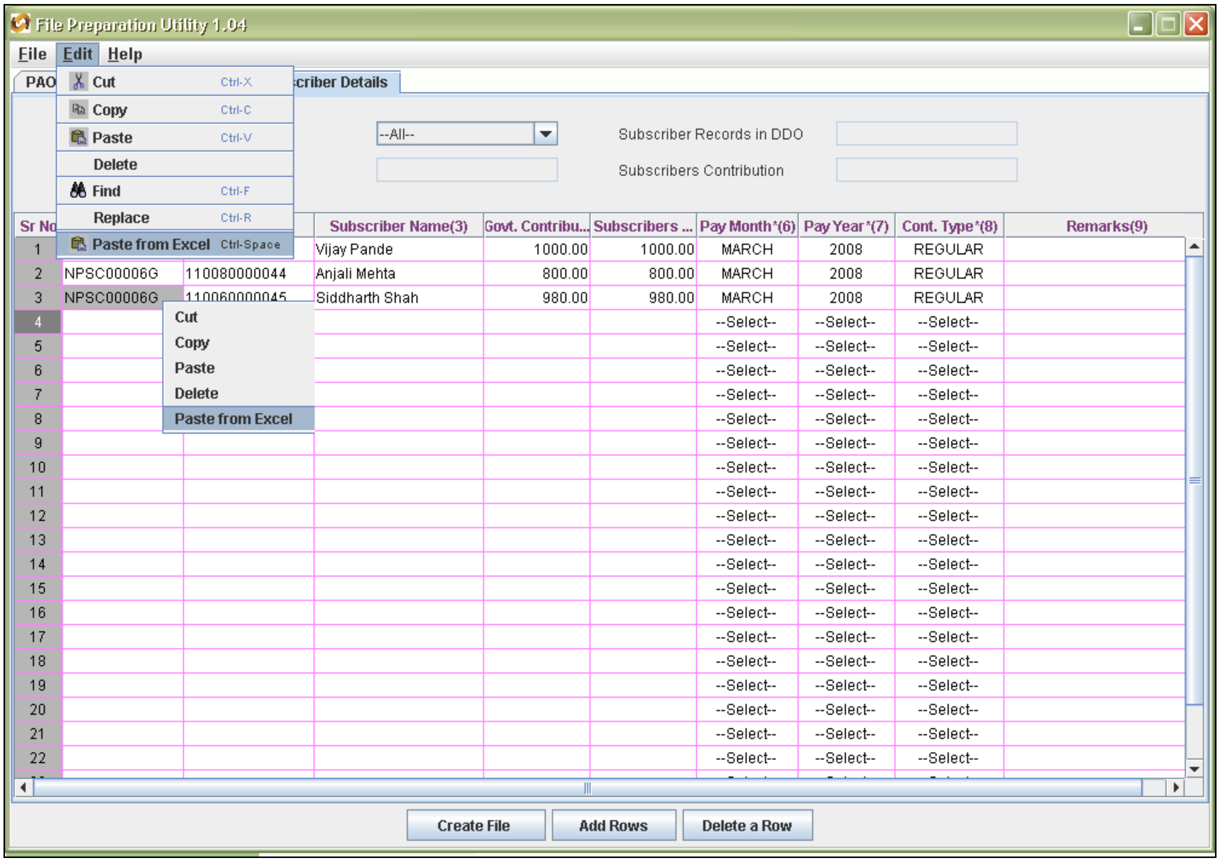

चित्र 8

डीटीए / डीटीओ यूजर स्क्रीन के नीचले भाग में दिये गये **Add Rows** तथा **Delete Row** को सिलेक्ट कर अपेक्षित पंक्तियों को जोड़ या हटा सकता है.

डीटीए / डीटीओ यूजर वांछित डीडीओ का चयन कर इस पैनल में दिये गये डीडीओ फिल्टर का प्रयोग करते हुए किसी विशिष्ट डीडीओ के लिए कुल सरकारी अंशदान तथा अभिदाता अंशदान राशियों को देख सकता है. इसका प्रयोग यह सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या डीडीओ -वार कुल राशियां सही हैं या नहीं. विवरण नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में होंगे. डीडीओ पंजीकरण संख्या NPSS11534F के लिए नीचे दिये गये आंकड़े में तीन अभिदाताओं के लिए सरकारी अंशदान तथा अभिदाता अंशदान का योग हेडर में दर्शाया गया है.

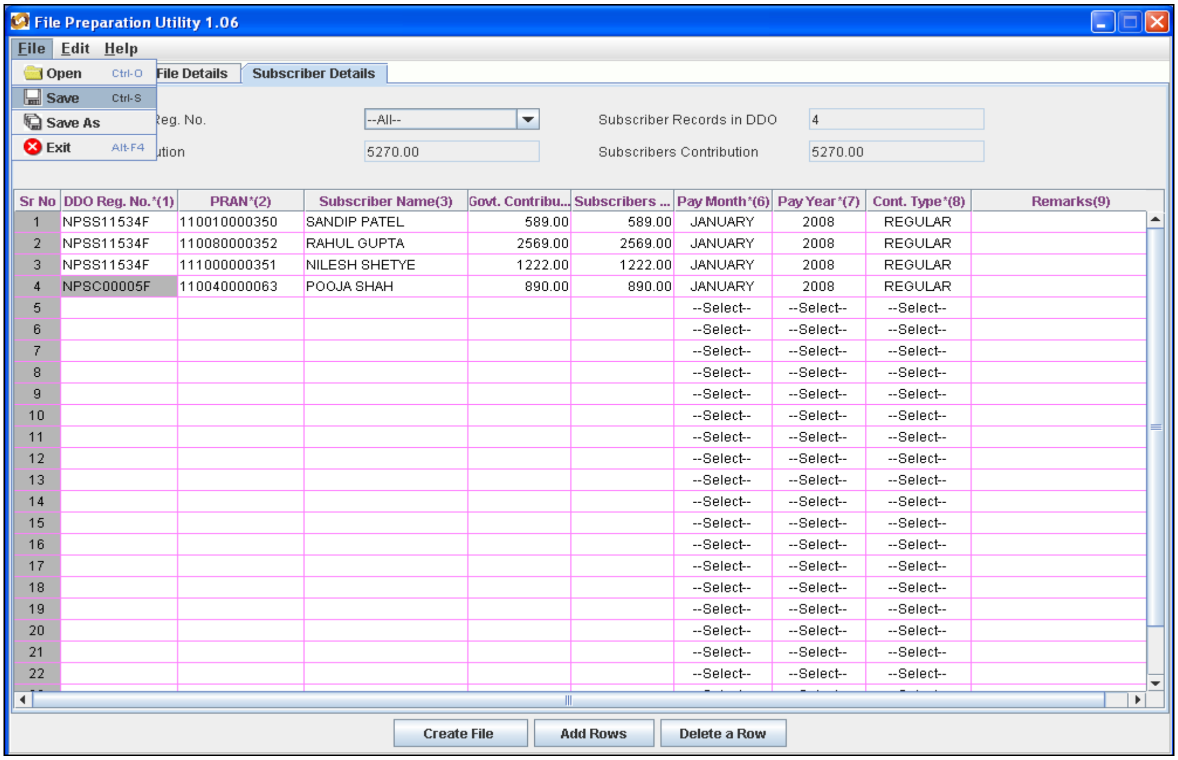

चित्र 10

2) सेव ऑप्शन को क्लिक करने के बाद , एफपीयू यूजर को मशीन पर फाइल सेव करने के लिए प्रेरित करेगा. प्रदर्शित विवरण नीचे दर्शाये गये रूप में होंगे :

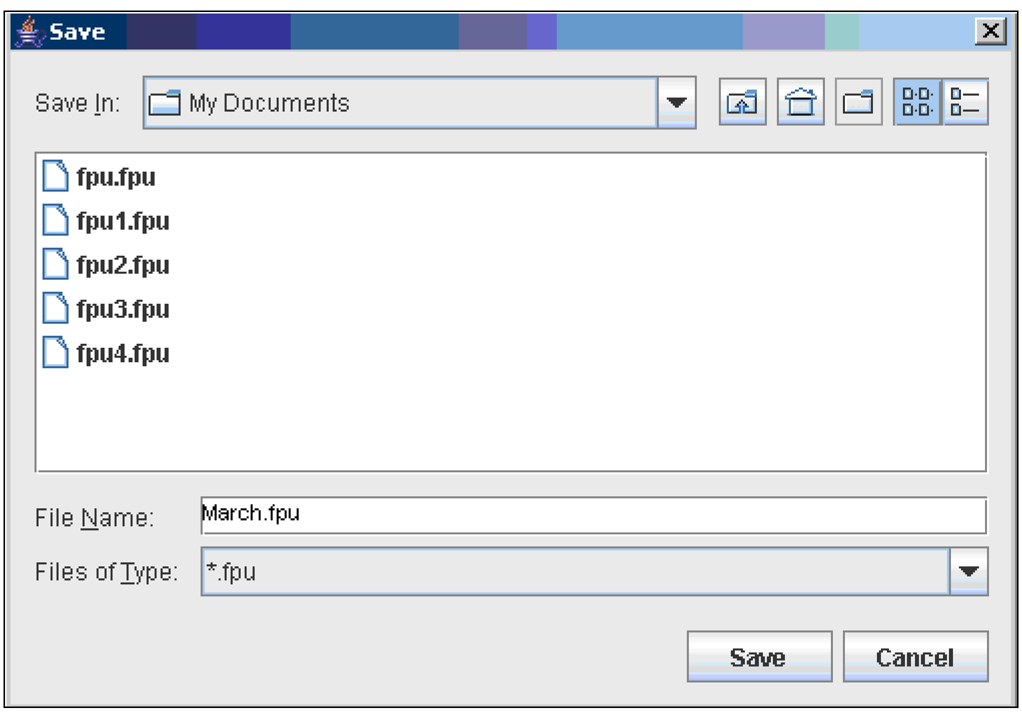

चित्र 11

1) जब यूजर स्क्रीन पर सेव ऑप्शन को चुनेगा, एक पुष्टि संदेश प्रदर्शित होगा जो उस पाथ का भी उल्लेख करेगा जहां फाइल सेव की गयी है. मध्यवर्ती फाइल हमेशा '.fvu' विस्तार के साथ सेव की जाएगी. डीटीए / डीटीओ एफवीयू या सीआरए प्रणाली में मध्यवर्ती फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं.

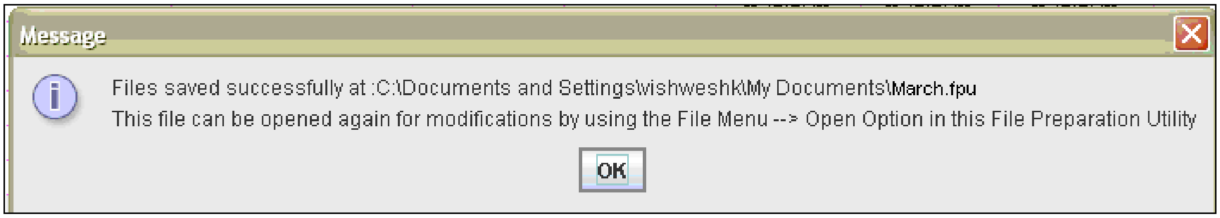

चित्र 12

4) यूजर मौजूदा आंकड़े को संशोधित करने के उद्देश्य से एफपीयू के उसी वर्सन से मध्यवर्ती फाइल को पुन: खोल सकता है. यूजर संबंधित फील्डों जैसे अंशदान का महीना तथा वर्ष आदि को संशोधित कर भावी महीनों के लिए भी एससीएफ तैयार करने के लिए इस फाइल का प्रयोग कर सकता है. मध्यवर्ती फाइल को खोलने के लिए यूजर को फाइल मेन्यु में 'Option' विकल्प को चुनना होगा.

5) रेकॉर्ड के उद्देश्य से यूजर के लिए यह उचित होगा कि वह स्वयं द्वारा तैयार किये गये एससीएफ के लिए वर्ष-वार, माह-वार फोल्डर से युक्त एक कार्य डायरेक्टरी सृजित करे.

3.3 **अभिदाता अंशदान फाइल का सृजन**

1. आवश्यक ब्यौरों के पूर्ण डिजिटाइजेशन के बाद यूजर Create File बटन चुनकर एससीएफ सृजित कर सकता है. जब यूजर Create File विकल्प चुनता है, एससीएफ चित्र 13 में दर्शाये गये रूप में मशीन पर फाइल सेव करने के लिए यूजर को कहेगा.

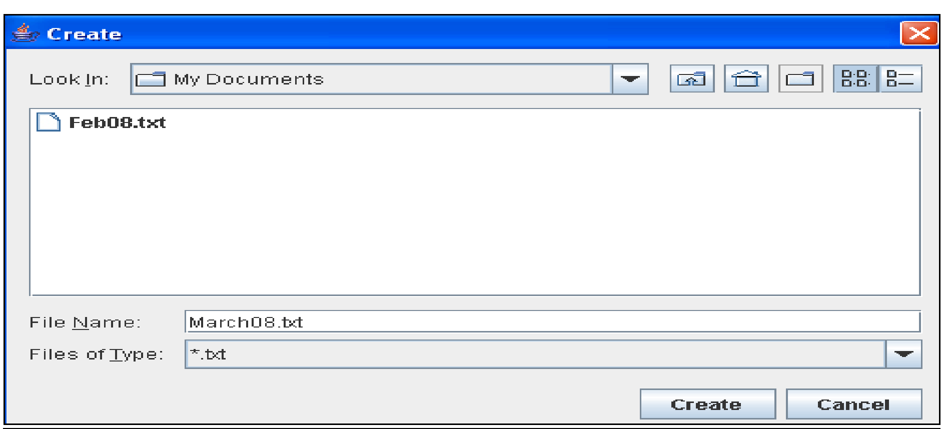

चित्र 13

2. एफपीयू .txt विस्तार से युक्त एक आउटपुट फाइल सृजित करेगा. एफपीयू भी हरेक फाइल को पहचानने के लिए एक विशिष्ट बैच आईडी सृजित करेगा. यह बैच आईडी नीचे दर्शाये गये रूप में फाइल को सफलतापूर्वक उत्पन्न करने के बाद दिखाई देने वाले अंतिम पुष्टि संदेश में यूजर को प्रदर्शित किया जाएगा. एनपीएससीएएन में फाइल को अपलोड करने के बाद फाइल की स्थिति जानने के लिए बैच आईडी का प्रयोग किया जा सकता है.

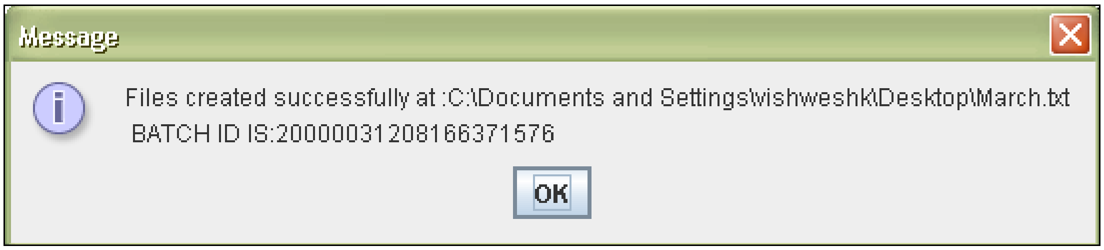

चित्र 14

3. फाइल सृजित करते समय एफपीयू निम्नलिखित को वैध बनायेगा :

i) एफपीयू यह जांच करेगा कि क्या यूजर ने सभी अनिवार्य ब्यौरे दिये हैं.

ii) एफपीयू यह जांच करेगा कि क्या डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन संरचनात्मक रूप से सही हैं.

iii) एफपीयू अंशदान के उस महीने तथा वर्ष की जांच करेगा जो भावी दिनांकित नहीं हैं.

iv) जब रेकॉर्ड अपलोड का प्रकार बकाये में हैं तो एफपीयू जांच करेगा कि क्या कोई टिप्पणी दर्ज की गई है.

v) एफपीयू यह वैध करेगा कि क्या अंशदान राशि शून्य से अधिक है.

vi) एफपीयू हरेक अभिदाता के लिए तथा नियमित अंशदान के प्रकार के लिए यह जांच करेगा कि किसी विशिष्ट महीने के लिए सिर्फ एक रिंकॉर्ड उपलब्ध हो.

vii) यदि एफपीयू को यूजर द्वारा दर्ज किये गये आंकड़े में किसी त्रुटि का सामना करना पड़ता है, जैसे टिप्पणियां नहीं दी गयी हैं (जबकि रेकॉर्ड का प्रकार बकाया है), किसी विशिष्ट अभिदाता के लिए दो बार दर्ज किये गये अंशदान का महीना आदि, यह यूजर को एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा. ऐसे सभी मामलों में एफपीयू कोई आउटपुट फाइल उत्पन्न नहीं करेगा. यूजर को त्रुटियों को ठीक करना होगा तथा पुन: एक वैध फाइल सृजित करनी होगी.

3. अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए जांच सूची

1. डीटीए / डीटीओ यूजर को उस विशिष्ट डीटीओ से सम्बद्ध डीडीओ से संबंधित अभिदाताओं के अंशदान विवरण को डिजिटाइज करना चाहिए.

डीटीओ को उससे सम्बद्ध कर्मचारियों के अंशदान ब्यौरों को डिजिटाइज करना चाहिए.

2. यह अनिवार्य है कि नियमित फाइल के लिए 'Original' और संशोधन फाइल के लिए 'Correction' के रूप में अंशदान फाइल का प्रकार चुना जाए. डिफॉल्ट द्वारा यह 'Regular' होगी. करेक्शन फाइल के मामले में ट्रांजैक्शन आईडी एक अनिवार्य फील्ड है.
3. यूजर को हरेक पंक्ति में विशिष्ट रेकॉर्ड के सभी अनिवार्य ब्यौरे देने चाहिए. यदि किसी अनिवार्य फील्ड में कोई रेकॉर्ड प्रविष्टि नहीं है तो एफपीयू त्रुटि संदेश दिखायेगा.
4. यूजर को सुनिश्चित करना चाहिए कि अंशदान फाइल में दी गई डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथ प्रैन वैध है और सीआरए प्रणाली में सक्रिय है. एफपीयू सिर्फ यह जांच करेगा कि क्या इन फील्डों में दर्ज किये गये आंकड़ों के फॉर्मेट तथा संरचना सही है.
5. जहां अंशदान फाइल 'Arrears' है वहां 'Remark' कॉलम में टिप्पणी देना अनिवार्य है.
6. अभिदाता अंशदान तथा सरकारी अंशदान फील्डों में नकारात्मक मूल्य दर्ज नहीं किये जा सकते हैं.
7. यूजर को सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि अंशदान प्रकार 'Regular' है तो किसी एक विशिष्ट महीने के लिए प्रैन (डीडीओ से जुड़े) के लिए बहुविध रेकॉर्ड दर्ज नहीं किये जाएं. एफपीयू डुप्लीकेट रेकॉर्डों अर्थात् एक ही महीने तथा वर्ष के लिए और नियमित प्रकार के अंशदान के लिए एक से अधिक रेकॉर्डों को वैध बनायेगा.
8. यूजर को एफपीयू द्वारा जनरेट की गई मध्यवर्ती फाइलों को एफवीयू से वैध करवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, मध्यवर्ती फाइलें एनपीएससीएएन में अपलोड नहीं की जा सकती हैं.
9. यूजर का एफपीयू के सिर्फ उसी वर्सन में मध्यवर्ती फाइल खोलने की अनुमति दी जाएगी जिसमें इसे तैयार किया गया था.
10. यूजर को मध्यवर्ती फाइल से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि छेड़छाड़ की गई फाइल को एफपीयू का प्रयोग करते हुए खोला नहीं जा सकता है. ऐसे मामलों में एफपीयू यूजर को एक उपयुक्त त्रुटि संदेश दिखायेगा.
11. यूजर खाली अंशदान फाइल सृजित नहीं कर सकता है जिसमें कोई रेकॉर्ड न हो. फाइल में कम से कम एक अभिदाता रेकॉर्ड होना चाहिए और सभी अनिवार्य फील्डों को भरा जाना चाहिए.
12. यूजर को फाइल तैयार करते समय अभिदाता का नाम दर्ज करने का विकल्प होगा. यह सिर्फ डीटीए / डीटीओ की परिचालनात्मक सुविधा के प्रयोजनार्थ दिया गया है.

13. डीटीए / डीटीओ का .txt विस्तार से युक्त एफपीयू से जनरेट हुई फाइल को एफवीयू के जरिए वैध बनाने से पूर्व एनपीएससीएएन में अपलोड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

14. डीटीए / डीटीओ को ऐसे अभिदाता प्रैन के लिए कोई अंशदान फाइल अपलोड नहीं करनी चाहिए जिसके आहरण अनुरोध पर अगले 15 दिन के भीतर कार्रवाई की जानी है.

सारांश

- **डीटीए / डीटीओ सीआरए द्वारा प्रदान किये गये एफपीयू या सीआरए के फाइल फॉर्मेट के अनुसार अपने स्वयं के बैक ऑफिस का प्रयोग करते हुए अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करेगा. दोनों मामलों में जनरेट की गई फाइल को एफवीयू के माध्यम से रन किया जाना चाहिए.**
- **डीटीए / डीटीओ को एफपीयू के अद्यतन वर्सन का प्रयोग करना चाहिए.**
- **अंशदान फाइल में दी गई डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन सीआरए प्रणाली में सक्रिय होना चाहिए.**
- **उसी महीने के नियमित अंशदान हेतु प्रैन के लिए डुप्लीकेट रेकॉर्ड नही होना चाहिए.**
- **डीटीए / डीटीओ एफपीयू का प्रयोग करते हुए एक मध्यवर्ती फाइल तैयार कर सकता है. जिसका भावी महीनों के लिए अंशदान फाइल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.**

4. फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) का प्रयोग करते हुए एससीएफ का वैधीकरण

अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद डीटीए / डीटीओ फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी (एफवीयू) के सहारे एफपीयू की आउटपुट फाइल को वैध करेगा. फाइल के सफलतापूर्वक वैधीकरण के बाद एफवीयू एक कंट्रोल टोटल एचटीएमएल फाइल के साथ ".fvu" विस्तार से युक्त एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगा जिसे निर्दिष्ट पाथ में सेव किया जाएगा. एफवीयू का प्रयोग करते हुए फाइल को वैध बनाना अनिवार्य है. एनपीएससीएएन / सीआरए प्रणाली में सिर्फ उसी एससीएफ का अपलोड किया जा सकता है जो एफवीयू के माध्यम से सफलतापूर्वक गुजरी है. फाइल वैधीकरण के समय, यदि कोई वैधीकरण विफल हो जाता है तो फाइल अस्वीकार को जाएगी तथा एक त्रुटि फाइल उत्पन्न होगी. एफवीयू द्वारा किये गये वैधीकरण नीचे मद 5 में दिये गये हैं.

एफवीयू के जरिए एससीएफ को वैध बनाने के लिए यूजर उस पाथ में एफवीयू आइकन पर दो बार क्लिक करेगा जहां एफवीयू इंस्टाल किया गया है. जब यूजर एफवीयू पर क्लिक करेगा तब एफवीयू खुलेगा जिसे नीचे दर्शाया गया है :

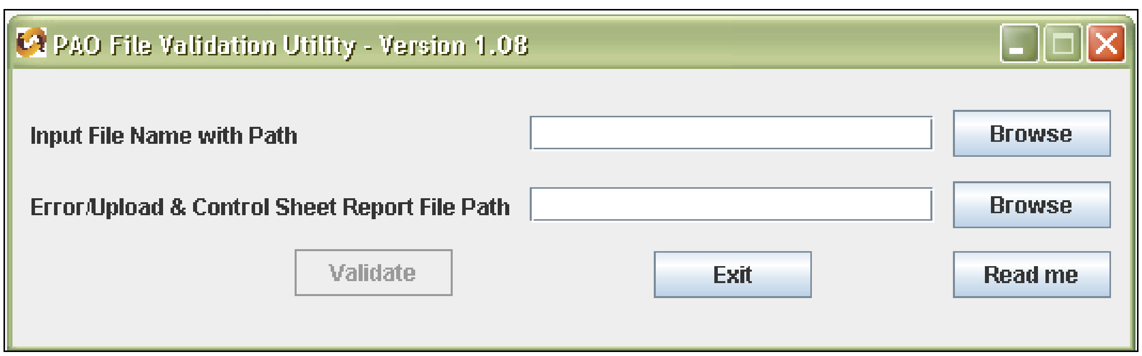

चित्र 15

4.1 पाथ के साथ इनपुट फाइल का नाम

1. डीटीए / डीटीओ इनपुट फाइल (पाथ सहित) का नाम (.txt विस्तार के साथ) अर्थात् वैधीकरण के लिए एफवीयू से गुजारी जाने वाली एससीएफ का नाम निर्दिष्ट करेगा.
2. इनपुट फाइल के नाम में कोई विशेष अक्षर उदा. : / \ इत्यादि नहीं होनी चाहिए और 12 अक्षरों से अधिक नहीं होना चाहिए.
3. एफवीयू से गुजारी जाने वाली फाइल ".txt" फॉर्मेट में ही होनी चाहिए.
4. डीटीए / डीटीओ पाथ एंटर कर सकते हैं या " Input FileName with Path" विकल्प के बिल्कुल दायें ओर 'ब्राउज' बटन पर क्लिक करके उसे चुन सकता है.

4.2 एरर / अपलोड एवं कंट्रोल शीट रिपोर्ट फाइल पाथ

1. यूजर को एक पाथ निर्दिष्ट करना होगा जहां फाइल के वैधीकरण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद एफपीयू द्वारा कंट्रोल टोटल शीट के साथ एक 'एरर फाइल' या 'अपलोड फाइल' जनरेट तथा सेव की जानी है. उसी पाथ को इनपुट फाइल पाथ के रूप में प्रयोग करना अच्छा होगा. एरर फाइल या अपलोड फाइल के लिए यूजर सिर्फ पाथ निर्दिष्ट करेगा और कोई फाइल नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए. एफवीयू डिफॉल्ट से आउटपुट फाइल के लिए नाम देगा.
2. यूजर पाथ एंटर कर सकता है या "Error / Upload File Path" के विकल्प के बिल्कुल दायीं ओर 'ब्राउज' बटन पर क्लिक करके उसे चुन सकता है. वैधीकरण न हो पाने की स्थिति में " Error/ Upload & Control Sheet Report File Path" फील्ड में निर्दिष्ट स्थान पर एक एरर फाइल उत्पन्न होगी.
3. यूजर के लिए यह अनिवार्य है कि वह ' Input File Name with Path' तथा 'Error / Upload File Path' दोनों को भरें. जब तक दोनों फील्ड उचित रूप से भरे / चुने नहीं जाते हैं, 'Validate' बटन अकार्यशील रहेगा.
4. इनपुट तथा आउटपुट फोल्डर चुनने के बाद यूजर को अभिदाता अंशदान फाइल को वैध बनाने के लिए "Validate" बटन को क्लिक करना चाहिए. यदि फाइल सफलतापूर्वक वैध हो जाती है, एफवीयू '.fvu' विस्तार के साथ अपलोड फाइल सूचित करेगा. एफवीयू नीचे दर्शाये गये रूप में 'एंटर / अपलोड फाइल पाथ' में निर्दिष्ट पाथ में एक कंट्रोल शीट (एचएमटीएल रिपोर्ट) भी सृजित करेगा.

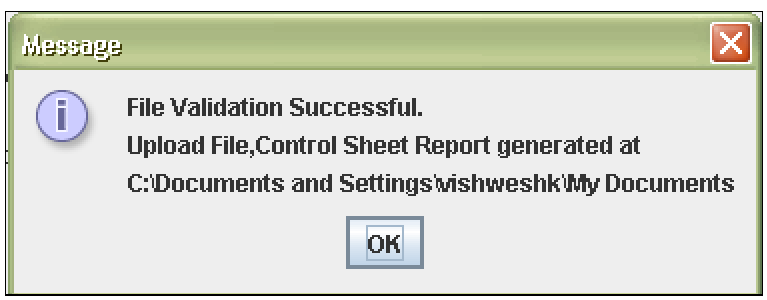

चित्र 16

5. एचटीएमएल को वैध बनाते समय, एफवीयू एक बार पुन: फॉर्मेट तथा संरचनात्मक स्तर का वैधीकरण करेगा. एफवीयू नीचे उल्लिखित रूप में अतिरिक्त वैधीकरण भी करेगा.
   - उल्लिखित अंशदान महीना तथा वर्ष एक वैध वर्ष तथा महीना है.
   - एफवीयू यह जांच करेगा कि क्या 'सरकारी कंट्रोल टोटल' सभी अभिदाताओं के लिए सरकारी अंशदान राशि के बराबर है.

- एफवीयू यह जांच करेगा कि क्या 'अभिदाता कंट्रोल टोटल' सभी अभिदातओं के लिए अभिदाता अंशदान की राशि के बराबर है.

6. यदि वैधीकरण सफल है तोए एफपीयू नीचे दर्शाये गये रूप में कंट्रोल टोटल दर्शाते हुए ".html" फाइल उत्पन्न करेगा.

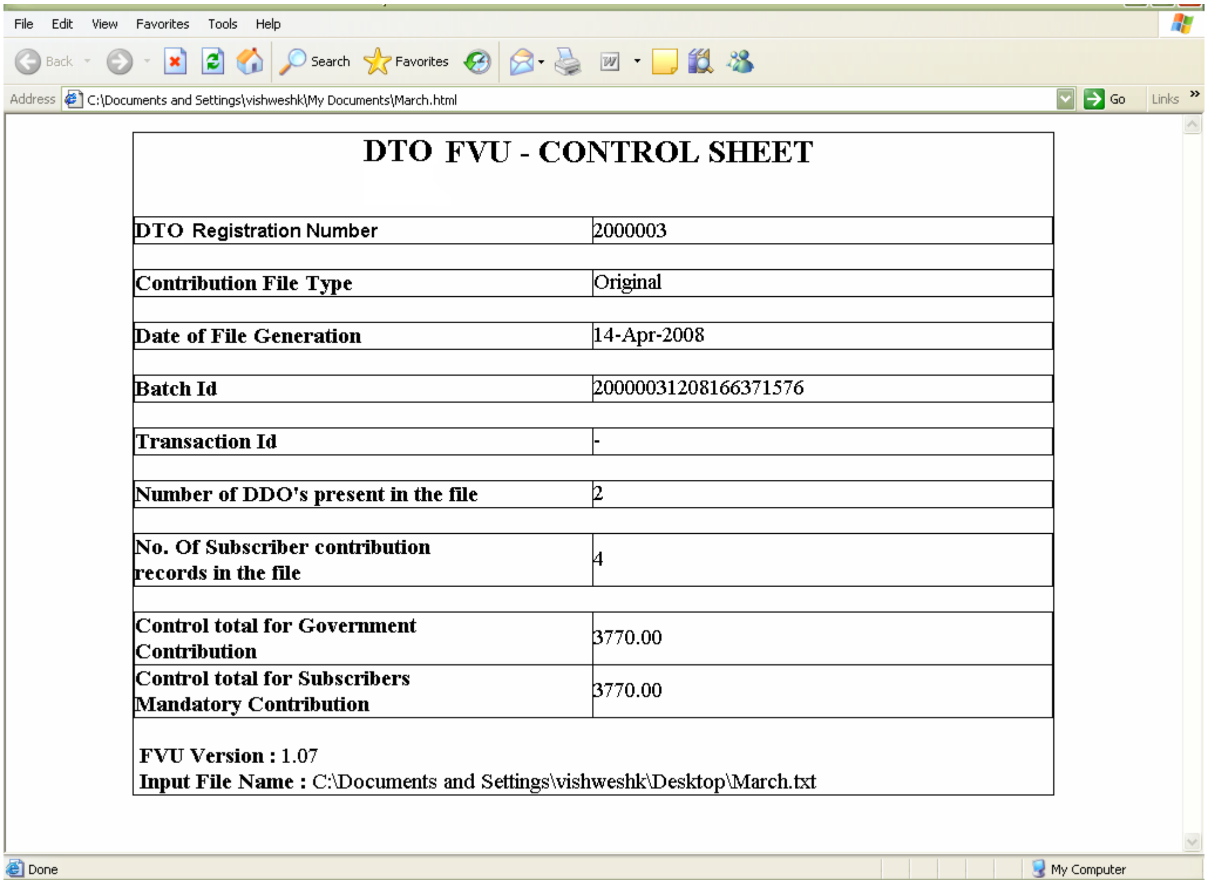

DTO FVU - CONTROL SHEET

DTO Registration Number	2000003
Contribution File Type	Original
Date of File Generation	14-Apr-2008
Batch Id	20000031208166371576
Transaction Id	-
Number of DDO's present in the file	2
No. Of Subscriber contribution records in the file	4
Control total for Government Contribution	3770.00
Control total for Subscribers Mandatory Contribution	3770.00

FVU Version : 1.07
Input File Name : C:\Documents and Settings\vishweshk\Desktop\March.txt

चित्र 17

7. यदि फाइल में फॉर्मेट स्तर की कोई त्रुटि है तो एफपीयू नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा :

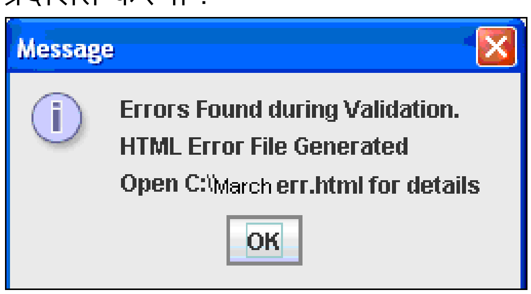

चित्र 18

8. यदि एफवीयू को वैधीकरण प्रक्रिया के दौरान कोई त्रुटि मिलती है या उसका पता लगता है तो यूटिलिटी एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित करेगा और नीचे दर्शाये गये रूप में उस विशिष्ट फाइल से संबंध्ति त्रुटियों की सूची दर्शाते हुए एक ".html" फाइल उत्पन्न करेगा.

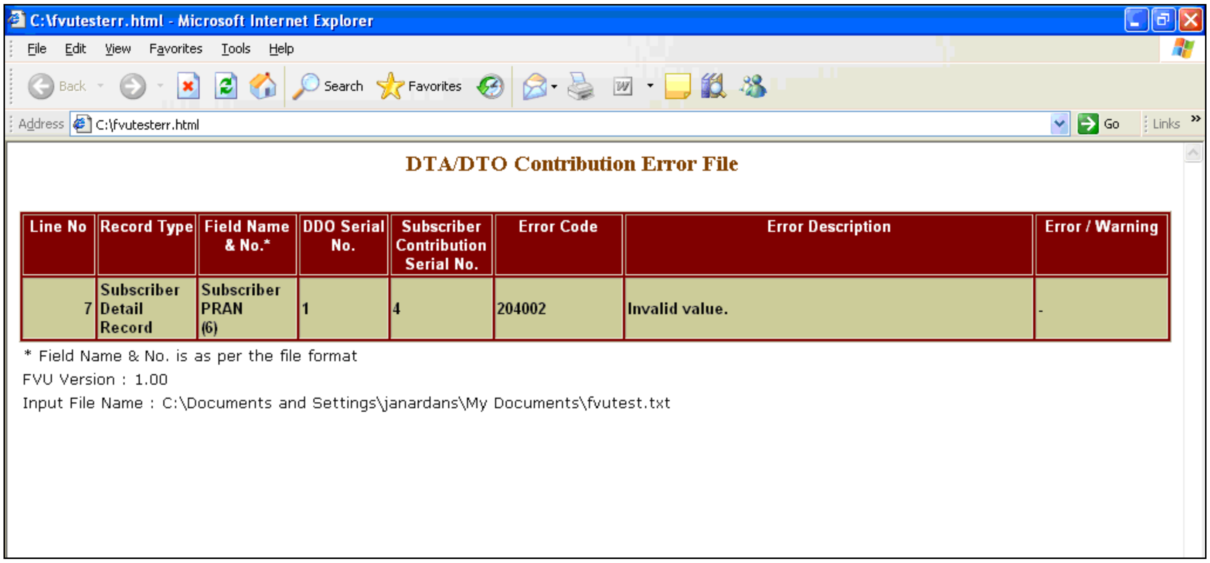

DTA/DTO Contribution Error File

Line No	Record Type	Field Name & No.*	DDO Serial No.	Subscriber Contribution Serial No.	Error Code	Error Description	Error / Warning
7	Subscriber Detail Record	Subscriber PRAN (6)	1	4	204002	Invalid value.	-

* Field Name & No. is as per the file format
FVU Version : 1.00
Input File Name : C:\Documents and Settings\janardans\My Documents\fvutest.txt

चित्र 19

9. अभिदाता अंशदान फाइल ('.fvu' विस्तार के साथ) एफवीयू से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद एनपीएससीएएन में अपलोड करने के लिए तैयार है.

सारांश

- **डीटीए / डीटीओ को सीआरए द्वारा प्रदान किये गये एफवीयू का प्रयोग करते हुए फाइल को वैधीकृत करना चाहिए.**
- **वैधीकृत करते समय डीटीए / डीटीओ को एरर / अपलोड कंट्रोल शीट रिपोर्ट पाथ के साथ इनपुट फाइल का नाम तथा पाथ देना चाहिए.**
- **फाइल के सफलतापूर्वक वैधीकरण के बाद एफवीयू कंट्रोल टोटल एचटीएमएल फाइल के साथ ÷.fvu÷ विस्तार से युक्त एक आउटपुट फाइल उत्पन्न करेगा.**

युक्तियां - फाइल कहां सेव करें :

- **जैसाकि देखा जा सकता है, हरेक एससीएफ के सृजन तथा अपलोड की प्रक्रिया में निम्नलिखित फाइलें उत्पन्न होंगी :**

- .fpu फाइल
- .fvu फाइल
- html फाइल (कंट्रोल शीट - चित्र 17)

- यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इन फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से भंडारित किया जाए.
- आपकी मशीन में एनपीएस नामक एक अलग फोल्डर सृजित किया जाए.
- हरेक वर्ष के लिए अलग उप-फोल्डर बनाये जाएं.
- हरेक महीने के लिए अलग उप-फोल्डर बनाये जाएं.
- उपर्युक्त हरेक फाइल के लिए फाइल नाम उस विशिष्ट महीने के लिए दिया जाए.
- उदाहरण के लिए, यदि अप्रैल 2009 महीने के वेतन के एिल रेकॉर्ड अपलोड किये जाते हैं, तो फाइलों का नाम apr09.fvu, apr09.fpu, apr09html हो सकता है और पाथ NPS / 2009 /April/ apr09.fvu तथा इसी प्रकार हो सकता है.
- यदि फाइलों का पुन: प्रयोग करना पड़ता है तो यह फाइलों की पुन:प्राप्ति में सहायक होगा.

5. एनपीएससीएएन में अभिदाता अंशदान फाइल अपलोड करना

एफवीयू के माध्यम से एससीएफ का वैधीकृत करने के बाद डीटीए / डीटीओ '.fvu' विस्तार रखने वाली आउटपुट फाइल को एनपीएससीएएन में अपलोड करेगा. डीटीए / डीटीओ पंजीकरण के समय सीआरए द्वारा डीटीए / डीटीओ को आबंटित आई-पिन का प्रयोग करते हुए फाइल अपलोड करेगा. टी दिवस को 17.30 बजे तक डीटीए / डीटीओ द्वारा अपलोड की गई सभी अभिदाता अंशदान फाइलें न्यासी बैंक से निधि प्राप्ति पुष्टि की प्राप्ति के अधीन टी+1 पर सीआरए में निपटान प्रक्रिया के लिए विचार की जाएगी. निपटान प्रक्रिया के दौरान, अभिदाता अंशदान राशि अभिदाता के लिए लागू योजना वरीयता के अनुसार निवेश की जाएगी और संबंधित यूनिट अभिदाताओं के खाते में जमा कर दिये जाएंगे.

5.1 अपलोड की प्रक्रिया

1. डीटीए / डीटीओ यूजर को अपने आई-पिन तथा पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन को लॉग-इन करना होगा. इसके लिए डीटीए / डीटीओ यूजर को www.npscan-cra.co.in को लॉग इन करना होगा. यूजर को निम्नलिखित पेज दिखाई देगा :

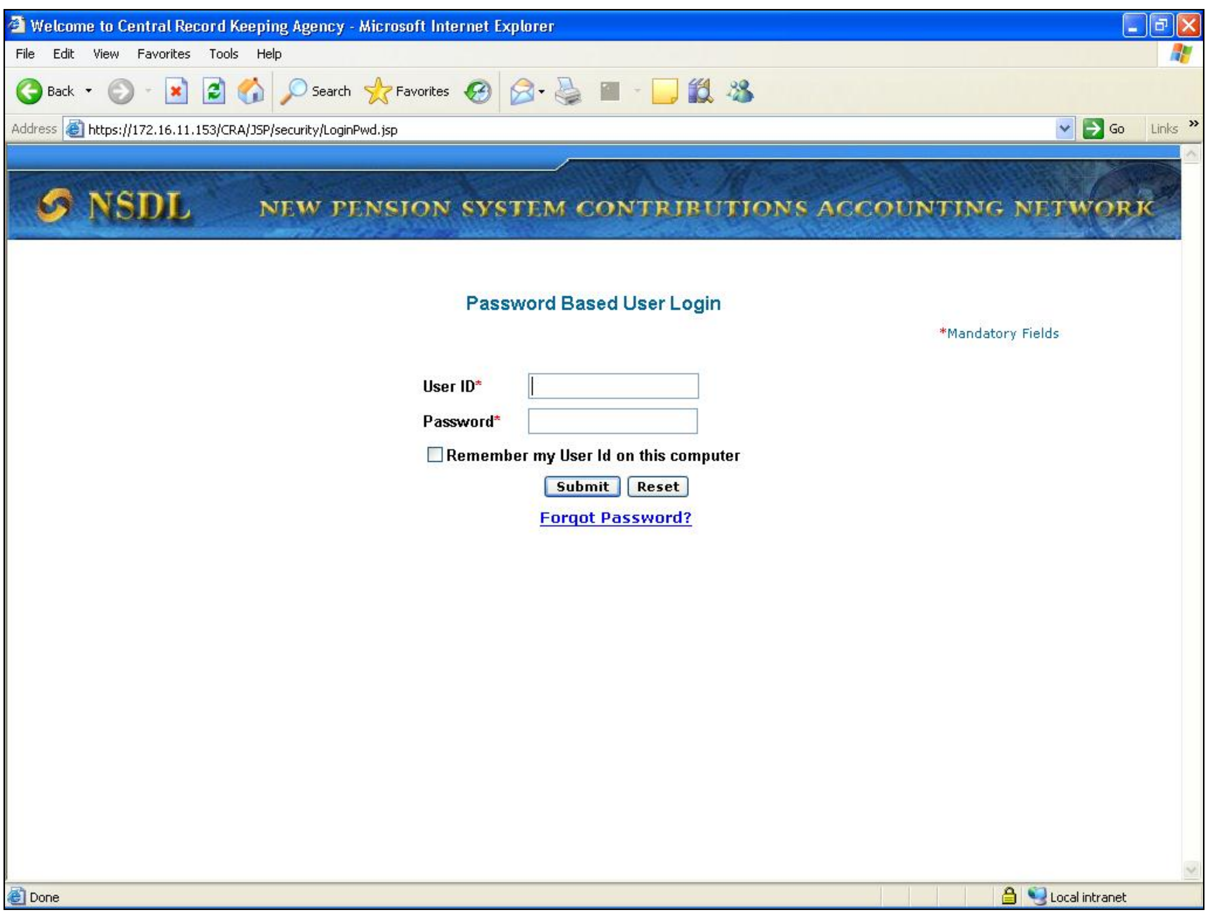

चित्र 20

2. इस पेज पर डीटीए / डीटीओ यूजर को नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में दिये गये फील्डों में अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड एंटर करना होगा. डीटीए / डीटीओ सफलतापूर्वक पंजीकरण पर सीआरए द्वारा उसे आबंटित किये गये किसी एक यूजर आईडी का प्रयोग करें.

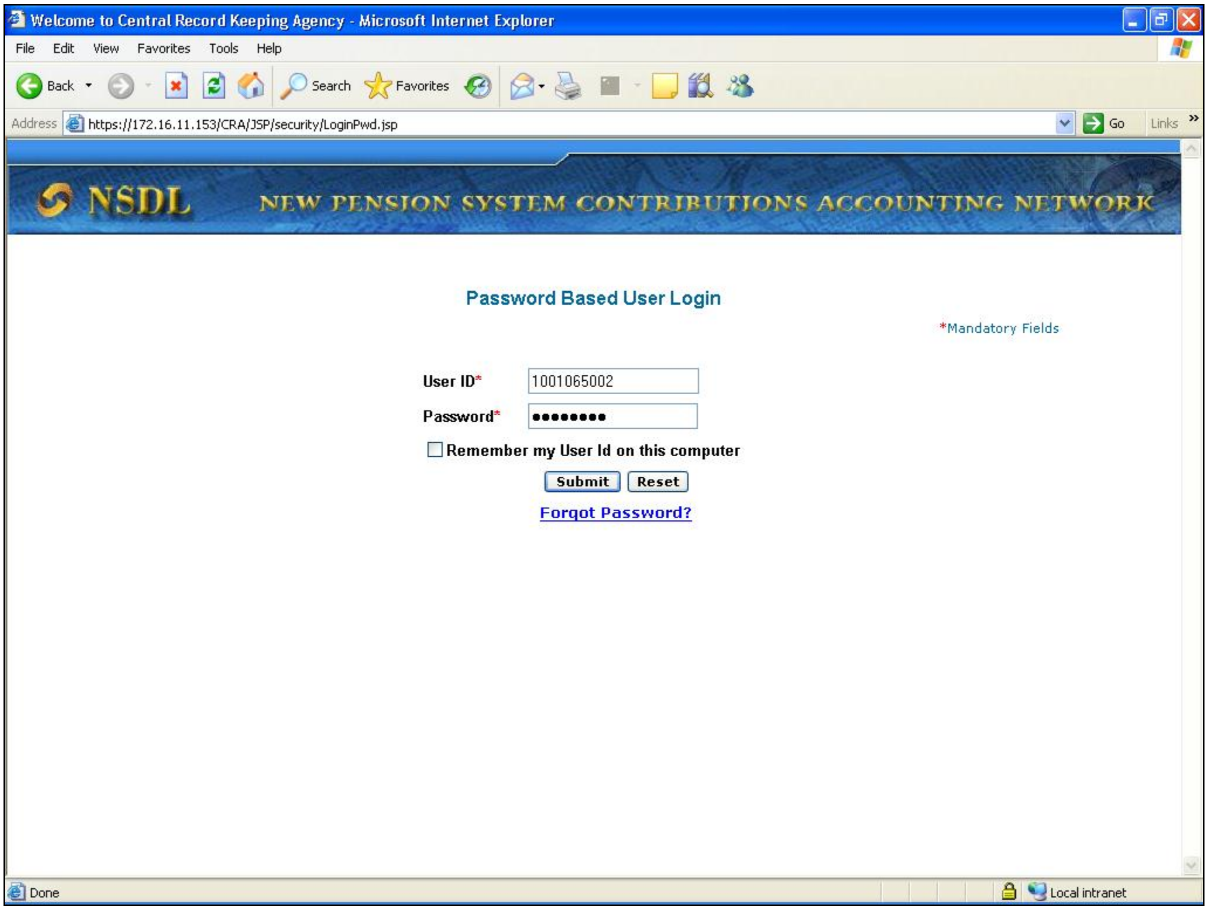

चित्र 21

3. यदि डीटीए / डीटीओ यूजर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड सही ढंग से एंटर करता है तो यूजर प्रणाली में सफलतापूर्वक लागइन कर सकता है. सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद डीटीए / डीटीओ यूजर को नीचे दर्शाये गये रूप में मेनु से "Contribution Details - Upload" विकल्प को चुनना होगा.

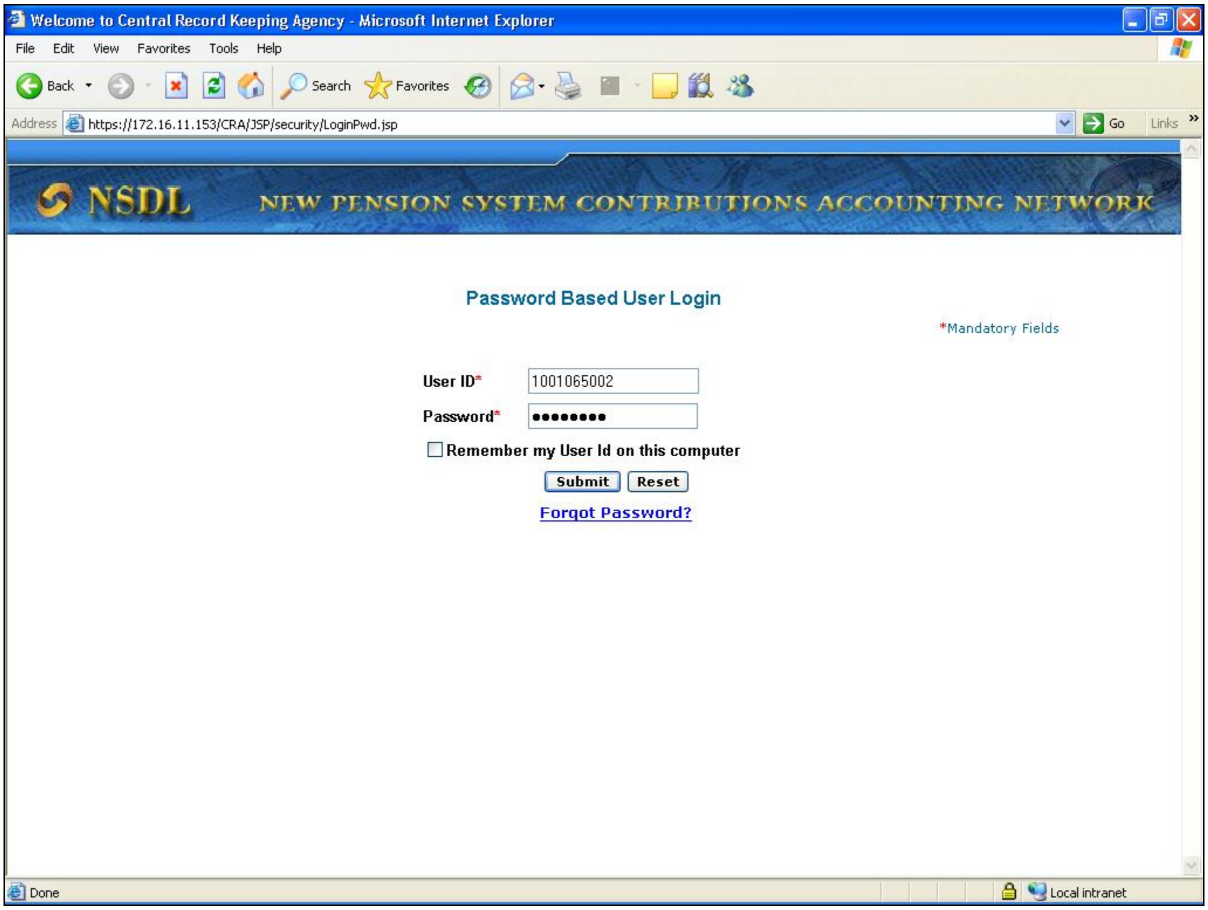

चित्र 21

3. यदि डीटीए / डीटीओ यूजर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड सही ढंग से एंटर करता है तो यूजर प्रणाली में सफलतापूर्वक लागइन कर सकता है. सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद डीटीए / डीटीओ यूजर को नीचे दर्शाये गये रूप में मेनु से "Contribution Details - Upload" विकल्प को चुनना होगा.

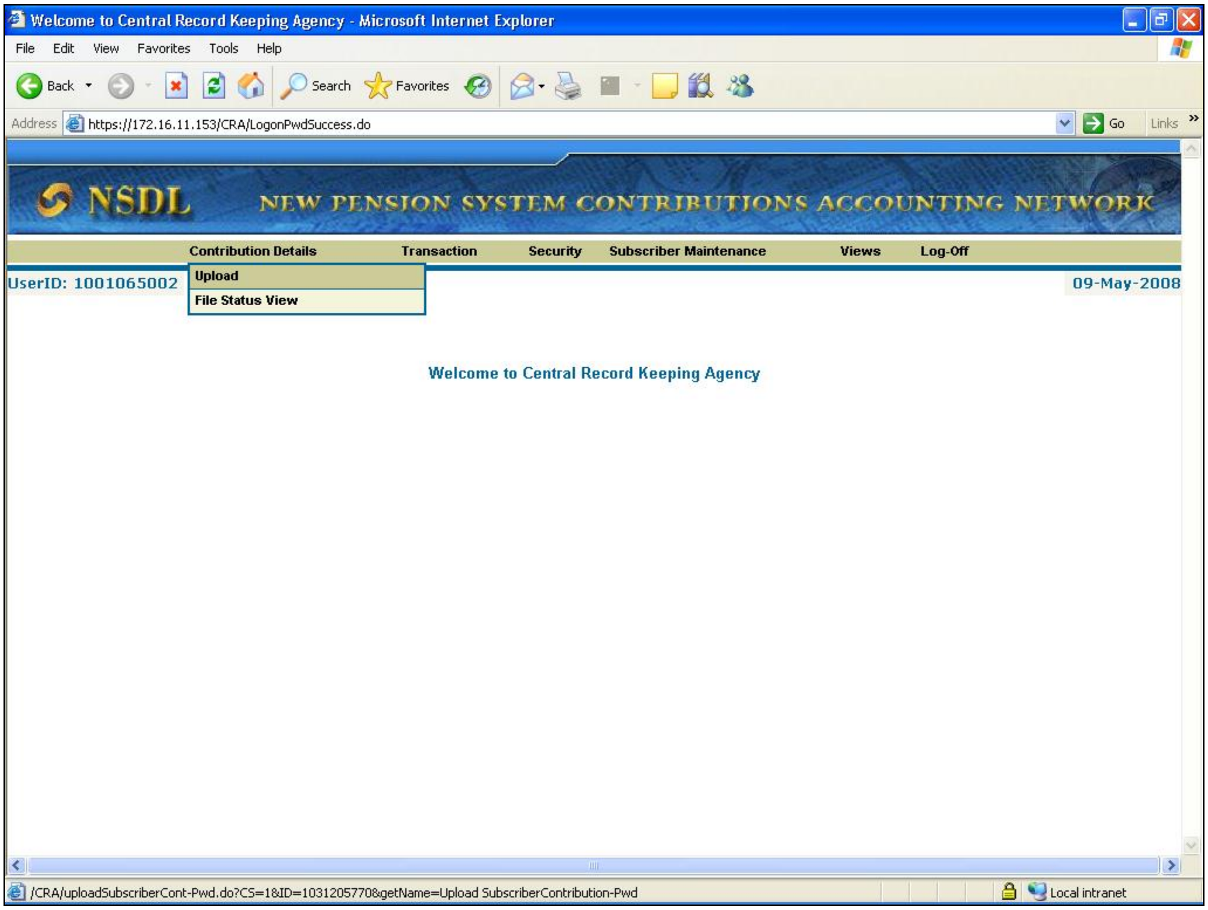

चित्र 22

4. अंशदान अपलोड के केन्द्रीकृत मॉडल के अपलोड के मामले में ऊपर दर्शाया गया ऑप्शन डीटीओ को उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि अंशदान अपलोड का कार्य एक समेकित रूप में अंतर्निहित डीटीओ की ओर से डीटीए द्वारा निष्पादित किया जाएगा. "Upload" का विकल्प चुनने पर एनपीएससीएएन फाइलों को अपलोड करने के लिए नीचे दर्शाये गये रूप में एक स्क्रीन प्रदर्शित करेगा :

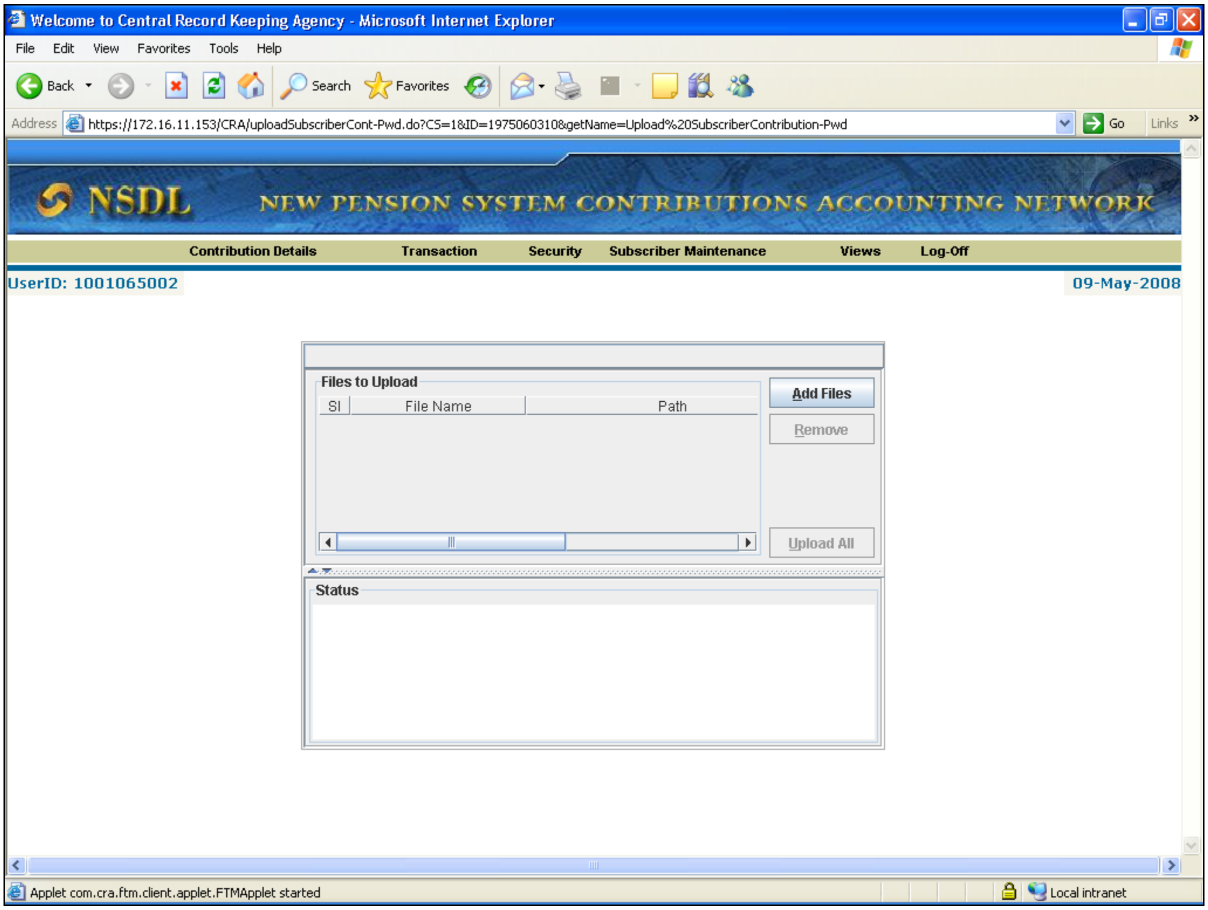

चित्र 23

टिप्पणी :
यदि IE तथा J2SE का उपयुक्त विन्यास मशीन में लगाया नहीं गया है तो फाइल अंशदाता अंशदान -अपलोड विकल्प का चयन करने की स्थिति में यूजर को स्क्रीन पर कोई ब्यौरा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा

5.उपर्युक्त स्क्रीन में डीटीए / डीटीओ यूजर को एससीएफ को अपलोड में शामिल करने के लिए "Add Files" ऑप्शन को चुनना होगा. जब यूजर "Add Files" बटन को सिलेक्ट करता है , अपलोड की जाने वाली फाइल को सिलेक्ट करने के लिए यूजर को एक विंडो प्रदर्शित किया जाएगा.

6. यूजर को अपलोड की जाने वाली फाइल ((‘.fvu’ विस्तार से युक्त) को सिलेक्ट करना होगा तथा "Add Files" बटन पर क्लिक करना होगा. यूजर नीचे दर्शाये गये रूप में "ctrl" कुंजी की सहायता से बहुविध फाइल सिलेक्ट कर सकता है.

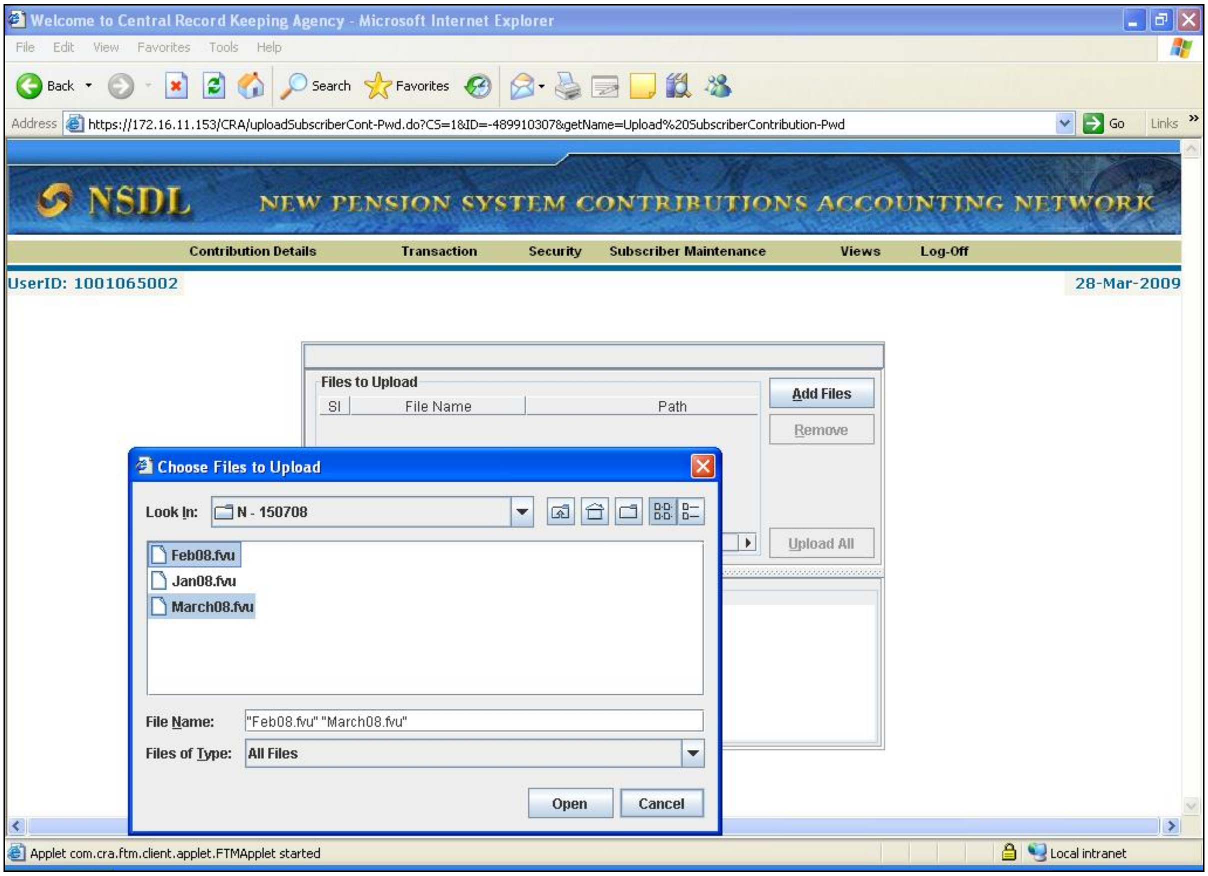

चित्र 24

7. जब अपेक्षित फाइल (फाइलें) सिलेक्ट कर ली जाती हैं, तब यूजर को फाइल लोड करने के लिए "option" बटन पर क्लिक करना होगा. जब फाइल लोड हो जाती है, एचटीएमएल नीचे उल्लिखित रूप में तथा नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में फाइल के बारे में कतिपय सूचना प्रदर्शित करेगा :

- i) क्रम संख्या
- ii) फाइल का नाम
- iii) फाइल का आकार तथा
- iv) संशोधन की पिछली तारीख तथा समय

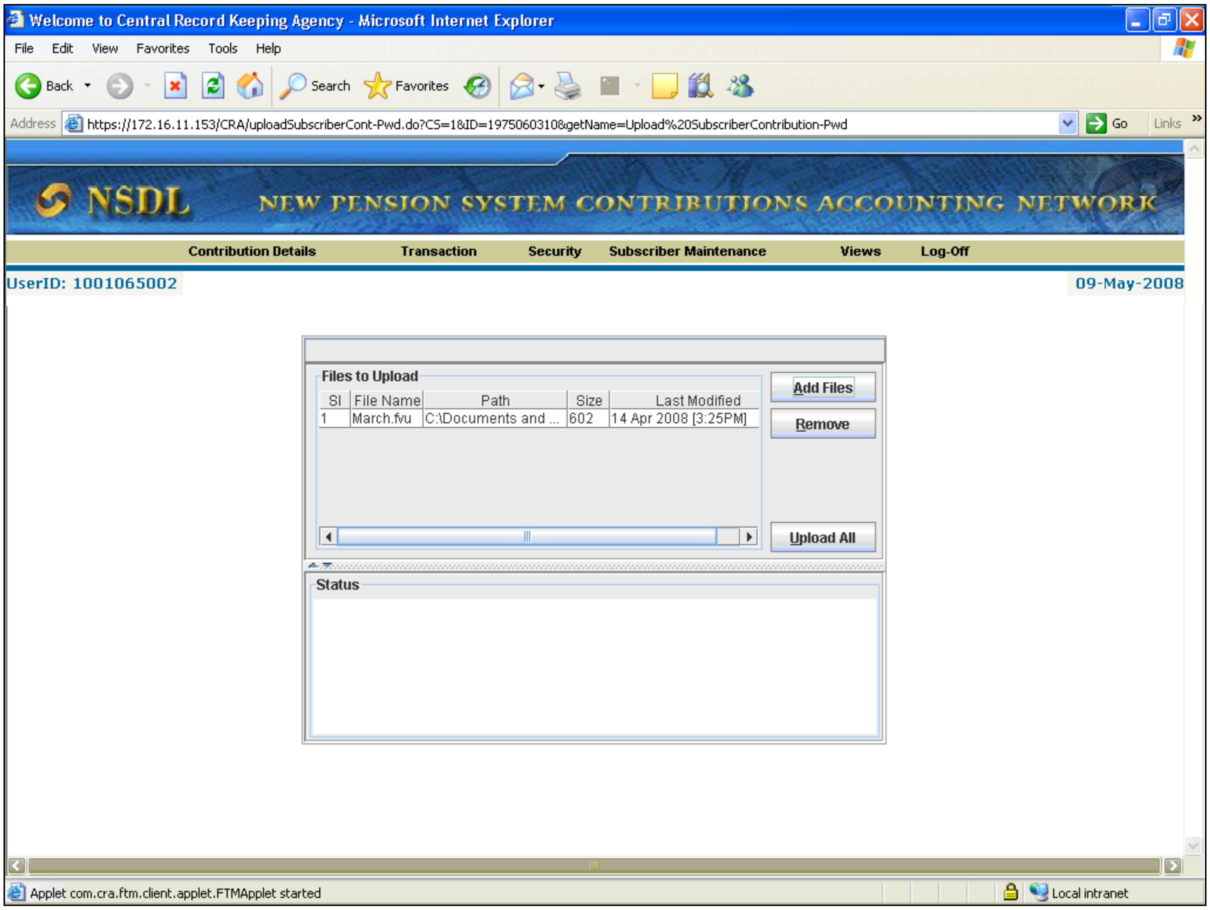

चित्र 25

7. जब फाइल सफलतापूर्वक लोड हो जाती है, यूजर को "Upload All" ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल अपलोड करनी होगी. यदि फाइल का अपलोड सफल रहा है, एनपीएससीएएन फाइल की स्थिति "एनपीएससीएएन मे अपलोड की गयी" दिखायेगा और एक विशिष्ट फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) जनरेट करेगा जो नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में यूजर को प्रदर्शित करेगा. यूजर रिकॉर्ड के लिए एफआरएन को नोट करें. यह सिर्फ यह सूचित करती हैं कि फाइल एनपीएससीएएन प्रणाली में प्राप्त हो गयी है. यह सूचित नहीं करती है कि फाइल स्वीकार की गई या नहीं. यूजर को बाद में किसी समय फाइल की स्थिति देखने के लिए एफआरएन का प्रयोग करना चाहिए.

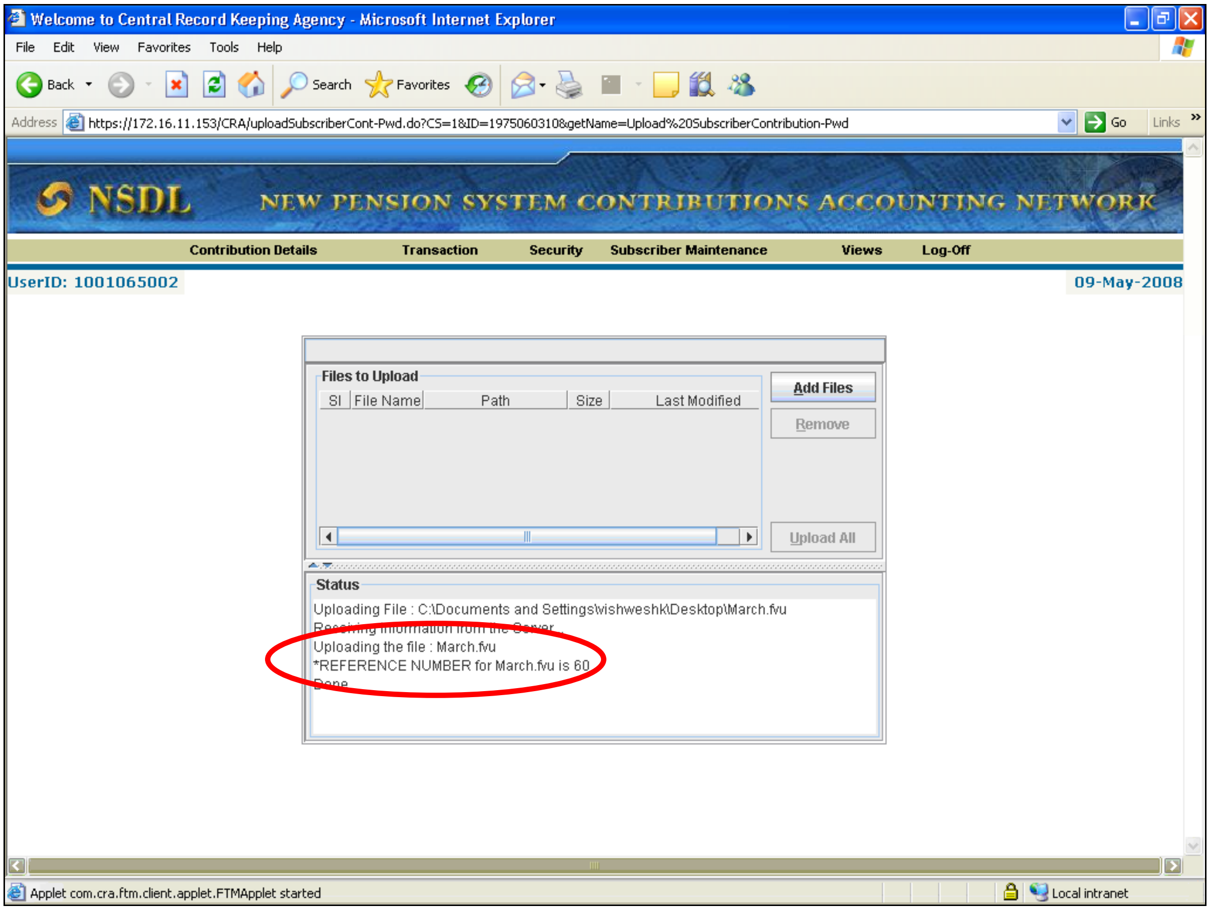

चित्र 26

9. सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद एनपीएससीएएन प्रणाली "एफपीयू" तथा "एफवीयू" द्वारा किये गये वैधीकरणों के अलावा कुछ बिजनेस तथा डाटाबेस आधारित वैधीकरण का कार्य करेगी. एनपीएससीएएन प्रणाली यह जांच करेगी कि क्या

- डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन वैध हैं और प्रणाली में सक्रिय हैं (ये वैधीकरण एफपीयू तथा एफवीयू स्तर पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सीआए से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ एकल उपयोगिताओं के रूप में परिचालित हैं)
- डीटीए - डीडीओ मैपिंग वैध है.
- यदि अंशदान का प्रकार "रेगुलर" है, प्रणाली में एक की अभिदाता के लिए एक ही महीने तथा वर्ष के लिए कोई अन्य रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है.
- एफपीयू तथा एफवीयू वर्सन, एफवीयू हैश तथा फाइल का बैच आईडी सही है.

10. अपलोड के केंद्रीकृत मॉडल के मामले में , फाइल के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद , एनपीएससीएएन उपर्युक्त वैधीकरणों के अलावा कुछ बिजनेस तथा डाटाबेस स्तरीय वैधीकरण करेगा. एनपीएससीएएन प्रणाली यह जांच करेगी कि क्या

- डीटीए पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन वैध हैं और प्रणाली में सक्रिय हैं.
- डीटीए - डीडीओ मैपिंग वैध है.

11. अपलोड की गई फाइल की स्थिति देखने के उद्देश्य से यूजन को "Contribution Details" मेनु को नैविगेट करना तथा "File Status View" ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. यूजर को निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक मानदंड एंटर करना होगा :

- फाइल संदर्भ संख्या
- बैच आईडी
- ट्रांजैक्शन आईडी
- तारीख से तथा तारीख तक

12. यूजर उपर्युक्त मानदंड के लिए उदाहरण के रूप में नीचे दिये गये आंकड़े को संदर्भित कर सकता है, जहां एंटर किया गया सर्च मानदंड "फाइल संदर्भ संख्या" है.

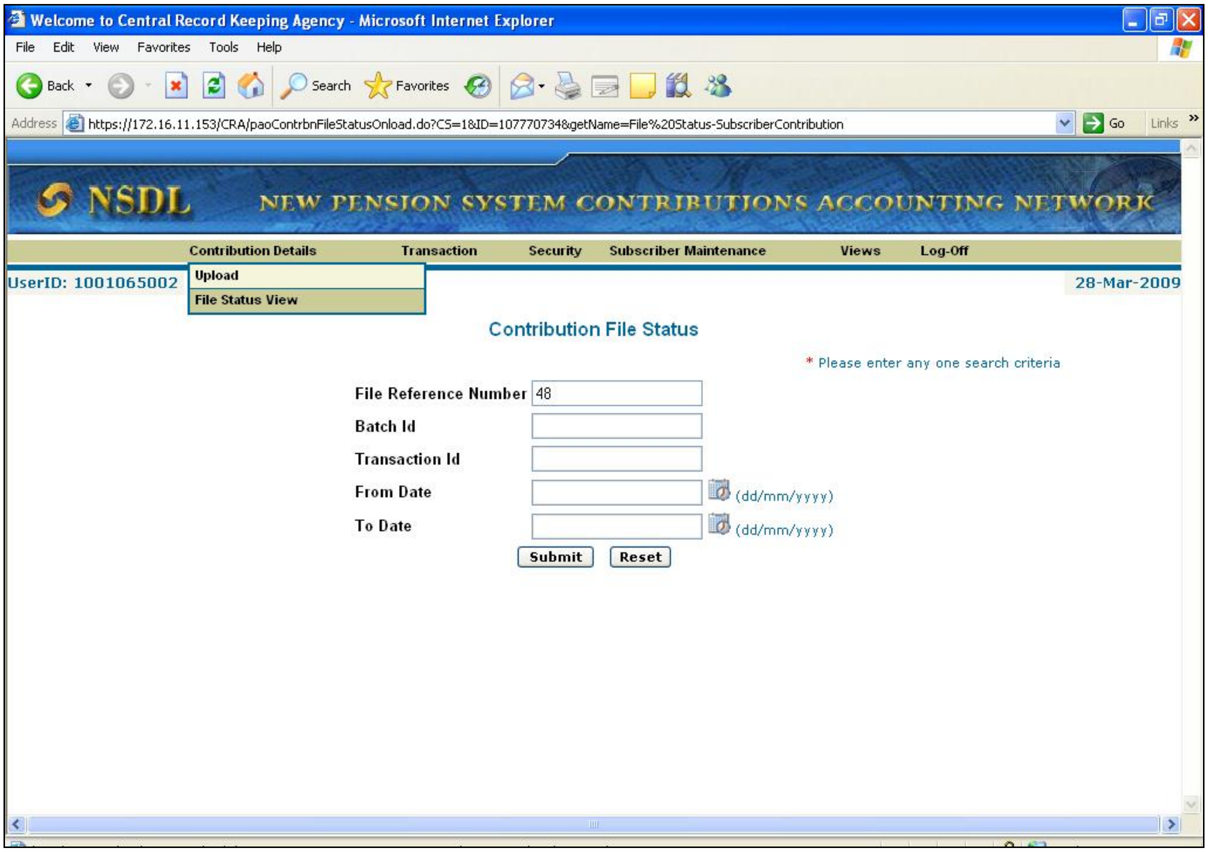

चित्र 27

13. यदि सभी वैधीकरण वैध हैं, एनपीएससीएएन प्रणाली फाइल की स्थिति "Accepted" के रूप में अद्यतन करेगी और एक विशिष्ट 13 अंकीय ट्रांजैक्शन आईडी (एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट की गई विशिष्ट रसीद संख्या) जनरेट करेगी. इसे नीचे दर्शाया गया है.

1) 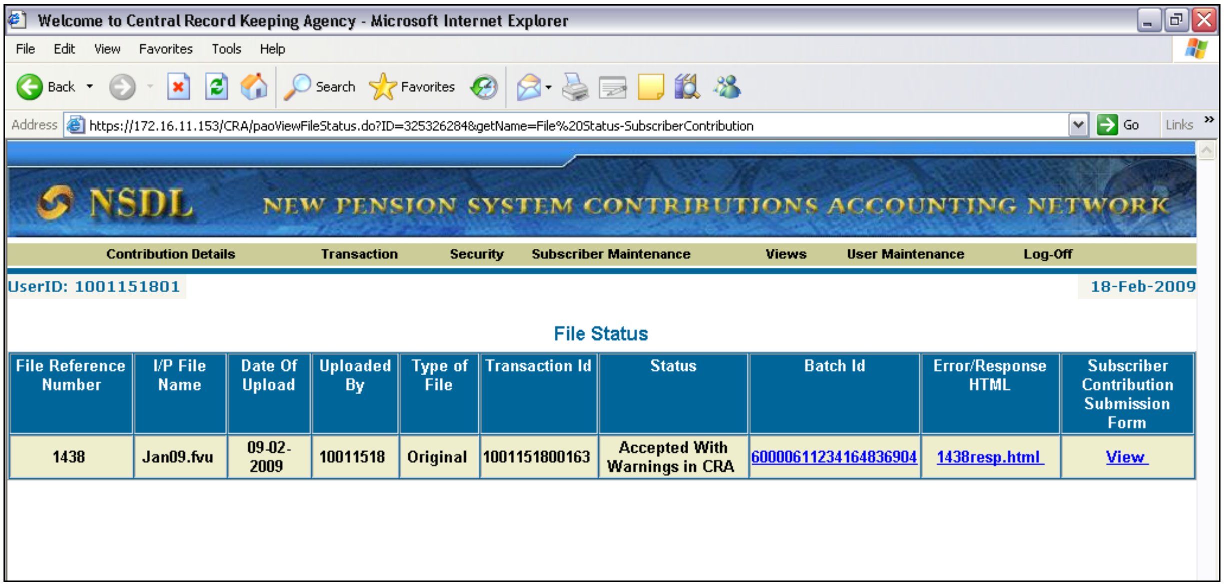

Welcome to Central Record Keeping Agency - Microsoft Internet Explorer

NSDL NEW PENSION SYSTEM CONTRIBUTIONS ACCOUNTING NETWORK

Contribution Details | Transaction | Security | Subscriber Maintenance | Views | User Maintenance | Log-Off

UserID: 1001151801 18-Feb-2009

File Status

File Reference Number	I/P File Name	Date Of Upload	Uploaded By	Type of File	Transaction Id	Status	Batch Id	Error/Response HTML	Subscriber Contribution Submission Form
1438	Jan09.fvu	09-02-2009	10011518	Original	1001151800163	Accepted With Warnings in CRA	60000611234164836904	1438resp.html	View

चित्र 28

14.ऊपर स्क्रीन में दर्शाये गये बैच आईडी में एक लिंक निहित है. बैच आईडी हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर अपलोड की गई फाइल के सभी ब्यौरे एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट किये गये ट्रांजैक्शन आईडी के साथ प्रदर्शित होंगे. इसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

Welcome to Central Record Keeping Agency - Microsoft Internet Explorer

NSDL NEW PENSION SYSTEM CONTRIBUTIONS ACCOUNTING NETWORK

Batch Status - DTO Subscriber Contribution File

DTO Reg. No.	2000003
DTO NAME AND ADDRESS	DTO Mumbai One Address line 1 Address line 2 Address line 3 Address line 4 Andaman & Nicobar Islands 400103

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
05-May-2008	1001065000033	20000031209978959989	21	Original	2	5	3850.00	3850.00	7700.00		Accepted in CRA

चित्र 29

15. ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एनपीएससीएएन अंशदान प्रस्तुतीकरण फार्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा. डीटीए / डीटीओ सीएसएफ के ब्यौरे देखने के उद्देश्य से नीचे दर्शाये गये रूप में अभिदाता अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म पर "View Hyperlink" को क्लिक करेगा. डीटीए / डीटीओ अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म अपलोड करेगा तथा उसका प्रिंट लेगा. अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म में डीटीए पंजीकरण संख्या, डीटीए पता, अंशदान महीना, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक में जमा की जाने वाली राशि आदि तथा डीटीए / डीटीओ को पावती जारी करने के लिए न्यासी बैंक के लिए एक प्रतिपर्ण निहित होंगे. यह फॉर्म अंशदान राशि जमा करते समय डीटीए / डीटीओ द्वारा न्यासी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा. यदि डीटीए / डीटीओ आरटीजीएस / एनईएफटी अनुदेश के माध्यम से निधियां अंतरित करना चाहता है तो उसे इस मैनुअल का अध्याय सात देखना चाहिए. डीटीए / डीटीओ अपने रिकॉर्ड के लिए एक अतिरिक्त प्रिंट लें. इस फार्म की फोटोप्रति नीचे दी गयी है :

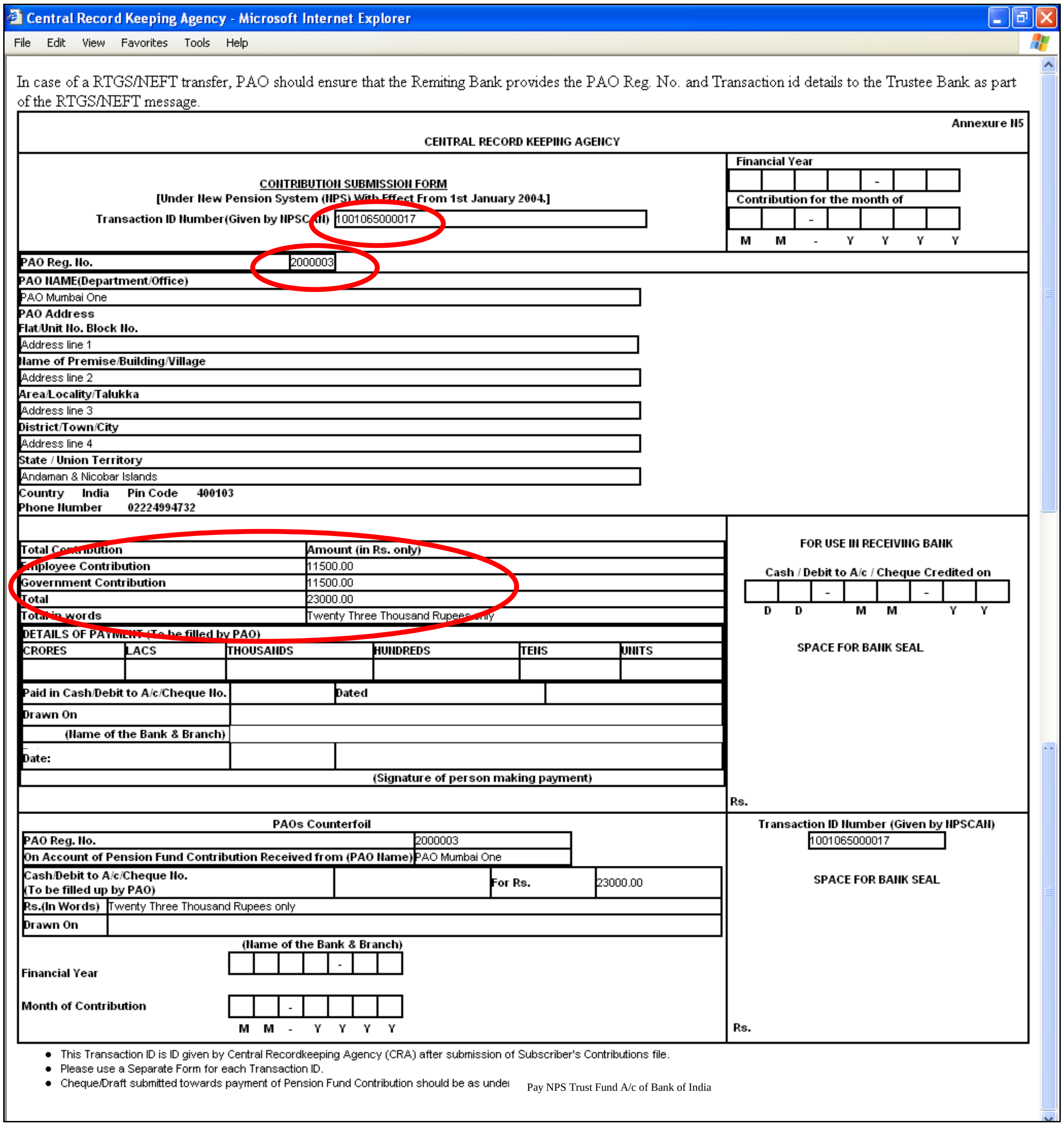

Central Record Keeping Agency - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

In case of a RTGS/NEFT transfer, PAO should ensure that the Remiting Bank provides the PAO Reg. No. and Transaction id details to the Trustee Bank as part of the RTGS/NEFT message.

Annexure N5

CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY

CONTRIBUTION SUBMISSION FORM

[Under New Pension System (NPS) With Effect From 1st January 2004.]

Transaction ID Number(Given by NPSCAN) 1001065000017

Financial Year

Contribution for the month of

M M - Y Y Y Y

PAO Reg. No.	2000003
PAO NAME(Department/Office)	PAO Mumbai One
PAO Address	
Flat/Unit No. Block No.	Address line 1
Name of Premise/Building/Village	Address line 2
Area/Locality/Talukka	Address line 3
District/Town/City	Address line 4
State / Union Territory	Andaman & Nicobar Islands
Country	India Pin Code 400103
Phone Number	02224994732

Total Contribution	Amount (in Rs. only)
Employee Contribution	11500.00
Government Contribution	11500.00
Total	23000.00
Total in words	Twenty Three Thousand Rupees only

DETAILS OF PAYMENT (To be filled by PAO)

CRORES	LACS	THOUSANDS	HUNDREDS	TENS	UNITS

Paid in Cash/Debit to A/c/Cheque No. Dated

Drawn On

(Name of the Bank & Branch)

Date:

(Signature of person making payment)

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cash / Debit to A/c / Cheque Credited on

D D - M M - Y Y

SPACE FOR BANK SEAL

Rs.

PAOs Counterfoil

PAO Reg. No.	2000003
On Account of Pension Fund Contribution Received from (PAO Name)	PAO Mumbai One
Cash/Debit to A/c/Cheque No. (To be filled up by PAO)	For Rs. 23000.00
Rs.(In Words)	Twenty Three Thousand Rupees only
Drawn On	

(Name of the Bank & Branch)

Financial Year

Month of Contribution

M M - Y Y Y Y

Transaction ID Number (Given by NPSCAN) 1001065000017

SPACE FOR BANK SEAL

Rs.

- This Transaction ID is ID given by Central Recordkeeping Agency (CRA) after submission of Subscriber's Contributions file.
- Please use a Separate Form for each Transaction ID.
- Cheque/Draft submitted towards payment of Pension Fund Contribution should be as under Pay NPS Trust Fund A/c of Bank of India

चित्र 30

5.2 अर्ध केन्द्रीकृत मॉडल में एससीएफ का अपलोड :

अपलोड के अर्ध केन्द्रीकृत मॉडल के मामले में,एससीएफ डीटीओ द्वारा तैयार तथा अपलोड की जाएगी और समेकित निधियां डीटीए द्वारा अंतरित की जाएंगी. फाइल तैयार करने और उसे अपलोड करने के लिए डीटीओ द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत मॉडल के मामले की तरह ही होगी. इसके अलावा, न्यासी बैंक को निधियां

अंतरित करने का उत्तरदायित्व डीटीए पर होगा. डीटीए को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप करने होंगे :

5.2.1 सुपर ट्रांजैक्शन आईडी की उत्पत्ति

1. डीटीए आई-पिन का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन को लॉगइन करेगा.
2. प्रणाली में सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद डीटीए नीचे चित्र 31 में दर्शाये गये रूप में "Super Transaction ID" मेनु को सिलेक्ट करेगा तथा "Generate Super Transaction ID" ऑप्शन पर क्लिक करेगा.

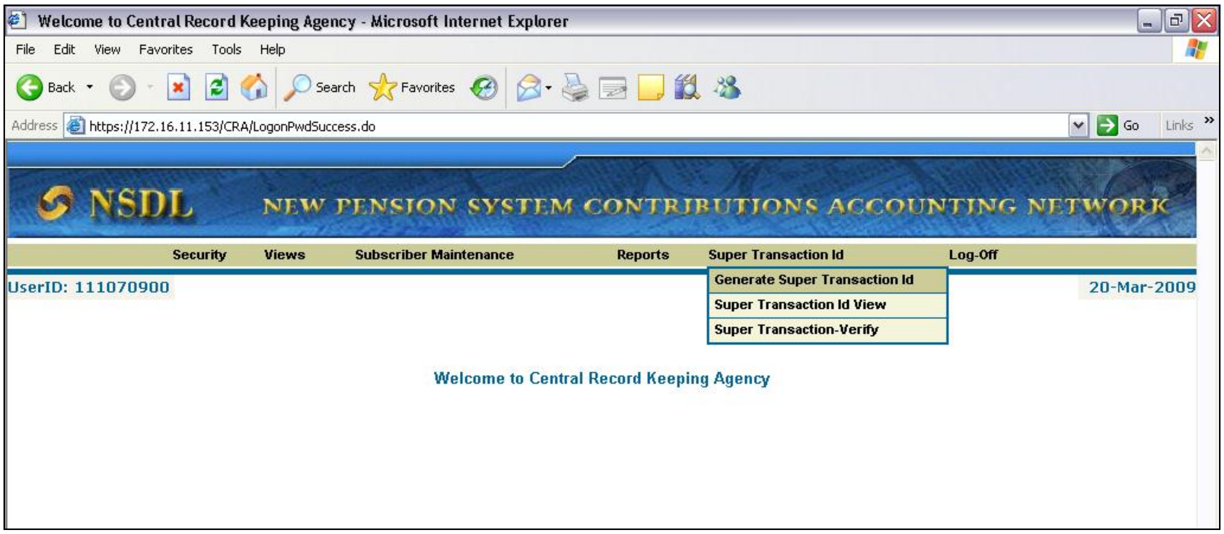

चित्र 31

3. "Super Transaction ID" ऑप्शन पर क्लिक करने पर प्रणाली मासिक एससीएफ अपलोड करने वाले सभी डीटीओज़ के लिए जनरेट किये गये सभी ट्रांजैक्शन आईडी प्रदर्शित करेगी. इस प्रकार प्रदर्शित ट्रांजैक्शन आईडी उन डीटीओ का होगा जिनकी वर्तमान में डीटीए से मैपिंग है. डीटीए नीचे दर्शाये गये रूप में संबंधित ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करेगा.

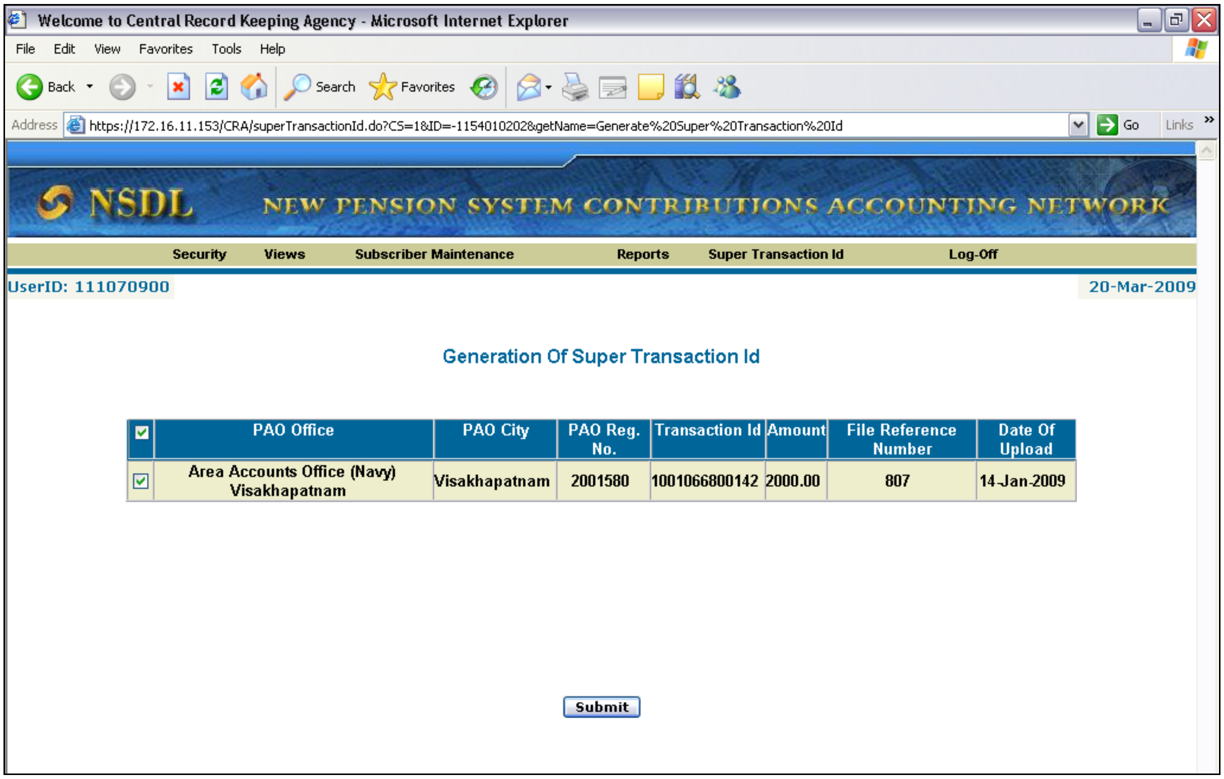

चित्र 32

4. अपेक्षित ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करने के बाद डीटीए को ऊपर दर्शाये गये “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा. “Submit” बटन पर क्लिक करने पर सिस्टम नीचे दर्शाये गये रूप में एक “Super Transaction Id” जनरेट करेगा.

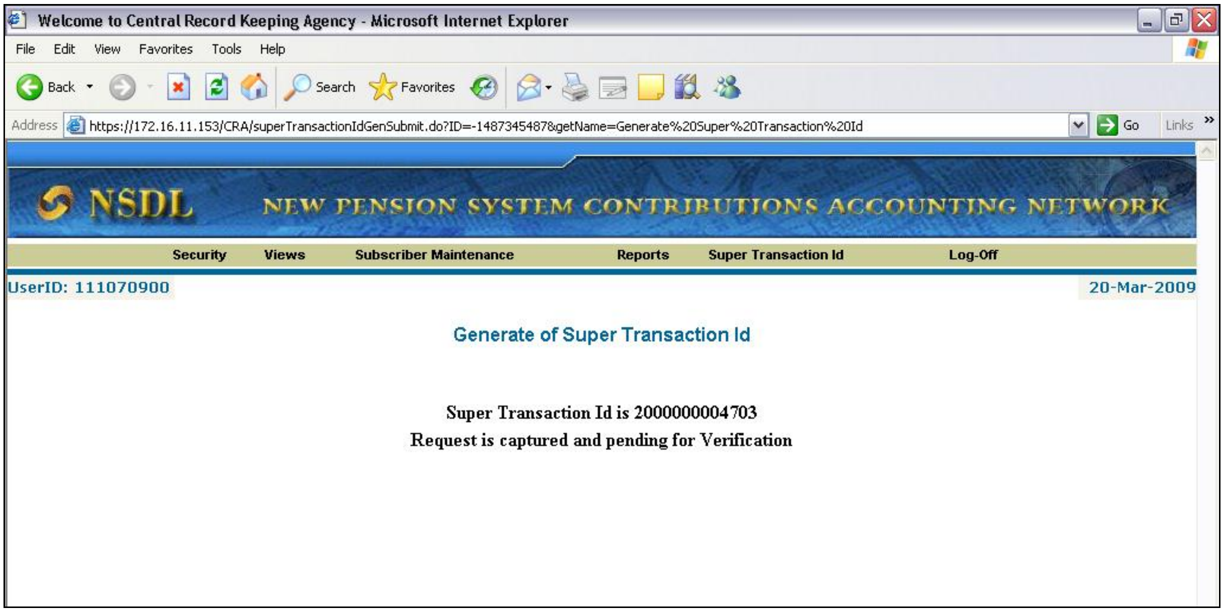

चित्र 33

5. जब सुपर ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाता है, इस ट्रांजैक्शन आईडी के जनरेशन का उसी डीटीए के एक अन्य यूजर द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए. सत्यापक यूजर सिस्टम को लॉगइन करेगा तथा “Super Transaction – Verify” ऑप्शन पर क्लिक करेगा जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

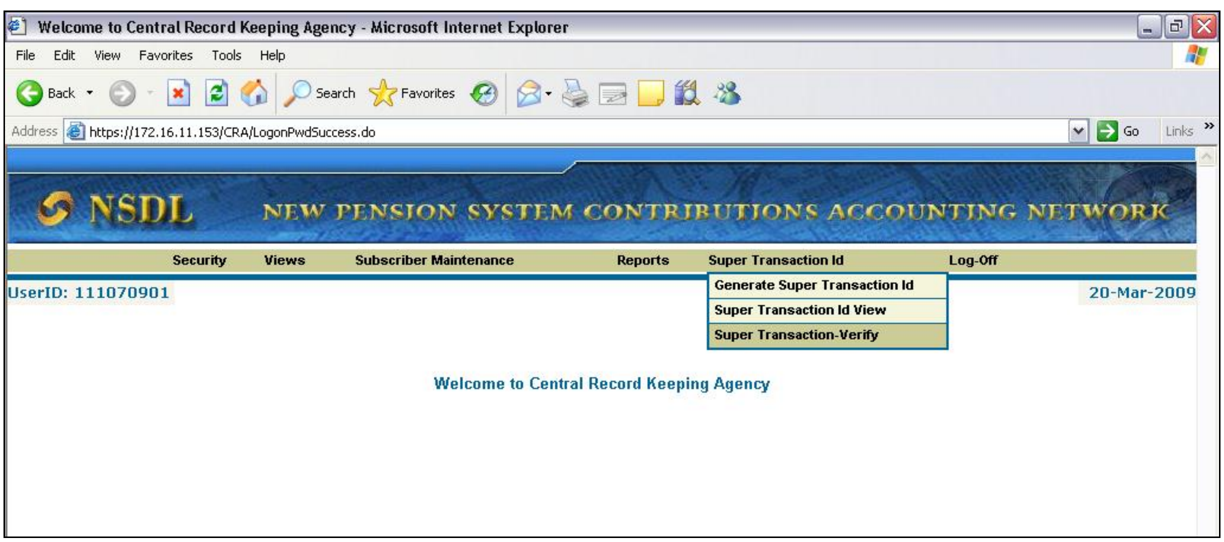

चित्र 34

6. जब उपर्युक्त ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सत्यापक यूजर को सत्यापित किये जाने वाले सुपर ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करना होगा, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

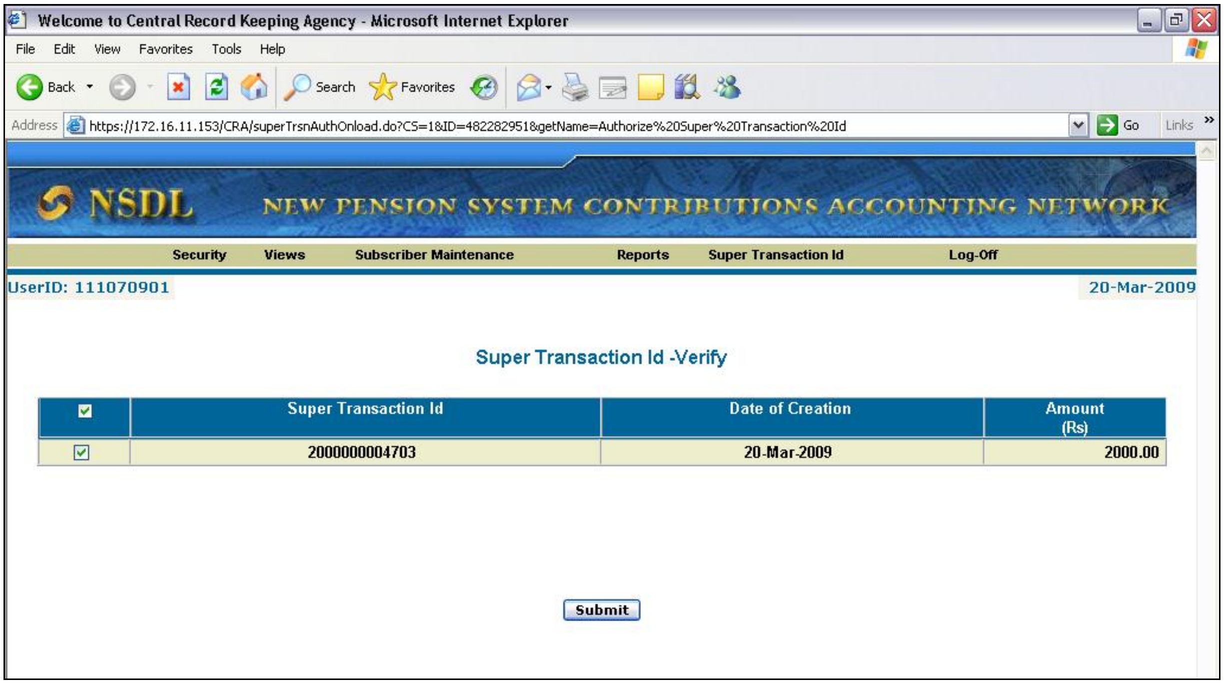

चित्र 35

7. सुपर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ सिस्टम अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा. सीएसएफ को देखने के लिए डीटीए को "Super Transaction Id View" को नैविगेट करना होगा. जब इस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सिस्टम नीचे दर्शाये गये रूप में सूचना प्रदर्शित करेगा:

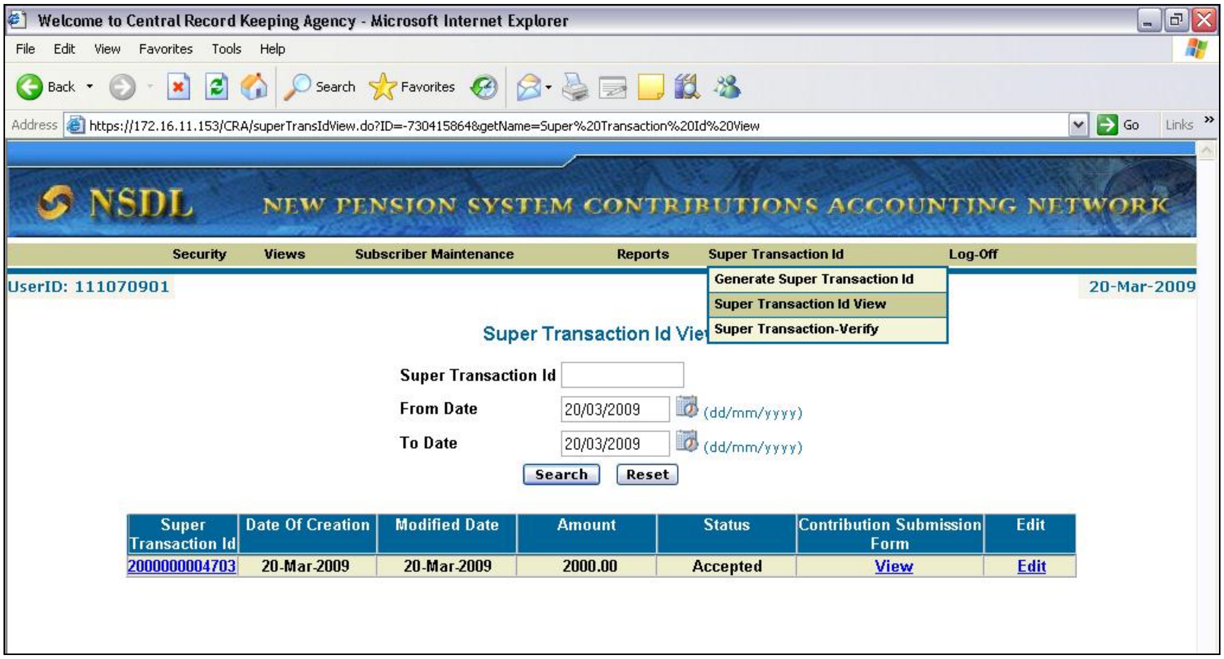

चित्र 36

8. सीएसएफ को देखने के लिए, यूजर को “Contribution Submission Form” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गये “View” ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जब इस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सिस्टम ऊपर चित्र 30 में दर्शाये गये रूप में सीएसएफ जनरेट करेगा.

5. 3 एससीएफ को अस्वीकार करना

यदि फाइल वैधीकरण अवैध प्रैन, अवैध एफपीयू वर्सन, अवैध डीटीए /डीटीओ मैपिंग इत्यादि जैसे कारणों से सफल नहीं हुआ है, एनपीएससीएएन फाइल को फाइल को अस्वीकार कर देगा (फाइल की स्थिति “Rejected” के रूप में अद्यतन की जाएगी) और उसके लिए एक त्रुटि फाइल जनरेट करेगा जैसाकि **नीचे चित्र** में दर्शाया गया है. इस त्रुटि फाइल को एफआरएन देकर देखी जा सकती है / एनपीएससीएएन से डाउनलोड की जा सकती है. एनपीएससीएएन अस्वीकृत की गई ऐसी फाइलों के लिए ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं करेगा.

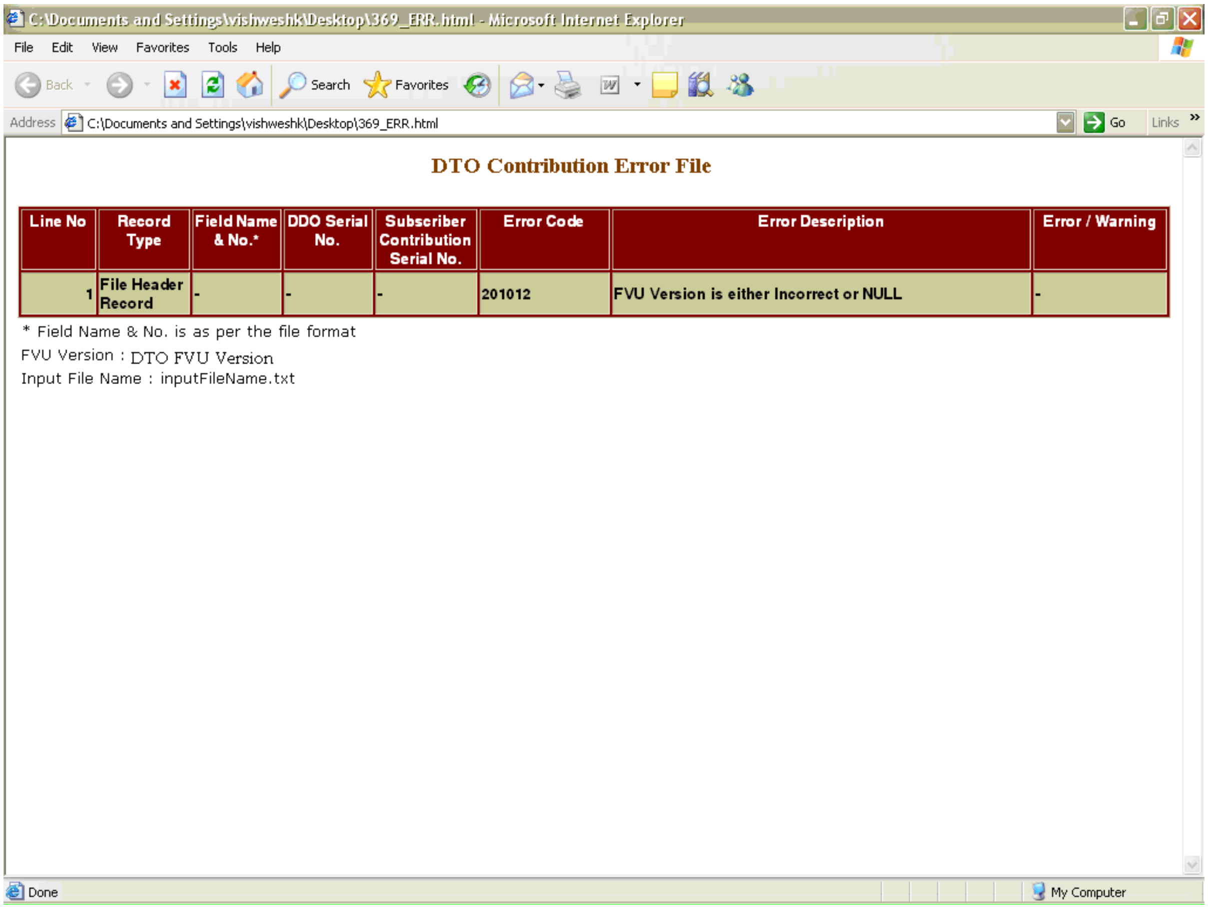

C:\Documents and Settings\vishweshk\Desktop\369_ERR.html - Microsoft Internet Explorer

DTO Contribution Error File

Line No	Record Type	Field Name & No.*	DDO Serial No.	Subscriber Contribution Serial No.	Error Code	Error Description	Error / Warning
1	File Header Record	-	-	-	201012	FVU Version is either Incorrect or NULL	-

* Field Name & No. is as per the file format
FVU Version : DTO FVU Version
Input File Name : inputFileName.txt

चित्र 37

5.4 एससीएफ के लिए एनपीएससीएएन में वैधीकरण

एनपीएससीएएन निम्नविधित वैधीकरण करेगा. वैधीकरण के असफल होने के मामले में एनपीएससीएएन पूरी फाइल को अस्वीकार कर देगा और डीटीए / डीडीओ को त्रुटियां सुधारनी होंगी तथा एक नई फाइल अपलोड करनी होगी.

1. यदि अभिदाता का रेकॉर्ड एनपीएससीएएन में पहले से विद्यमान है, एक विशिष्ट महीने तथा 'Regular' प्रकार के अंशदान के लिए, अभिदाता अंशदान फाइल अस्वीकार कर दी जाएगी.

2. डुप्लीकेट फाइलें (एक ही बैच आईडी रखने वाली) एनपीएससीएएन में अस्वीकार कर दी जाएंगी.

3. यदि फाइल एफपीयू तथा एफवीयू के किसी पुराने वर्सन के माध्यम से तैयार तथा वैधीकृत की गई है तो एनपीएससीएएन फाइल को स्वीकार नहीं करेगा.

4. एनपीएससीएएन किसी वैध प्रैन के लिए अंशदान स्वीकार नहीं करेगा (भले ही उचित प्रैन-डीडीओ या प्रैन-डीटीओ मैपिंग विद्यमान न हो), बशर्ते उस प्रैन के लिए कोई वैध डीटीओ-डीटीओ मैपिंग विद्यमान हो.

5. एनपीएससीएएन उन मामलों के लिए विशिष्ट रिपोर्टे जनरेट करेगा जहां प्रैन-डीडीओ या प्रैन-डीटीओ मैपिंग विद्यमान है.

6. यदि अनुरोध (मृत्यु तथा त्यागपत्र) ऐसे अभिदाता के लिए पहले से ही स्वीकृति स्थिति में है जो एससीएफ का हिस्सा है, संपूर्ण एससीएफ अस्वीकार कर दी जाएगी. सेवानिवृत्ति के कारण आहरण के मामले में, एनपीएससीएएन उस समय एससीएफ के अपलोड को अस्वीकार कर देगा, यदि इसे आहरण अनुरोध के निष्पादन की तारीख से 15 दिन पूर्व अपलोड किया जाता है.

7. डीटीए / डीटीओ भावी संदर्भ के लिए एनपीएससीएएन में अपलोड की गई अंशदान फाइल का बैक-अप ले सकते हैं. फाइल में अभिदाता स्तर के ब्यौरे मध्यवर्ती फाइल (.fvu file) को खोलकर एफपीयू में ही देखे जा सकते हैं. अतएव डीटीए / डीटीओ को एनपीएससीएएन में अपलोड की गई सभी फाइलों (.fvu विस्तार से मुक्त) का बैक-अप लेना होगा.

8. यह नोट किया जाए कि ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियों में, किसी एकल रेकॉर्ड में पाई गई त्रुटि के बावजूद संपूर्ण एससीएफ अस्वीकार कर दी जाएगी. अतएव डीटीए / डीडीओ को सुनिश्चित करना होगा कि नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार सुधारा जाए.

5.5. वैधीकरण पश्चात् परिदृश्य

1. एनपीएससीएएन प्रणाली में फाइल के स्वीकृत तथा वैधीकृत हो जाने के बाद, उसे सीआरए प्रणाली में भेजा जाएगा. सीआरए सिस्टम भी फॉर्मेट तथा बिजनेस स्तरीय वैधीकरण करेगा और फाइल को प्रोसेस करने से पूर्व फाइल में घाल-मेल (हैश) का सत्यापन करेगा. यदि वैधीकरण सफल हैं, तो सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति 'सीआरए में स्वीकृत' होगी. यदि वैधीकरण असफल रहता है तो सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति 'सीआरए में अस्वीकृत' होगी. सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति यूजर के लाभ में लिए दोनों मामले में एनपीएससीएन प्रणाली को वापस सूचित की जाएगी.

2. यदि फाइल एनपीएससीएएन में स्वीकार की जाती है, किन्तु सीआरए में अस्वीकार की जाती है तो फाइल की स्थिति 'सीआरए में अस्वीकृत' रूप में अद्यतन की जाएगी. ऐसे मामले में, एनपीएससीएएन में फाइल के लिए जनरेट हुआ ट्रांजैक्शन आईडी वैध नहीं होगा और डीटीए / डीटीओ को ऐसे ट्रांजैक्शन आईडी के लिए करेक्शन फाइल अपलोड नहीं करनी चाहिए.

3. यदि फार्मेट या बिजनेस स्तरीय वैधीकरण असफल रहता है, एनपीएससीएएन प्रणाली "एनपीएससीएएन मे अस्वीकृत" रूप में फाइल की स्थिति को अद्यतन करेगा और एक त्रुटि फाइल जनरेट करेगा जो यूजर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी. इसके अलावा, अस्वीकृतियां सूचित करने के लिए डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल भी भेजा जाएगा.

4. ऐसी सभी फाइलों के लिए, जो एनपीएससीएएन या सीआरए में अस्वीकार कर दी गई हैं, डीटीए / डीटीओ को त्रुटियां सुधारना होगा तथा एक नई फाइल अपलोड करनी होगी.

5. सफलतापूर्वक अपलोड के बाद एनपीएससीएएन एक अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा जिसका प्रिंट लेकर निधियो के अंतरण के साथ न्यासी बैंक को प्रस्तुत करना होगा.

6. दिवस टी को 17.30 बजे तक अपलोड की गई एससीएफ को टी+1 को सीआरए में निपटान प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा. बशर्ते न्यासी बैंक को निधियां अंतरित की गयी हैं और निधि पुष्टि रसीद उसके द्वारा सीआरए में अपलोड की गयी है.

<u>सारांश</u>

- **अपलोड की जाने वाली एससीएफ को एफवीयू का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक वैधीकृत किया जाना चाहिए.**
- **डीटीए / डीटीओ यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन में एससीएफ को अपलोड करेंगे. इस प्रयोजन के लिए एनपीएससीएएन में निष्पादक-जॉचकर्ता (मेकर-चेकर) की आवश्यकता नहीं है.**

- दिवस टी को 17.30 बजे तक डीटीए / डीडीओ द्वारा अपलोड की गई सभी अभिदाता अंशदान फाइलों पर टी+1 को सीआरए मे निपटान प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा.

- सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने पर एक फाइल संदर्भ संख्या जनरेट होगी और फाइल को स्वीकार करने पर एनपीएससीएएन द्वारा एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट किया जाएगा.

- फाइल के स्वीकार होने पर एक अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) जनरेट होगा जिसे प्रिंटकर निधियों के अंतरण पर न्यासी बैंक को दिया जाना चाहिए.

- डीटीए / डीटीओ को अभिदान अंशदान ब्यौरे के बारे में सीआरए को कोई समर्थनकारी दस्तावेज भेजने की जरुरत नहीं है. अभिदाता अंशदान को एनपीएससीएएन के जरिए डीटीए / डीटीओ द्वारा अपलोड की गई इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर ही सीआरए द्वारा संसाधित किया जाएगा.

6. संशोधन फाइल

एनपीएससीएएन पहले अपलोड की गई किसी फाइल, जो एनपीएससीएएन तथा सीआरए प्रणाली द्वारा स्वीकार की गई है और जिसके लिए एनपीएससीएएन द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी जारी किया गया है, के लिए डीटीओ को एक संशोधन (करेक्शन) फाइल अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है. जब डीटीए / डीटीओ किसी गलत आंकडे के कारण मूल फाइल में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे संशोधन फाइल अपलोड कर सकते हैं. यूजर कृपया नोट करें कि संशोधन फाइल सिर्फ ऐसी फाइल के लिए अपलोड की जा सकती है जो पहले से ही अपलोड और एनपीएससीएएन तथा सीआरए द्वारा स्वीकार की गई हो. यदि कोई फाइल एनपीएससीएएन तथा / या सीआरए द्वारा अस्वीकार की गई है तो यूजर को एक नई फाइल, न कि संशोधन फाइल, अपलोड करनी होगी. इसके अलावा, यदि मूल फाइल एनपीएससीएएन / सीआरए में मिलान तथा दर्ज की गई स्थिति में है, अर्थात् मूल फाइल सीआरए में या तो 'Accepted' या 'Match Failed' स्थिति में है तो यूजर संशोधन फाइल अपलोड नहीं कर सकता है.

6.1 संशोधन फाइल तैयार करने तथा वैध बनाने की प्रक्रिया

संशोधन फाइल तैयार करने के लिए यूजर को पहले अंशदान अपलोड का प्रकार 'Correction' के रूप में सिलेक्ट करना होगा तथा निर्दिष्ट फील्ड में ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख करना होगा. यूजर कृपया नोट करें कि अपलोड का प्रकार 'करेक्शन' होने के मामले में ट्रांजैक्शन आईडी अनिवार्य है. संशोधन फाइल नियमित फाइल की तरह ही तैयार तथा वैधीकृत की जानी होती है. यदि एक भी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो यूजर को पूरी फाइल तैयार तथा अपलोड करनी होगी. यदि जिस मूल फाइल के लिए संशोधन फाइल अपलोड की जा रही है उस फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख नहीं किया गया है तो पूरी फाइल अस्वीकार कर दी जाएगी. यूजर को दिया गया व्यू नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में होगा.

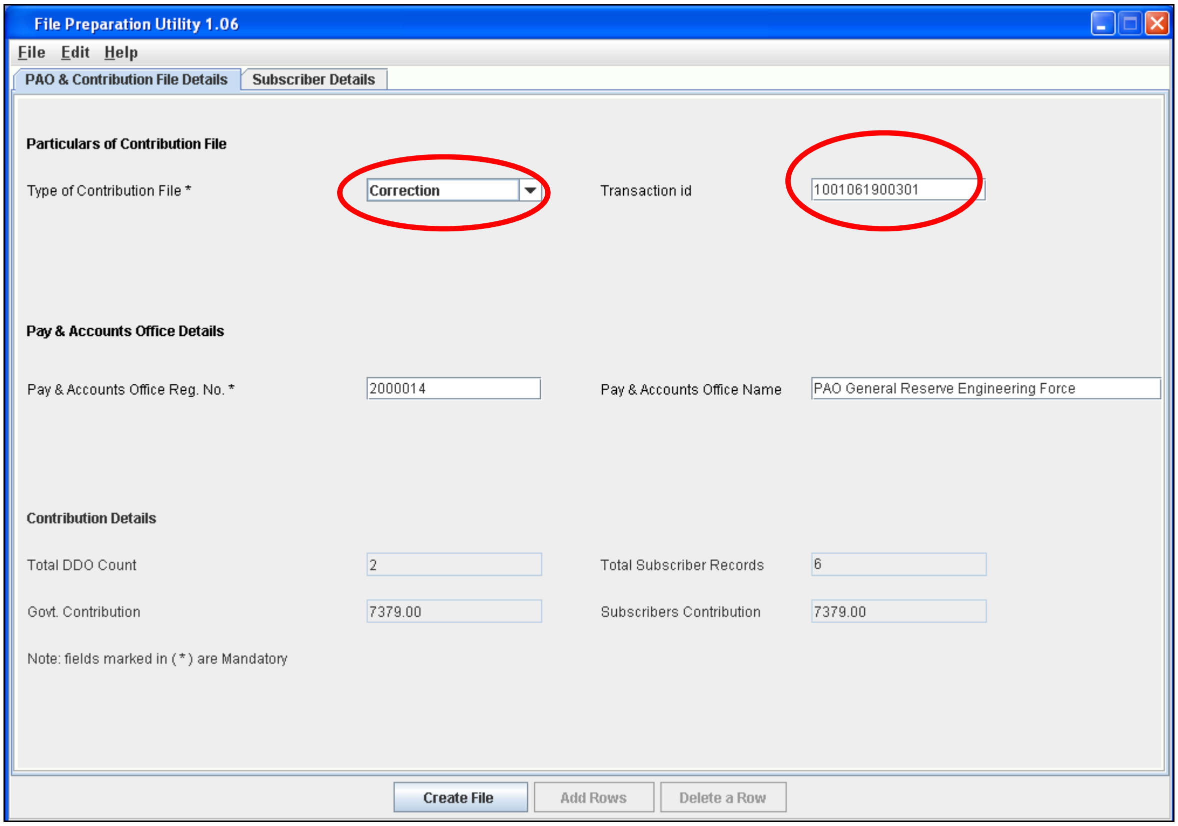

चित्र 38

6.2 संशोधन फाइल के अपलोड की प्रक्रिया

एनपीएससीएएन में संशोधन फाइल अपलोड करने के लिए यूजर को उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जो नियमित फाइल अपलोड करने के लिए अपनायी गयी थी. संशोधन फाइल अपलोड के मामले में, एनपीएससीएएन को निम्नलिखित वैधीकरण करना होगा :

1. संशोधन फाइल अपलोड के लिए, एनपीएससीएएन फाइल को दिये मूल ट्रांजेक्शन आईडी की विद्यमानता की जाँच करेगा. यदि यह प्रणाली में विद्यमान नहीं है तो एनपीएससीएएन संशोधन फाइल को अस्वीकार कर देगा.

2. एनपीएससीएएन मूल फाइल की स्थिति की जाँच करेगा. यदि मूल फाइल मिलान तथा दर्ज की गई स्थिति में है तो एनपीएससीएएन संशोधन फाइल को अस्वीकार कर देगा.

3. संशोधन फाइल के सफलतापूर्वक अपलोड के लिए कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं होगा.

4. यदि संशोधन फाइल को सफलतापूर्वक संसाधित किया जाता है तो वह पूर्व फाइल को प्रातिस्थापित कर देगी जिसके लिए संशोधन फाइल अपलोड की गई है. पूर्व फाइल की स्थिति "Cancelled" में बदल जाएगी.

5. संशोधन फाइल की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर, एनपीएससीएएन अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म जनरेट करेगा. यूजर इस फॉर्म को डाउनलोड करेगा तथा इसका प्रिंट लेगा और इसे अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक को प्रस्तुत करेगा.

6. मूल फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग फाइल खोजने के लिए किया जाएगा.

7. यदि संशोधन फाइल को एनपीएससीएएन प्रणाली में सफलतापूर्वक संसाधित किया जाता है तो एनपीएससीएएन इस संशोधन फाइल की स्थिति एनपीएससीएएन में "Accepted" रूप में अंकित करेगा जैसाकि नीचे चित्र में दर्शाया गया है और उसे सीआरए प्रणाली मे अद्यतन किया जाएगा.

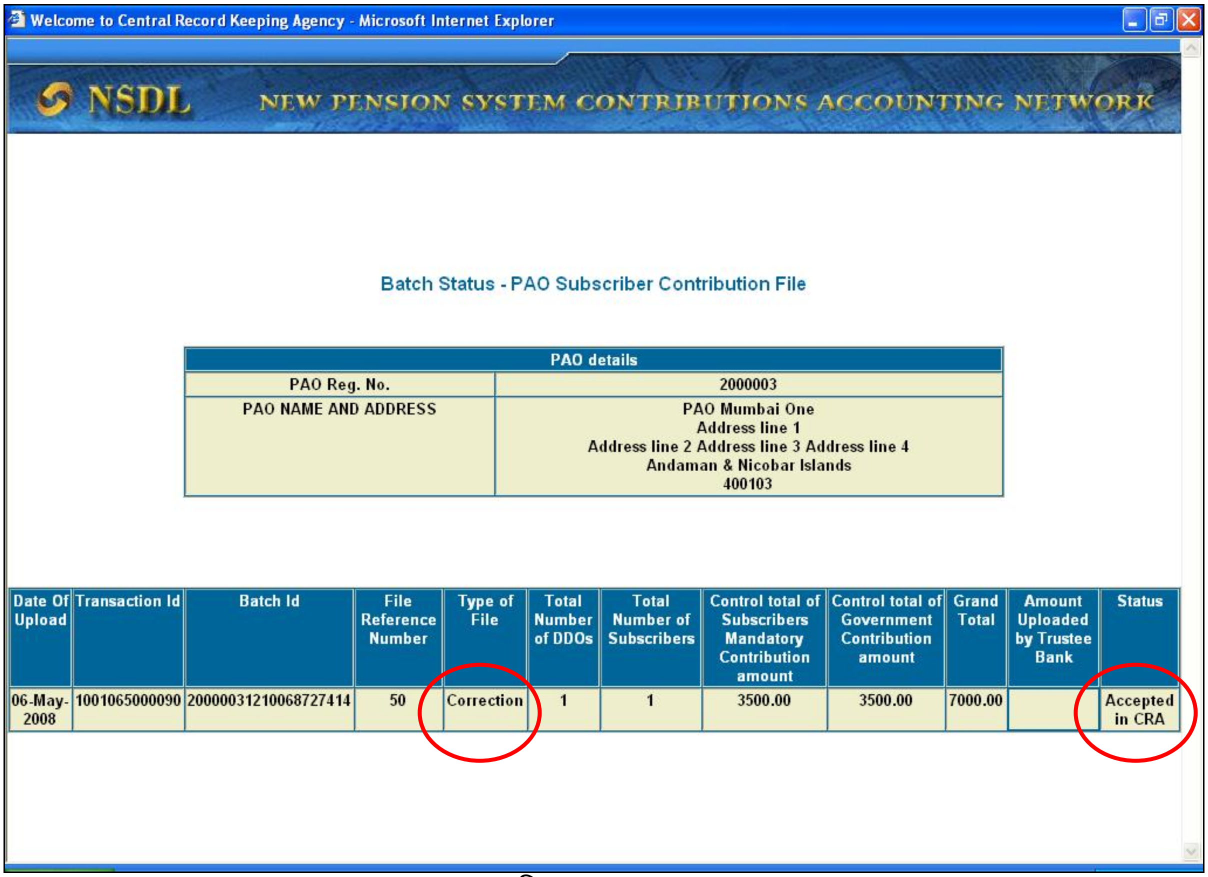

PAO details	
PAO Reg. No.	2000003
PAO NAME AND ADDRESS	PAO Mumbai One Address line 1 Address line 2 Address line 3 Address line 4 Andaman & Nicobar Islands 400103

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
06-May-2008	1001065000090	20000031210068727414	50	Correction	1	1	3500.00	3500.00	7000.00		Accepted in CRA

चित्र 39

सारांश

- यदि अपलोड की गई मूल फाइल, जिसे सीआरए द्वारा स्वीकार किया गया है, में कोई परिवर्तन किया जाना है तो संशोधन फाइल अपलोड की जा सकती है.
- डीटीए / डीटीओ को मूल फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख करना चाहिए.
- डीटीए / डीटीओ को यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करते हुए संशोधन फाइल अपलोड करनी चाहिए.

7. न्यासी बैंक को निधियो का अंतरण

7.1 न्यासी बैंक मे अंशदान राशि जमा करना (अपलोड का केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत मॉडल)

जब फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर ली गई है और एनपीएससीएएन से रसीद जनरेट हो गई है (सीएसएफ चित्र 30 में दर्शायी गई है), यूजर (डीटीए / डीटीओ) सीएसएफ का प्रिंट लेगा. डीटीए / डीटीओ सीएसएफ में उल्लिखित अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक में सीएसएफ प्रस्तुत करेगा. डीटीए / डीटीओ यूजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यासी बैंक को सीएसएफ प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे किये जाते हैं:

1. सीएसएफ प्रिंट की जानी चाहिए और संबंधित खाली फील्डों (अर्थात भुगतान ब्यौरे) डीटीए / डीटीओ (यूजर) द्वारा भरे जाएं. यूजर अपने रिकॉर्ड तथा भावी संदर्भ के लिए अतिरिक्त प्रति प्रिंट कर सकता है.

2. डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक के पास अंशदान राशि जमा करनी होगी. यदि भुगतान का ढंग चेक या डीडी के माध्यम से है तो डीटीए / डीटीओ को सीएसएफ में चेक / डीडी संख्या, चेक / डीडी की तारीख तथा बैंक की शाखा का नाम जहां से चेक / डीडी आहरित है, का उल्लेख करना होगा.

3. डीटीए / डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि सीएसएफ में उल्लिखित राशि के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. यदि डीटीए / डीटीओ गलत राशि जमा करता है तो एससीएफ की स्थिति का मिलान नहीं हो पाएगा.

4. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना होगा कि न्यासी बैंक द्वारा पावती के रूप में दिये गये सीएसएफ के प्रतिपूर्ण को उसके रिकॉर्ड प्रयोजन के लिए तथा किसी विसंगति के मामले में भावी संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए.

5. यदि निधि पुष्टि फाइल टी+3 दिनों (टी एनपीएससीएएन में अपलोड करने का दिन है) के भीतर न्यासी बैंक द्वारा अपलोड नहीं की जाती है तो सीआरए प्रणाली से डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल एलर्ट भेजा जाएगा. एलर्ट के प्राप्त होने पर डीटीए / डीटीओ निधि पुष्टि फाइल अपलोड करने के लिए न्यासी बैंक से संपर्क करेगा

7.2 न्यासी बैंक में अंशदान राशि जमा करना (अर्ध - केन्द्रीकृत मॉडल)

जब फाइल सफलतापूर्वक आपलोड कर ली गई है और एनपीएससीएएन में रसीद जनरेट हो गई है. (सीएसएफ चित्र 30 में दर्शायी गयी है), डीटीए यूजर सीएसएफ का एक प्रिंट लेगा. डीटीए सीएसएफ में उल्लिखित अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक को सीएसएफ प्रस्तुत करेगा. इस मामले में सीएसएफ में ऊपर चित्र 30 में दर्शाये गये सभी विवरण निहित होंगे. इस सीएसएफ में एकमात्र अंतर यह होगा कि ट्रांजैक्शन आईडी के बजाय सुपर ट्रांजैक्शन आईडी प्रदर्शित होगा. इसके बाद डीटीए को न्यासी बैंक को समेकित राशि अंतरित करनी होगी. ऐसे मामलो में न्यासी बैंक को जाने वाली सूचना में डीटीए पंजीकरण संख्या, सुपर ट्रांजैक्शन आईडी तथा अंतरित राशि शामिल होगी, न्यासी बैंक को डीटीओ द्वारा अपलोड की गई फाइलों के लिए एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट किये गये अन्तर्निहित ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा.

7.3. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से निधियों का अंतरण

डीटीए / डीटीओ एनईएफटी / आरटीजीएस जैसी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सुविधाओं का प्रयोग करते हुए भी न्यासी बैंक को निधियां अंतरित कर सकता है.

निधियां अंतरित करते समय डीटीए / डीटीओ को प्रेषणकर्ता बैंक (जो एनईएफटी / आरटीजीएस अंतरण अनुदेश पर कार्रवाई शुरू करता है) की निम्ननिखित विवरण प्रदान करने चाहिए :

- एनपीएस न्यास खाता संख्या
- डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या
- ट्रांजैक्शन आईडी

आंतरित की जाने वाली राशि ऊपर उल्लिखित ट्रांजैक्शन आईडी के लिए एससीएम मे राशि के बराबर होनी चाहिए. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेषणकर्ता बैंक न्यासी बैंक को एनईएफटी / आरटीजीएस अनुदेश के साथ डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी के विवरण देता है. **यह सूचना आरटीजीएस अंतरण के लिए आरटीजीएस संदेश (आर-41) के फील्ड 7495 (प्रेषक से प्राप्तकर्ता सूचना, पंक्ति सख्या 4) में दी जानी चाहिए. एनईएफटी अंतरण के लिए यह सूचना एनईएफटी संदेश के फील्ड 7002 (प्रेषण. की उत्पत्ति) में दी जानी चाहिए.** उपर्युक्त सूचना के अभाव में, न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली में प्राप्त निधियों के विवरण अपलोड करने की स्थिति में नही होगा. ऐसे मामले में निवेश के लिए पीएफएम को अंतरित की जाने वाली धनराशि में भी विलम्ब हो जाएगा तथा अभिदाता के खाते में प्रविष्टि न्यासी बैंक को अंतरित निधियों के सही विवरण प्रस्तुत किये जाने के

बाद ही हो पाएगी. डीटीए / डीटीओ को अंशदान की स्थिति का पता लगाना चाहिए और यदि भुगतान विवरण सीआरए प्रणाली में दिखाई न दे रहे हों तो न्यासी बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए.

<u>7.4 अंतरित अंशदान राशि की स्थिति का पता लगाना.</u>

डीटीए / डीटीओ हाइपरलिंक पर क्लिक करके तथा एनपीएससीएएन से सीएसएफ को डाउनलोड करके विवरण देख सकता है. डीटीए /डीटीओ फाइल संदर्भ संख्या एंटर करके एनपीएससीएएन में अपलोड की गई फाइल की स्थिति देख सकता है. यदि न्यासी बैंक ने निधि प्राप्ति पुष्टि फाइल अपलोड की है और फाइल को मिलाया तथा दर्ज किया गया है तो फाइल की स्थिति नीचे दर्शाये गये रूप में होगी.

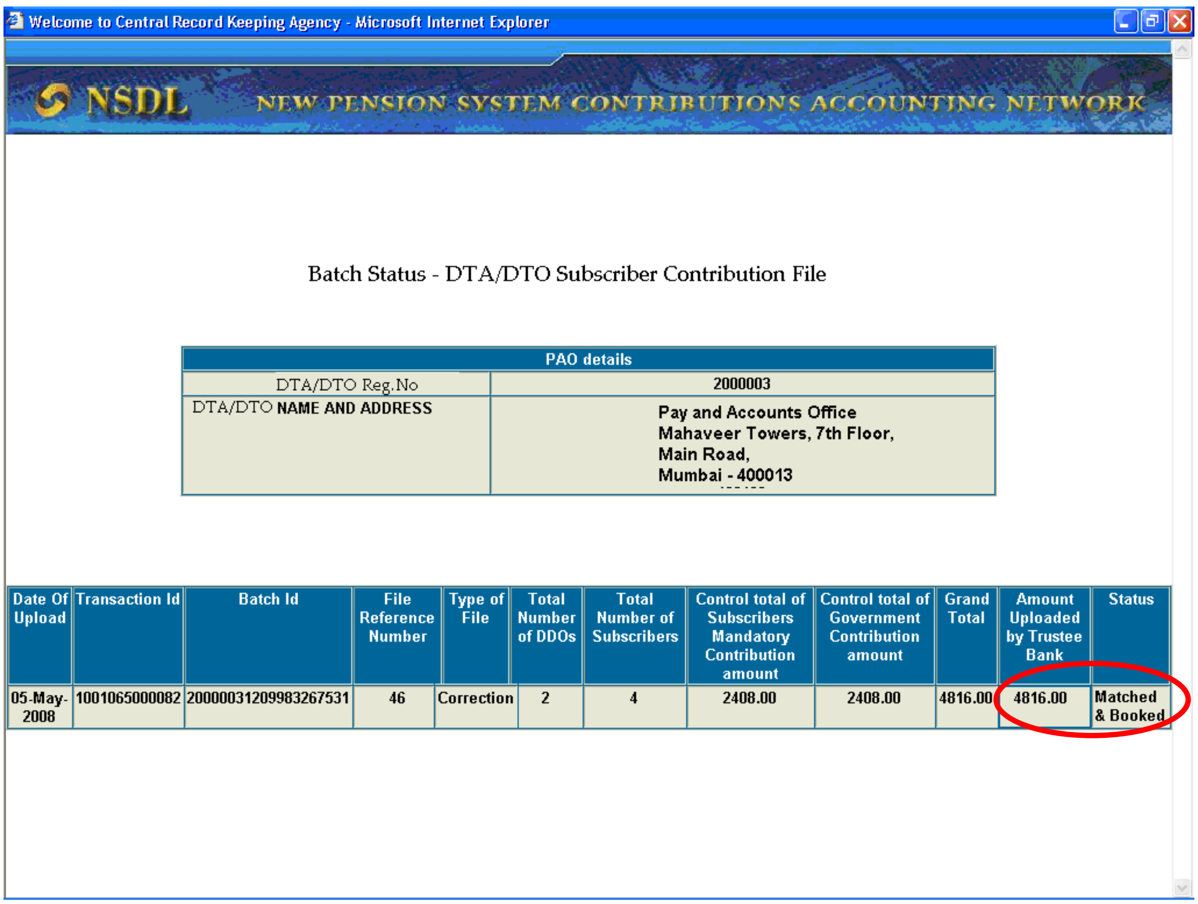

Batch Status - DTA/DTO Subscriber Contribution File

PAO details	
DTA/DTO Reg.No	2000003
DTA/DTO NAME AND ADDRESS	Pay and Accounts Office Mahaveer Towers, 7th Floor, Main Road, Mumbai - 400013

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
05-May-2008	1001065000082	20000031209983267531	46	Correction	2	4	2408.00	2408.00	4816.00	4816.00	Matched & Booked

चित्र 40

यदि फाइल मिलान विफल (Match Failed) स्थिति में है, जिसका व्यू "File Upload Status View" मे उपलब्ध है (जैसाकि चित्र 24 में दर्शाया गया है), तो डीटीए / डीडीओ को यह जांचना चाहिए कि क्या न्यासी बैंक को अंतरित राशि एससीफ में उल्लिखित

राशि से मेल खाती है. यदि अंतरित राशि वही है तो डीटीए / डीटीओ को विसंगति दूर करने के लिए न्यासी बैंक को सूचित करना चाहिए. इसके बाद न्यासी बैक संशोधित रिकॉर्डो से युक्त फाइल अपलोड करेगा.

सारांश

- **डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक में अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म के अनुसार कुल राशि जमा करनी चाहिए.**

- **यदि निधियां इलेक्ट्रॉनिक अंतरण जैसे एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित की जाती हैं, डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक बैंक (डीटीए / डीटीओ का प्रामाणिक बैंक) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश में डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या तथा ट्रांजैक्शन आईडी दिया जाता है.**

- **यदि निधि पुष्टिकरण रसीद जमा के तीन दिन के भीतर न्यासी बैंक द्वारा अपलोड नहीं की जाती है तो डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल एलर्ट प्राप्त होगा.**

- **जहां एससीएफ की स्थिति एनपीएससीएएन में 'मिलान विफल' रूप में दर्शायी गयी है, वहां डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक के साथ अनुवर्तन करना चाहिए.**

8. अनुवर्ती महीनों के लिए फाइल तैयार करना :

1) अगले महीने के लिए अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) तैयार करते समय डीटीए/ डीटीओ पिछली एससीएफ का प्रयोग कर सकते हैं और वेतन माह आदि जैसे आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं. डीटीए / डीटीओ का एससीएफ तैयार करने से पूर्व परिवर्तनों की निम्नलिखित निदर्शी सूची पर विचार करना चाहिए :

   i) पदोन्नति
   ii) किसी अभिदाता को वेतनवृद्धि
   iii) किसी / सभी अभिदाताओं को बकाया राशि
   iv) वेतन रहित छुट्टी
   v) शामिल होने वाले नये अंशदाता
   vi) अन्य डीटीए / डीटीओ से किसी मौजूदा अभिदाता का स्थानांतरण
   vii) मौजूदा अभिदाता की सेवानिवृत्ति / अन्य डीटीए / डीटीओ को स्थानांतरण
   viii) अभिदाता का त्यागपत्र

2) यदि उपर्युक्त कोई परिवर्तन नहीं है तो डीटीए / डीटीओ यूजर पिछले महीने के लिए तैयार की गई एससीएफ को पुन: खोलेगा और सिर्फ महीने तथा वर्ष के ब्यौरे संशोधित करेगा तथा मध्यवर्ती फाइल और ".FPU" का अलग नाम से सेव करेगा. यदि उपर्युक्त कोई परिदृश्य उत्पन्न होता है, डीटीए / डीटीओ यूजर को एससीएफ में प्रभाव / संशोधन को समाविष्ट करना होगा. इन परिदृश्यों से उत्पन्न होने वाले संशोधन निम्नलिखित हैं:

   i) बकाये के मामले में, डीटीए / डीटीओ यूजर को "Remarks" कॉलम में टिप्पणियां उल्लिखित करनी होंगी और फाइल का प्रकार 'Arrears' के रूप में सिलेक्ट करना होगा.
   ii) पदोन्नतियों / वेतनवृद्धियों / वेतन-रहित छुट्टी के मामले में, डीटीए / डीटीओ को अभिदाता तथा सरकारी अंशदान कॉलमों में राशि संशोधित करनी होगी.
   iii) अंत:स्थानांतरण तथा बाह्य स्थानांतरण मामलों में, डीटीए / डीटीओ यूजर को मौजूदा फाइल में संबंधित कर्मचारी के सभी ब्यौरे शामिल करने चाहिए / उससे निकाल देने चाहिए और फाइल को अद्यतन करना चाहिए.
   iv) सेवानिवृत्तियों / त्यागपत्रों के मामले में, डीटीए / डीटीओ यूजर को सुनिश्चित करना होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी विवरण निकाल दिये गये हैं.

<u>सारांश</u>

- डीटीए / डीटीओ चालू महीने की अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए पिछले महीने की फाइल का प्रयोग कर सकते हैं.
- डीटीए / डीटीओ को पिछले महीने की फाइल में अंशदान-माह आदि जैसे आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए.

9. कार्यकलापों का सारांश

1. डीटीए / डीटीओ द्वारा डीडीओ-वार, अभिदाता-वार अंशदान विवरण का समेकन.

2. एफपीयू के अद्यतन वर्सन का प्रयोग करते हुए फाइल तैयार करना.

3. एफवीयू के अद्यतन वर्सन के जरिए फाइल का वैधीकरण.

4. एनपीएससीएएन प्रणाली में वैधीकृत फाइल का अपलोङ

5. अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म प्रिंट करना

6. न्यासी बैंक में अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म के साथ अंशदान राशि जमा करना.

7. एनपीएससीएएन प्रणाली में अपलोड की गईं फाइलों की स्थिति का पता लगाना.

8. यदि फाइलें एनपीएससीएएन में अस्वीकृत हैं या फाइलें मिलान विफल स्थिति में हैं तो संशोधन फाइलें अपलोड करना.

9. सीआरए प्रणाली से एलर्ट प्राप्त होने पर अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) के प्रस्तुतीकरण के तीन दिन के भीतर एफआरसी के अपलोड नहीं किये जाने के मामले में न्यासी बैक के साथ समन्वय.

****

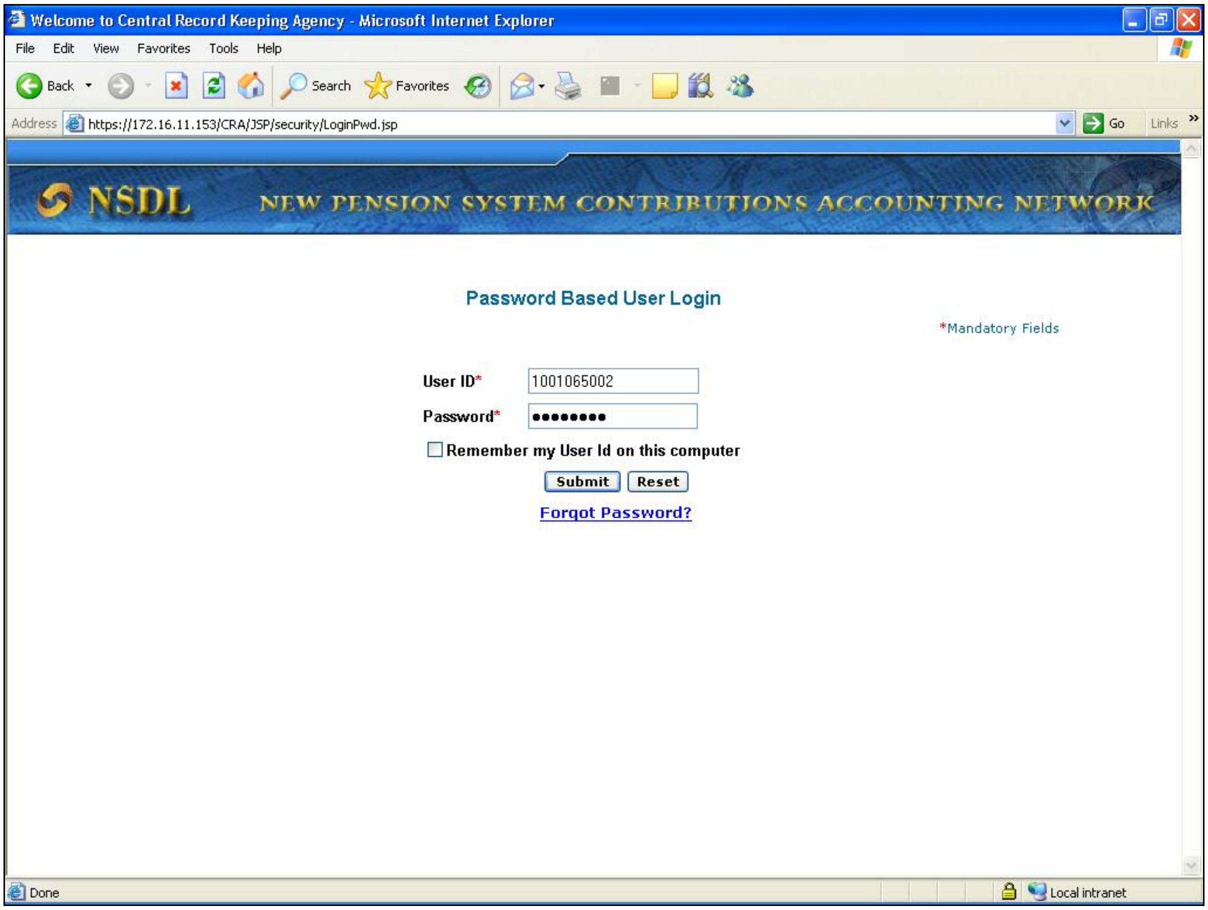

चित्र 21

3. यदि डीटीए / डीटीओ यूजर अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड सही ढंग से एंटर करता है तो यूजर प्रणाली में सफलतापूर्वक लागइन कर सकता है. सफलतापूर्वक लॉगइन के बाद डीटीए / डीटीओ यूजर को नीचे दर्शाये गये रूप में मेनु से "Contribution Details - Upload" विकल्प को चुनना होगा.

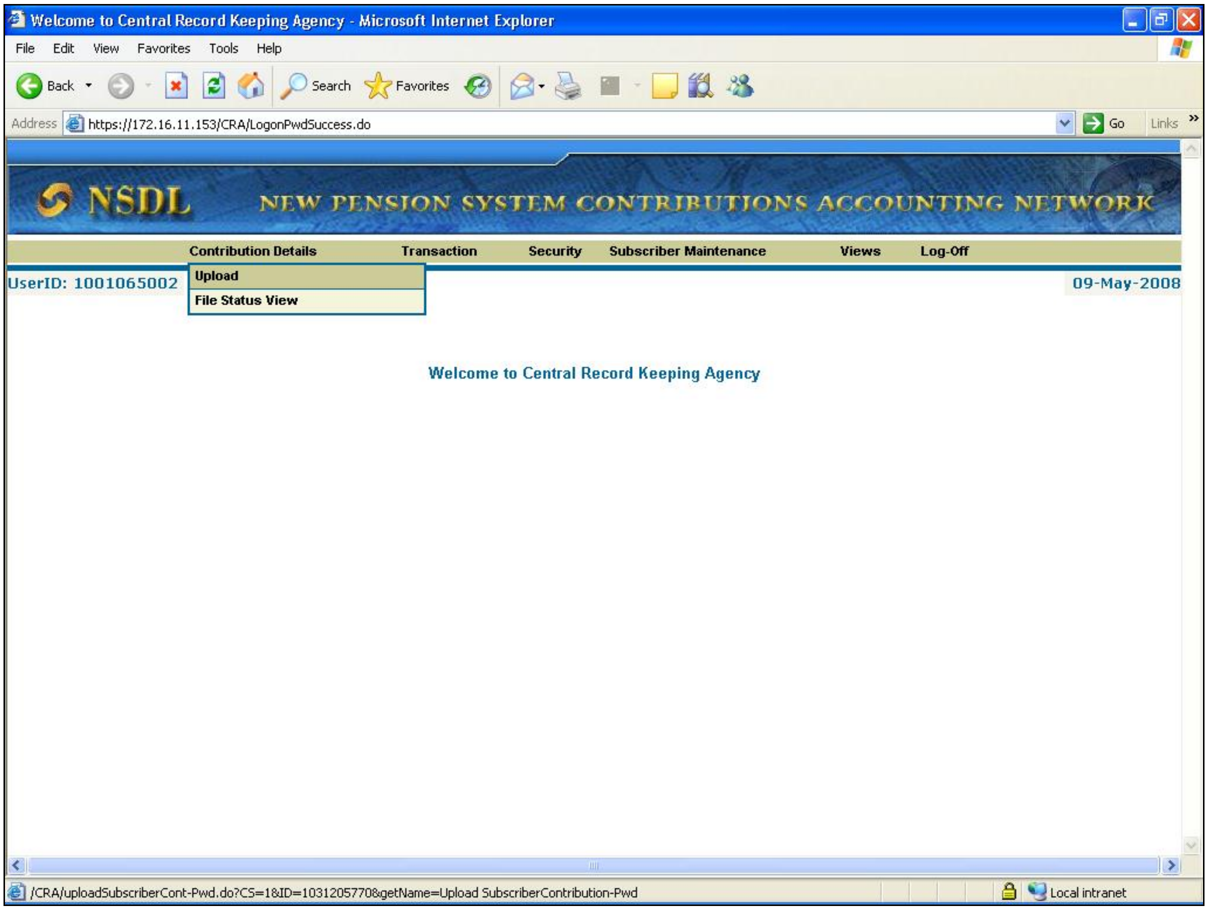

चित्र 22

4. अंशदान अपलोड के केन्द्रीकृत मॉडल के अपलोड के मामले में ऊपर दर्शाया गया ऑप्शन डीटीओ को उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि अंशदान अपलोड का कार्य एक समेकित रूप में अंतर्निहित डीटीओ की ओर से डीटीए द्वारा निष्पादित किया जाएगा. "Upload" का विकल्प चुनने पर एनपीएससीएएन फाइलों को अपलोड करने के लिए नीचे दर्शाये गये रूप में एक स्क्रीन प्रदर्शित करेगा :

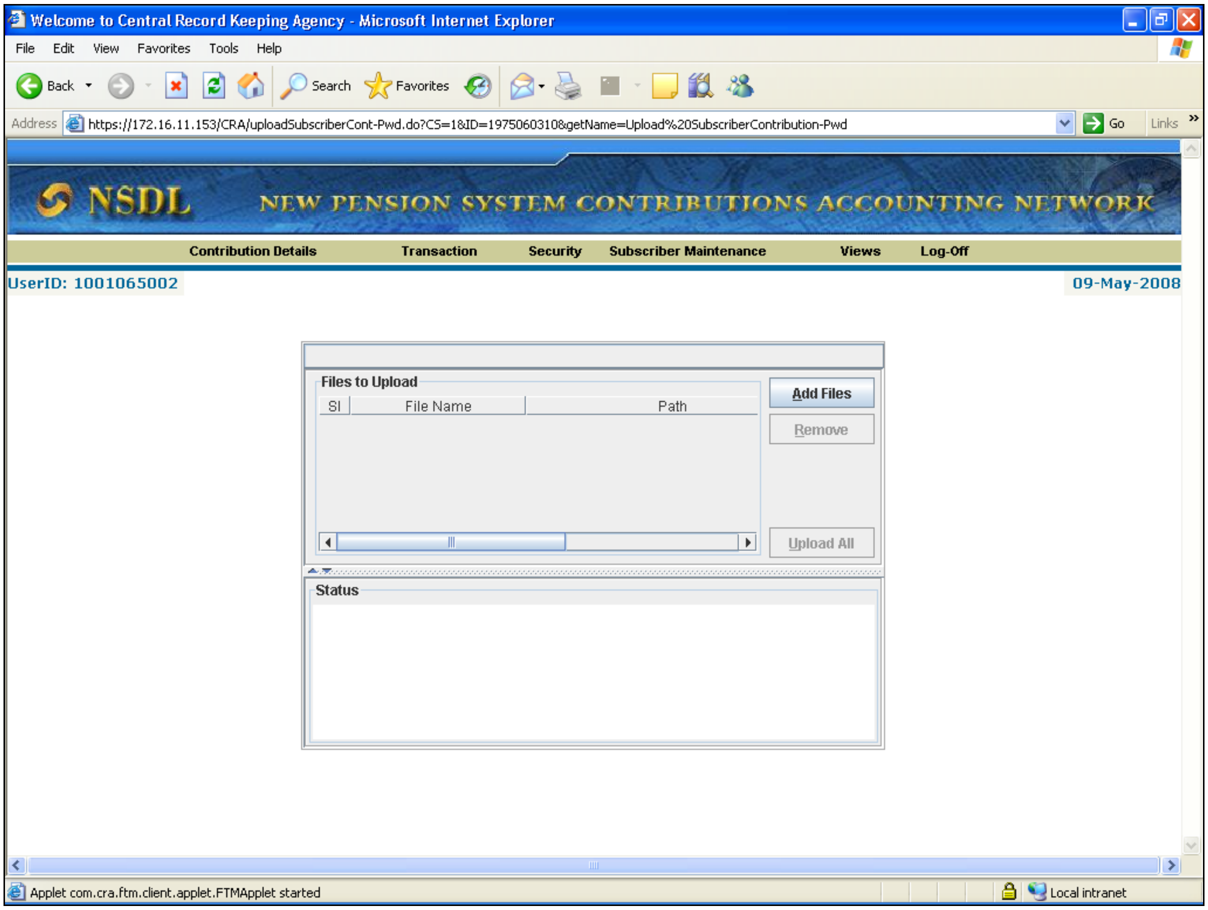

चित्र 23

टिप्पणी :

यदि IE तथा J2SE का उपयुक्त विन्यास मशीन में लगाया नहीं गया है तो फाइल अंशदाता अंशदान -अपलोड विकल्प का चयन करने की स्थिति में यूजर को स्क्रीन पर कोई ब्यौरा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा

5.उपर्युक्त स्क्रीन में डीटीए / डीटीओ यूजर को एससीएफ को अपलोड में शामिल करने के लिए "Add Files" ऑप्शन को चुनना होगा. जब यूजर "Add Files" बटन को सिलेक्ट करता है , अपलोड की जाने वाली फाइल को सिलेक्ट करने के लिए यूजर को एक विंडो प्रदर्शित किया जाएगा.

6. यूजर को अपलोड की जाने वाली फाइल ((‘.fvu’ विस्तार से युक्त) को सिलेक्ट करना होगा तथा "Add Files" बटन पर क्लिक करना होगा. यूजर नीचे दर्शाये गये रूप में "ctrl" कुंजी की सहायता से बहुविध फाइल सिलेक्ट कर सकता है.

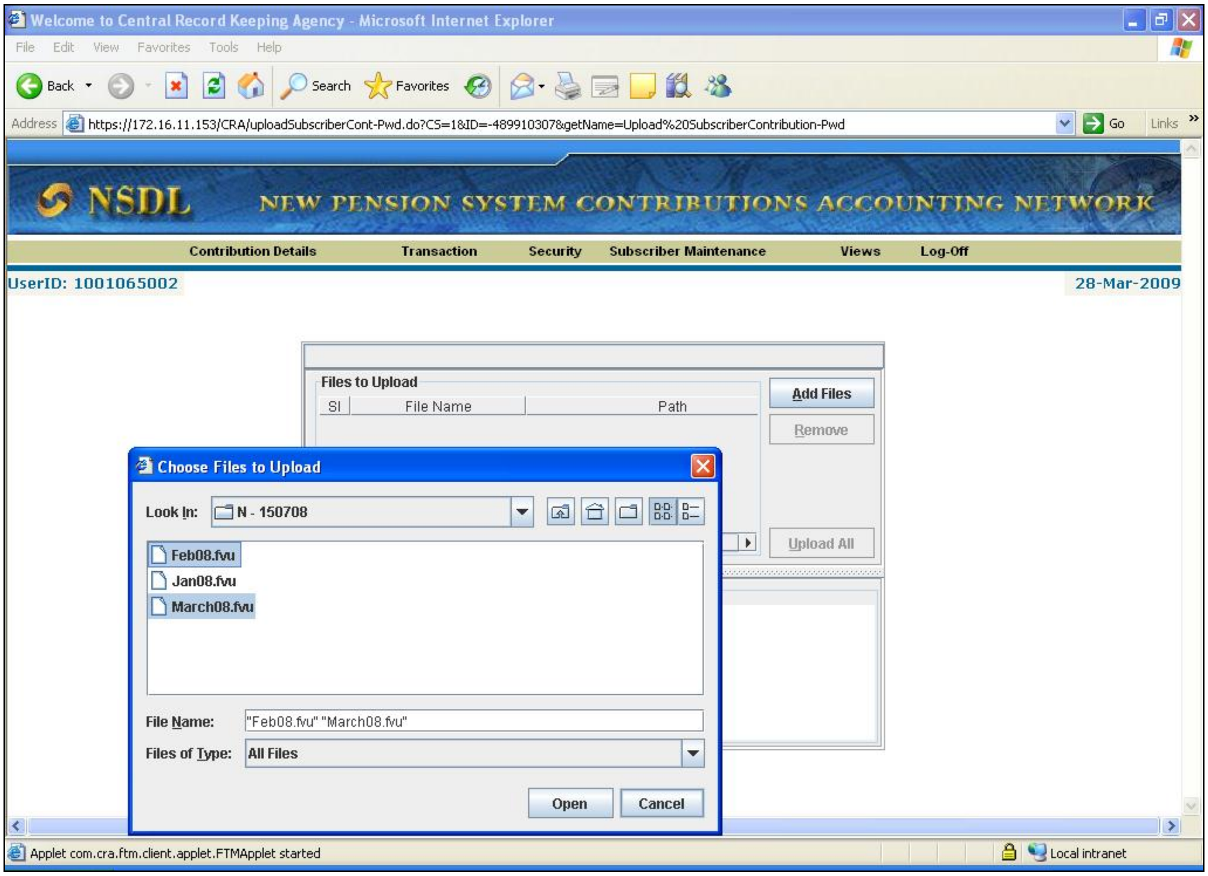

चित्र 24

7. जब अपेक्षित फाइल (फाइलें) सिलेक्ट कर ली जाती हैं, तब यूजर को फाइल लोड करने के लिए "option" बटन पर क्लिक करना होगा. जब फाइल लोड हो जाती है, एचटीएमएल नीचे उल्लिखित रूप में तथा नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में फाइल के बारे में कतिपय सूचना प्रदर्शित करेगा :

v) क्रम संख्या
vi) फाइल का नाम
vii) फाइल का आकार तथा
viii) संशोधन की पिछली तारीख तथा समय

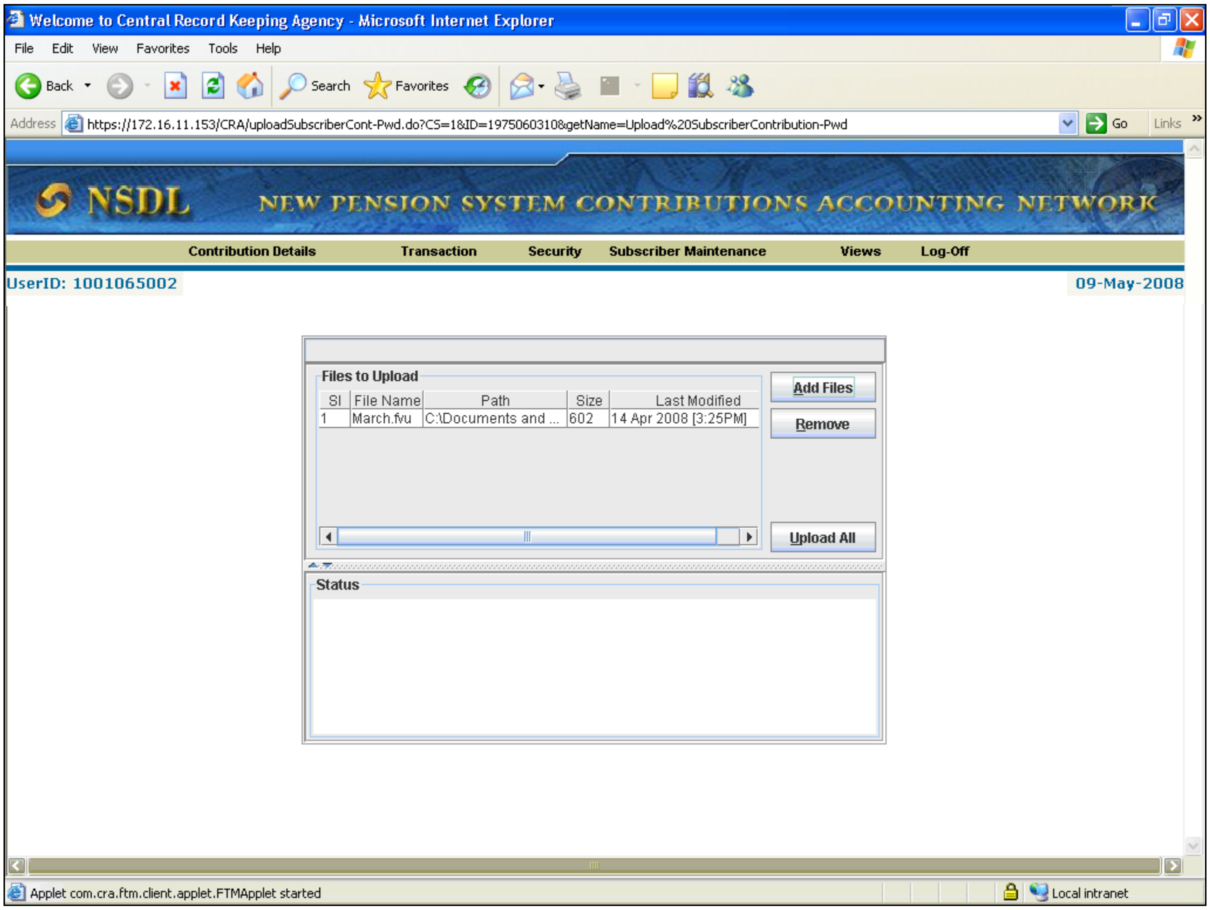

चित्र 25

8. जब फाइल सफलतापूर्वक लोड हो जाती है, यूजर को "Upload All" ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल अपलोड करनी होगी. यदि फाइल का अपलोड सफल रहा है, एनपीएससीएएन फाइल की स्थिति "एनपीएससीएएन मे अपलोड की गयी" दिखायेगा और एक विशिष्ट फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) जनरेट करेगा जो नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में यूजर को प्रदर्शित करेगा. यूजर रिकॉर्ड के लिए एफआरएन को नोट करें. यह सिर्फ यह सूचित करती हैं कि फाइल एनपीएससीएएन प्रणाली में प्राप्त हो गयी है. यह सूचित नहीं करती है कि फाइल स्वीकार की गई या नहीं. यूजर को बाद में किसी समय फाइल की स्थिति देखने के लिए एफआरएन का प्रयोग करना चाहिए.

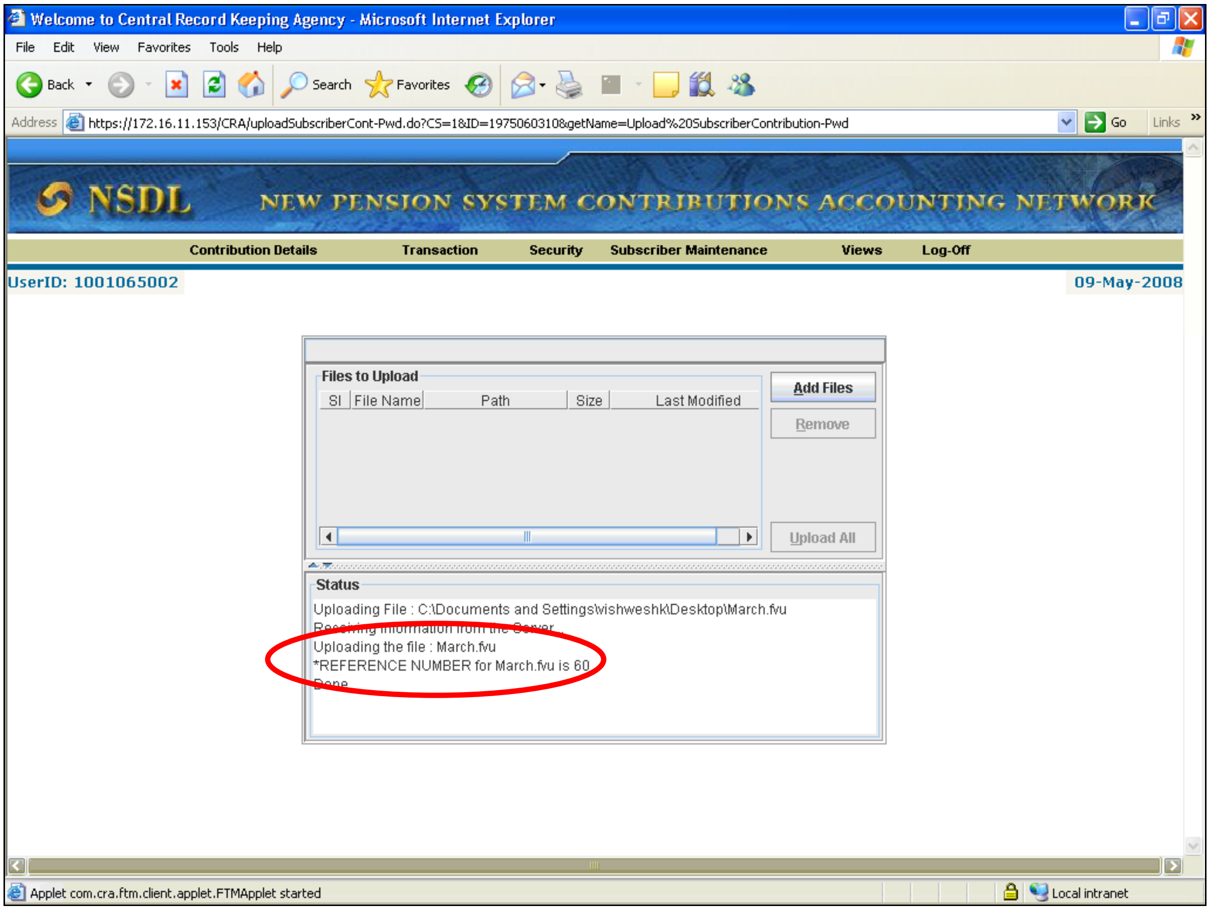

चित्र 26

9. सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद एनपीएससीएएन प्रणाली "एफपीयू" तथा "एफवीयू" द्वारा किये गये वैधीकरणों के अलावा कुछ बिजनेस तथा डाटाबेस आधारित वैधीकरण का कार्य करेगी. एनपीएससीएएन प्रणाली यह जांच करेगी कि क्या

- डीटीओ पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन वैध हैं और प्रणाली में सक्रिय हैं (ये वैधीकरण एफपीयू तथा एफवीयू स्तर पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये सीआए से नहीं जुड़े हैं और सिर्फ एकल उपयोगिताओं के रूप में परिचालित हैं)
- डीटीए - डीडीओ मैपिंग वैध है.
- यदि अंशदान का प्रकार "रेगुलर" है, प्रणाली में एक की अभिदाता के लिए एक ही महीने तथा वर्ष के लिए कोई अन्य रिकॉर्ड विद्यमान नहीं है.
- एफपीयू तथा एफवीयू वर्सन, एफवीयू हैश तथा फाइल का बैच आईडी सही है.

10. अपलोड के केंद्रीकृत मॉडल के मामले में , फाइल के सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने के बाद , एनपीएससीएएन उपर्युक्त वैधीकरणों के अलावा कुछ बिजनेस तथा डाटाबेस स्तरीय वैधीकरण करेगा. एनपीएससीएएन प्रणाली यह जांच करेगी कि क्या

- डीटीए पंजीकरण संख्या, डीडीओ पंजीकरण संख्या तथा प्रैन वैध हैं और प्रणाली में सक्रिय हैं.
- डीटीए - डीडीओ मैपिंग वैध है.

11. अपलोड की गई फाइल की स्थिति देखने के उद्देश्य से यूजन को "Contribution Details" मेनु को नैविगेट करना तथा "File Status View" ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. यूजर को निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक मानदंड एंटर करना होगा :

- फाइल संदर्भ संख्या
- बैच आईडी
- ट्रांजैक्शन आईडी
- तारीख से तथा तारीख तक

12. यूजर उपर्युक्त मानदंड के लिए उदाहरण के रूप में नीचे दिये गये आंकड़े को संदर्भित कर सकता है, जहां एंटर किया गया सर्च मानदंड "फाइल संदर्भ संख्या" है.

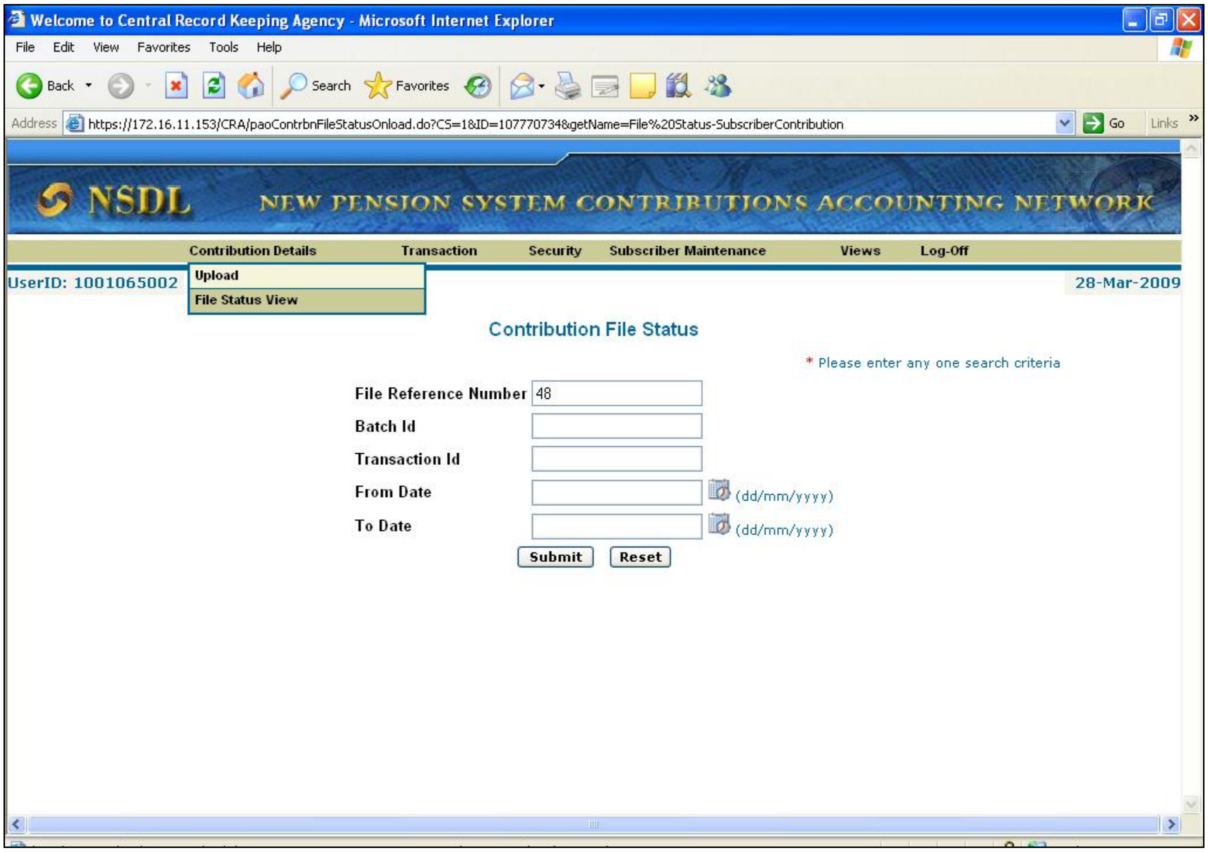

चित्र 27

13. यदि सभी वैधीकरण वैध हैं, एनपीएससीएएन प्रणाली फाइल की स्थिति "Accepted" के रूप में अद्यतन करेगी और एक विशिष्ट 13 अंकीय ट्रांजैक्शन आईडी (एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट की गई विशिष्ट रसीद संख्या) जनरेट करेगी. इसे नीचे दर्शाया गया है.

3) 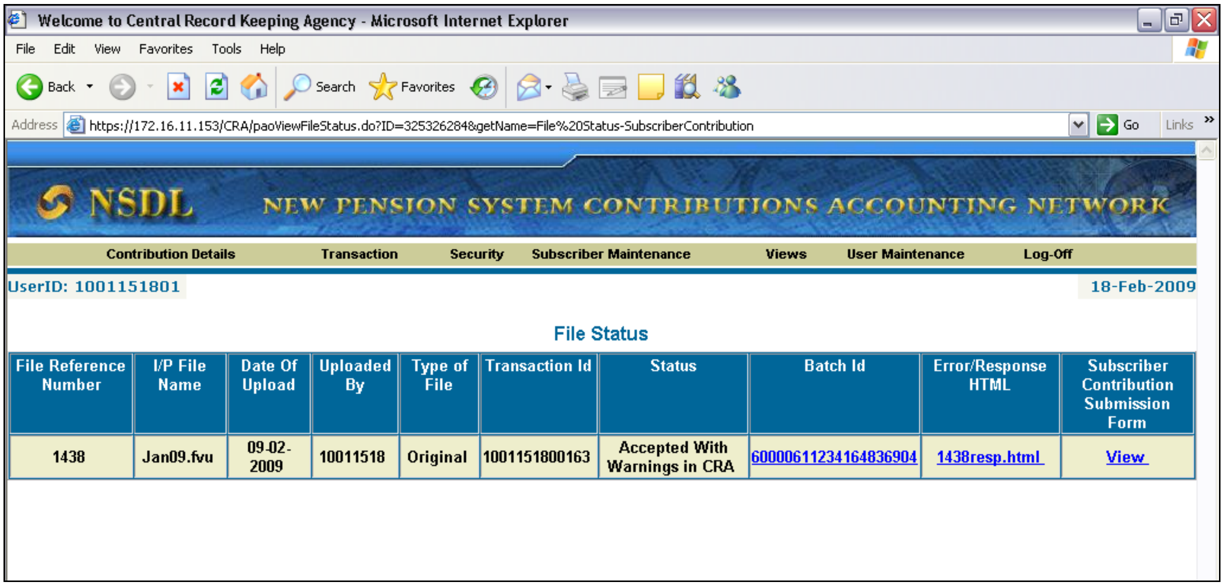

चित्र 28

14.ऊपर स्क्रीन में दर्शाये गये बैच आईडी में एक लिंक निहित है. बैच आईडी हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर अपलोड की गई फाइल के सभी ब्यौरे एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट किये गये ट्रांजैक्शन आईडी के साथ प्रदर्शित होंगे. इसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है.

Welcome to Central Record Keeping Agency - Microsoft Internet Explorer

NSDL NEW PENSION SYSTEM CONTRIBUTIONS ACCOUNTING NETWORK

Batch Status - DTO Subscriber Contribution File

DTO Reg. No.	2000003
DTO NAME AND ADDRESS	DTO Mumbai One Address line 1 Address line 2 Address line 3 Address line 4 Andaman & Nicobar Islands 400103

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
05-May-2008	1001065000033	20000031209978959989	21	Original	2	5	3850.00	3850.00	7700.00		Accepted in CRA

चित्र 29

15. ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एनपीएससीएएन अंशदान प्रस्तुतीकरण फार्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा. डीटीए / डीटीओ सीएसएफ के ब्यौरे देखने के उद्देश्य से नीचे दर्शाये गये रूप में अभिदाता अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म पर "View Hyperlink" को क्लिक करेगा. डीटीए / डीटीओ अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म अपलोड करेगा तथा उसका प्रिंट लेगा. अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म में डीटीए पंजीकरण संख्या, डीटीए पता, अंशदान महीना, ट्रांजैक्शन आईडी, बैंक में जमा की जाने वाली राशि आदि तथा डीटीए / डीटीओ को पावती जारी करने के लिए न्यासी बैंक के लिए एक प्रतिपर्ण निहित होंगे. यह फॉर्म अंशदान राशि जमा करते समय डीटीए / डीटीओ द्वारा न्यासी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा. यदि डीटीए / डीटीओ आरटीजीएस / एनईएफटी अनुदेश के माध्यम से निधियां अंतरित करना चाहता है तो उसे इस मैनुअल का अध्याय सात देखना चाहिए. डीटीए / डीटीओ अपने रिकॉर्ड के लिए एक अतिरिक्त प्रिंट लें. इस फार्म की फोटोप्रति नीचे दी गयी है :

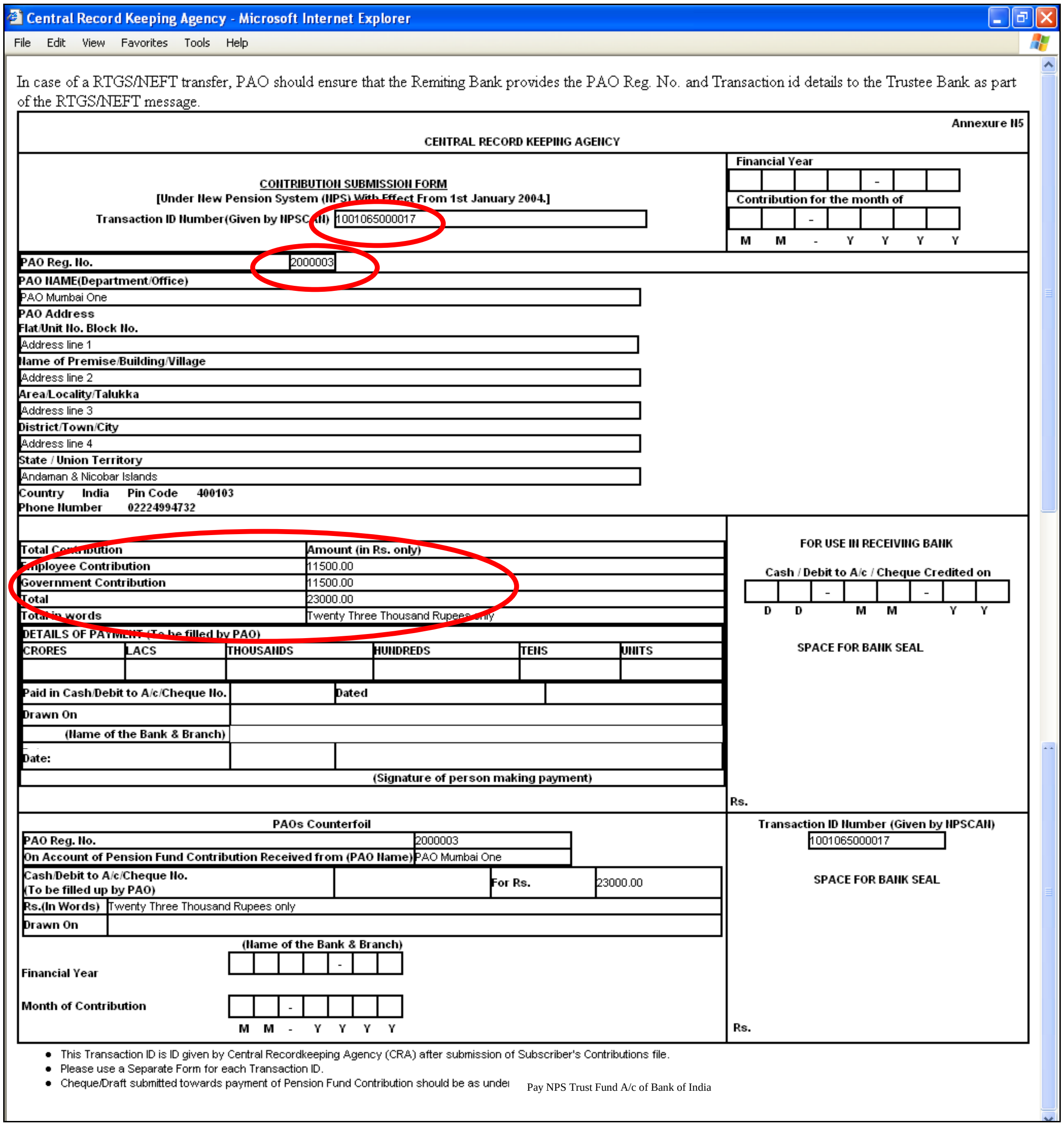

Central Record Keeping Agency - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

In case of a RTGS/NEFT transfer, PAO should ensure that the Remiting Bank provides the PAO Reg. No. and Transaction id details to the Trustee Bank as part of the RTGS/NEFT message.

Annexure N5

CENTRAL RECORD KEEPING AGENCY

CONTRIBUTION SUBMISSION FORM

[Under New Pension System (NPS) With Effect From 1st January 2004.]

Transaction ID Number(Given by NPSCAN) 1001065000017

Financial Year: _ _ _ _ - _ _ _ _

Contribution for the month of: M M - Y Y Y Y

PAO Reg. No.	2000003
PAO NAME(Department/Office)	PAO Mumbai One
PAO Address	
Flat/Unit No. Block No.	Address line 1
Name of Premise/Building/Village	Address line 2
Area/Locality/Talukka	Address line 3
District/Town/City	Address line 4
State / Union Territory	Andaman & Nicobar Islands
Country	India
Pin Code	400103
Phone Number	02224994732

Total Contribution	Amount (in Rs. only)
Employee Contribution	11500.00
Government Contribution	11500.00
Total	23000.00
Total in words	Twenty Three Thousand Rupees only

DETAILS OF PAYMENT (To be filled by PAO)

CRORES	LACS	THOUSANDS	HUNDREDS	TENS	UNITS

Paid in Cash/Debit to A/c/Cheque No.		Dated	
Drawn On			
(Name of the Bank & Branch)			
Date:			

(Signature of person making payment)

FOR USE IN RECEIVING BANK

Cash / Debit to A/c / Cheque Credited on: D D - M M - Y Y

SPACE FOR BANK SEAL

Rs.

PAOs Counterfoil

PAO Reg. No.	2000003
On Account of Pension Fund Contribution Received from (PAO Name)	PAO Mumbai One

Cash/Debit to A/c/Cheque No. (To be filled up by PAO)		For Rs.	23000.00
Rs.(In Words)	Twenty Three Thousand Rupees only		
Drawn On			

(Name of the Bank & Branch)

Financial Year: _ _ _ _ - _ _ _ _

Month of Contribution: M M - Y Y Y Y

Transaction ID Number (Given by NPSCAN) 1001065000017

SPACE FOR BANK SEAL

Rs.

- This Transaction ID is ID given by Central Recordkeeping Agency (CRA) after submission of Subscriber's Contributions file.
- Please use a Separate Form for each Transaction ID.
- Cheque/Draft submitted towards payment of Pension Fund Contribution should be as under Pay NPS Trust Fund A/c of Bank of India

चित्र 30

5.3 अर्ध केन्द्रीकृत मॉडल में एससीएफ का अपलोड :

अपलोड के अर्ध केन्द्रीकृत मॉडल के मामले में,एससीएफ डीटीओ द्वारा तैयार तथा अपलोड की जाएगी और समेकित निधियां डीटीए द्वारा अंतरित की जाएंगी. फाइल तैयार करने और उसे अपलोड करने के लिए डीटीओ द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत मॉडल के मामले की तरह ही होगी. इसके अलावा, न्यासी बैंक को निधियां

अंतरित करने का उत्तरदायित्व डीटीए पर होगा. डीटीए को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यकलाप करने होंगे :

5.2.1 सुपर ट्रांजैक्शन आईडी की उत्पत्ति

4. डीटीए आई-पिन का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन को लॉगइन करेगा.
5. प्रणाली में सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद डीटीए नीचे चित्र 31 में दर्शाये गये रूप में "Super Transaction ID" मेनु को सिलेक्ट करेगा तथा "Generate Super Transaction ID" ऑप्शन पर क्लिक करेगा.

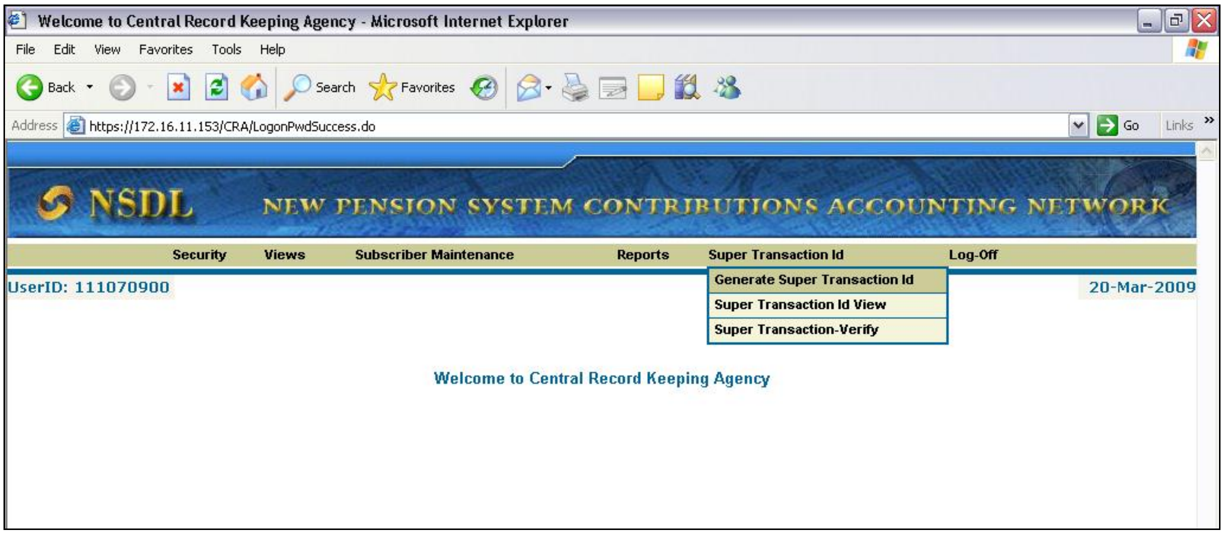

चित्र 31

6. "Super Transaction ID" ऑप्शन पर क्लिक करने पर प्रणाली मासिक एससीएफ अपलोड करने वाले सभी डीटीओज़ के लिए जनरेट किये गये सभी ट्रांजैक्शन आईडी प्रदर्शित करेगी. इस प्रकार प्रदर्शित ट्रांजैक्शन आईडी उन डीटीओ का होगा जिनकी वर्तमान में डीटीए से मैपिंग है. डीटीए नीचे दर्शाये गये रूप में संबंधित ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करेगा.

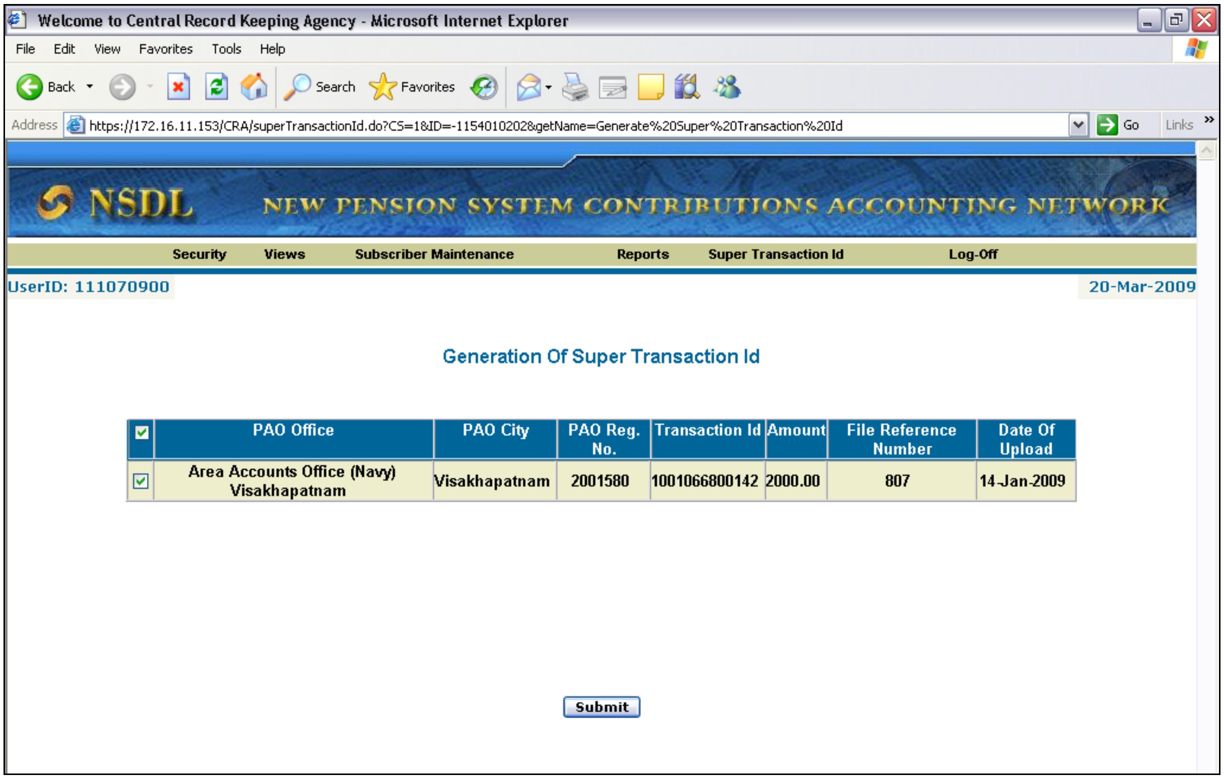

चित्र 32

4. अपेक्षित ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करने के बाद डीटीए को ऊपर दर्शाये गये "Submit" बटन पर क्लिक करना होगा. "Submit" बटन पर क्लिक करने पर सिस्टम नीचे दर्शाये गये रूप में एक "Super Transaction Id" जनरेट करेगा.

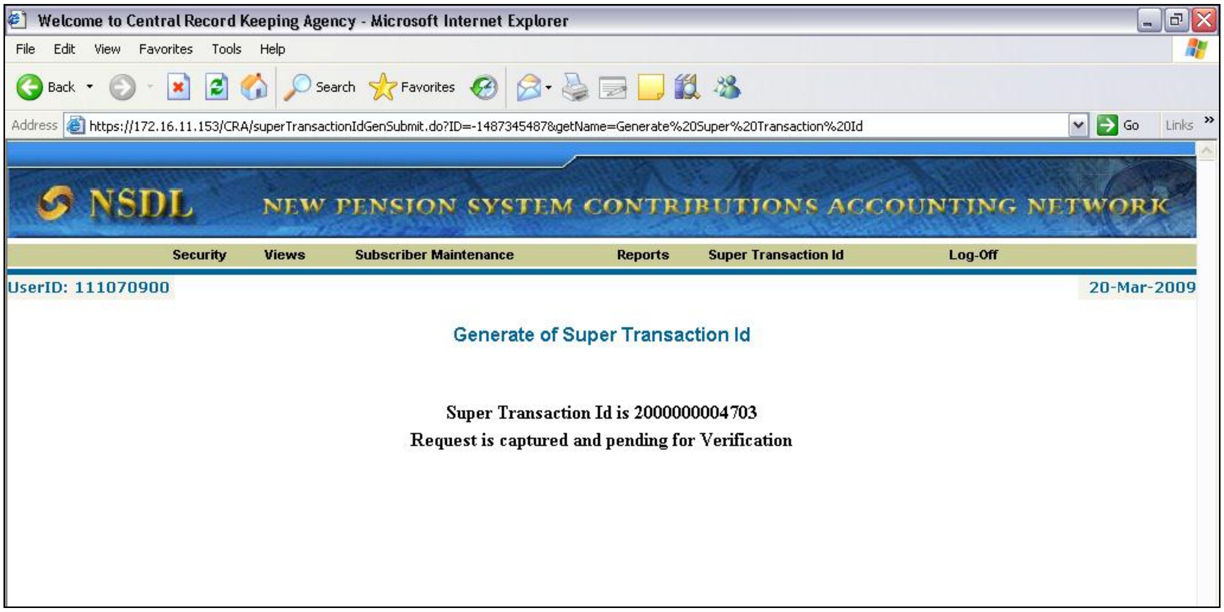

चित्र 33

5. जब सुपर ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाता है, इस ट्रांजैक्शन आईडी के जनरेशन का उसी डीटीए के एक अन्य यूजर द्वारा सत्यापन किया जाना चाहिए. सत्यापक यूजर सिस्टम को लॉगइन करेगा तथा “Super Transaction – Verify” ऑप्शन पर क्लिक करेगा जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

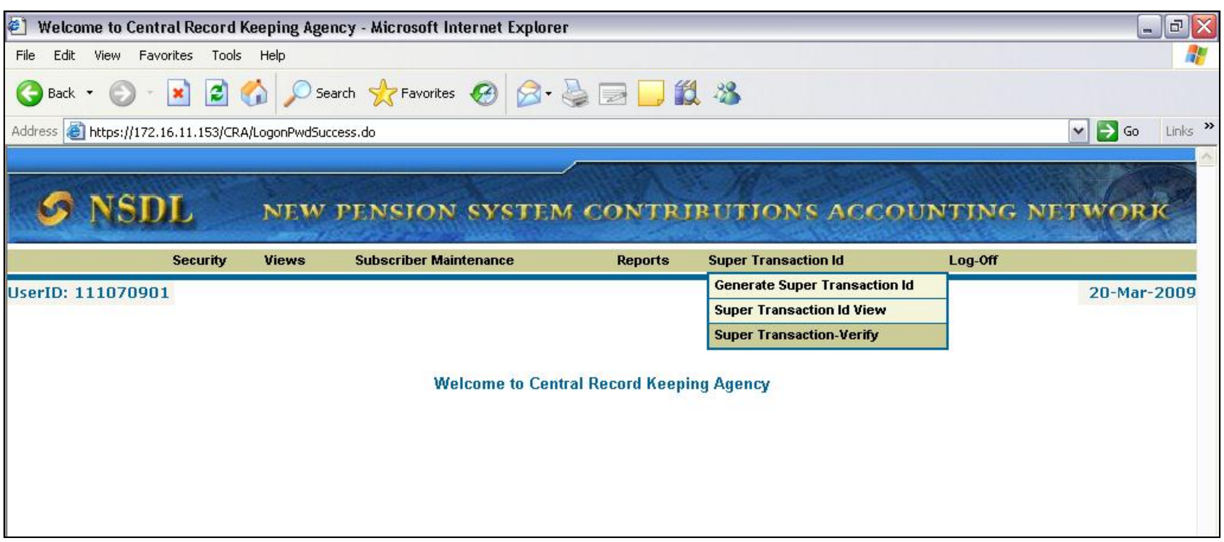

चित्र 34

6. जब उपर्युक्त ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सत्यापक यूजर को सत्यापित किये जाने वाले सुपर ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट करना होगा, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :

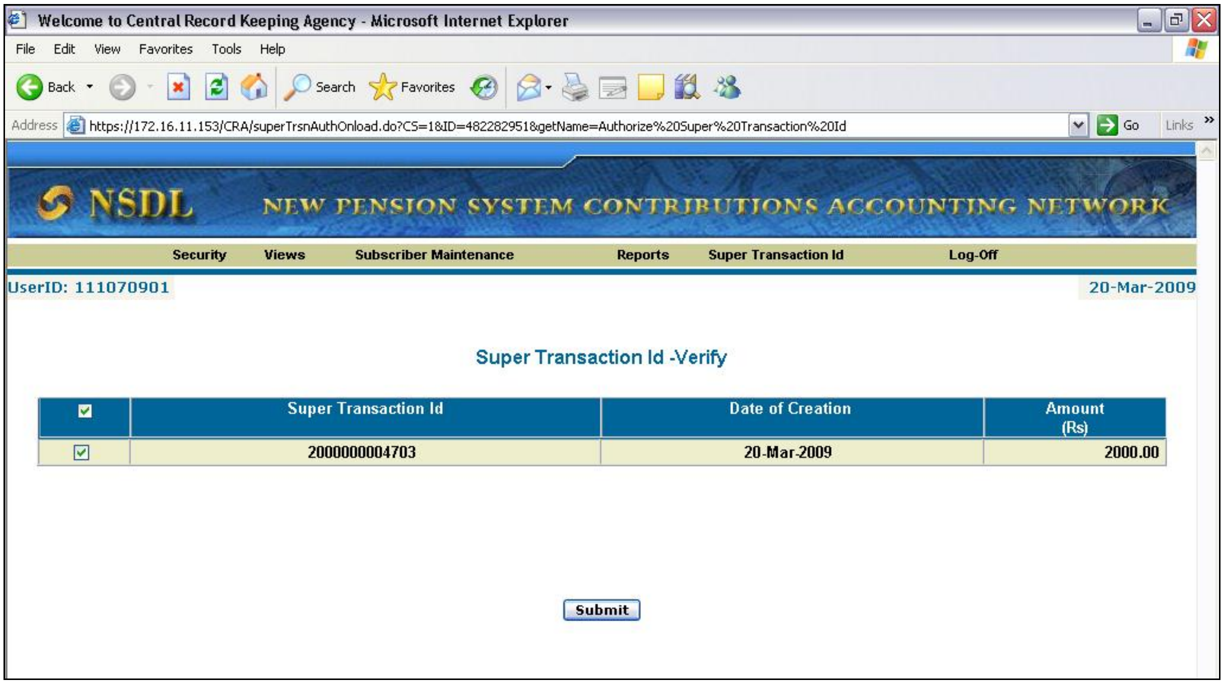

चित्र 35

7. सुपर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ सिस्टम अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा. सीएसएफ को देखने के लिए डीटीए को "Super Transaction Id View" को नैविगेट करना होगा. जब इस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सिस्टम नीचे दर्शाये गये रूप में सूचना प्रदर्शित करेगा:

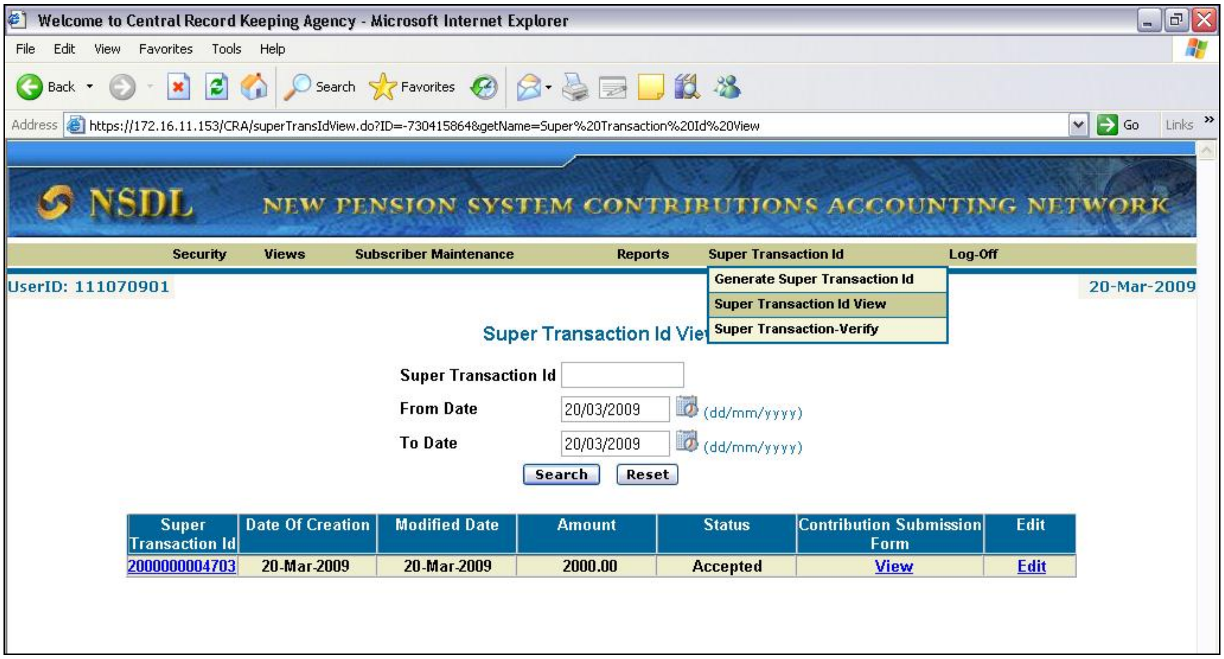

चित्र 36

8. सीएसएफ को देखने के लिए, यूजर को "Contribution Submission Form" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाये गये "View" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. जब इस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, सिस्टम ऊपर चित्र 30 में दर्शाये गये रूप में सीएसएफ जनरेट करेगा.

5. 3 एससीएफ को अस्वीकार करना

यदि फाइल वैधीकरण अवैध प्रैन, अवैध एफपीयू वर्सन, अवैध डीटीए /डीटीओ मैपिंग इत्यादि जैसे कारणों से सफल नहीं हुआ है, एनपीएससीएएन फाइल को फाइल को अस्वीकार कर देगा (फाइल की स्थिति "Rejected" के रूप में अद्यतन की जाएगी) और उसके लिए एक त्रुटि फाइल जनरेट करेगा जैसाकि **नीचे चित्र** में दर्शाया गया है. इस त्रुटि फाइल को एफआरएन देकर देखी जा सकती है / एनपीएससीएएन से डाउनलोड की जा सकती है. एनपीएससीएएन अस्वीकृत की गई ऐसी फाइलों के लिए ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं करेगा.

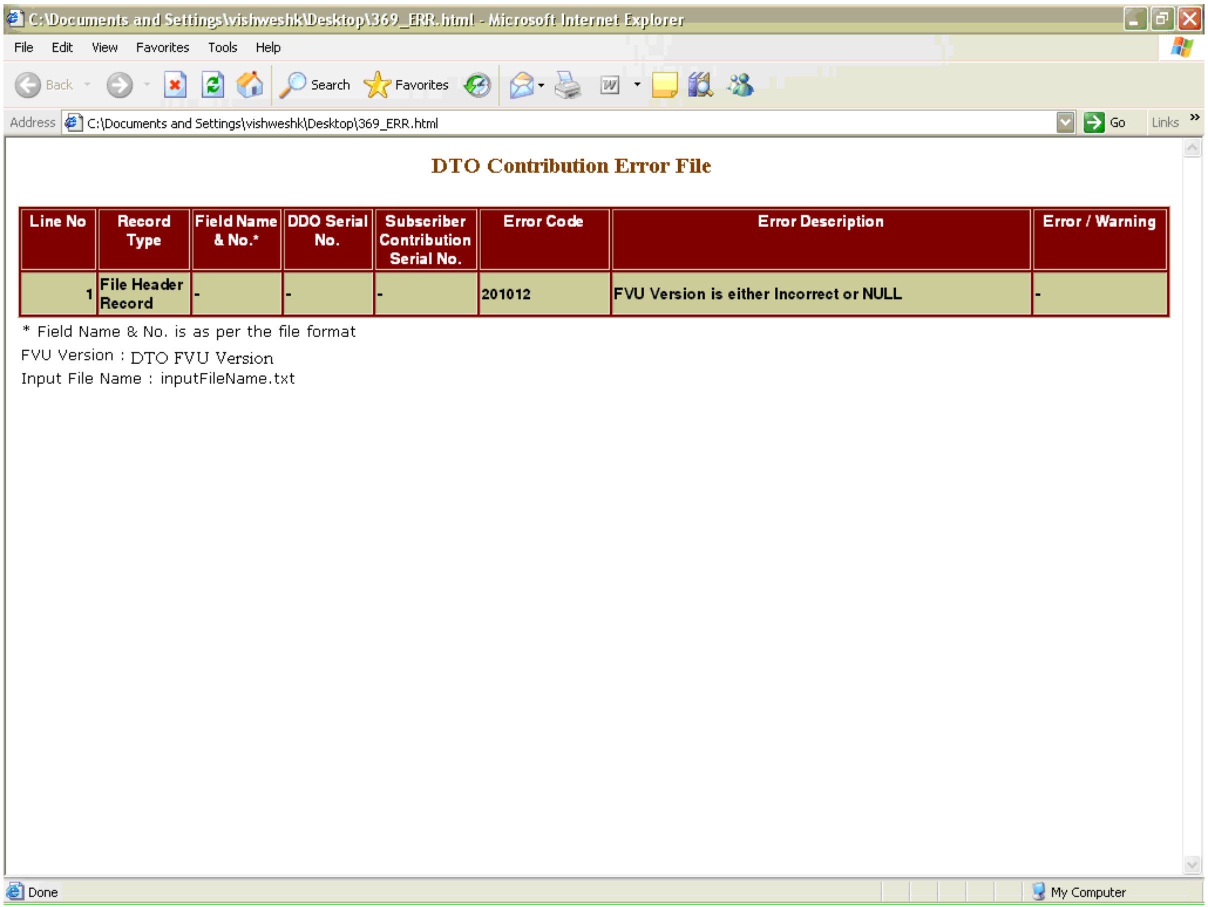

DTO Contribution Error File

Line No	Record Type	Field Name & No.*	DDO Serial No.	Subscriber Contribution Serial No.	Error Code	Error Description	Error / Warning
1	File Header Record	-	-	-	201012	FVU Version is either Incorrect or NULL	-

* Field Name & No. is as per the file format
FVU Version : DTO FVU Version
Input File Name : inputFileName.txt

चित्र 37

5.4 एससीएफ के लिए एनपीएससीएएन में वैधीकरण

एनपीएससीएएन निम्नविधित वैधीकरण करेगा. वैधीकरण के असफल होने के मामले में एनपीएससीएएन पूरी फाइल को अस्वीकार कर देगा और डीटीए / डीडीओ को त्रुटियां सुधारनी होंगी तथा एक नई फाइल अपलोड करनी होगी.

9. यदि अभिदाता का रेकॉर्ड एनपीएससीएएन में पहले से विद्यमान है, एक विशिष्ट महीने तथा 'Regular' प्रकार के अंशदान के लिए, अभिदाता अंशदान फाइल अस्वीकार कर दी जाएगी.

10. डुप्लीकेट फाइलें (एक ही बैच आईडी रखने वाली) एनपीएससीएएन में अस्वीकार कर दी जाएंगी.

11. यदि फाइल एफपीयू तथा एफवीयू के किसी पुराने वर्सन के माध्यम से तैयार तथा वैधीकृत की गई है तो एनपीएससीएएन फाइल को स्वीकार नहीं करेगा.

12. एनपीएससीएएन किसी वैध प्रैन के लिए अंशदान स्वीकार नहीं करेगा (भले ही उचित प्रैन-डीडीओ या प्रैन-डीटीओ मैपिंग विद्यमान न हो), बशर्ते उस प्रैन के लिए कोई वैध डीटीओ-डीटीओ मैपिंग विद्यमान हो.

13. एनपीएससीएएन उन मामलों के लिए विशिष्ट रिपोर्टें जनरेट करेगा जहां प्रैन-डीडीओ या प्रैन-डीटीओ मैपिंग विद्यमान है.

14. यदि अनुरोध (मृत्यु तथा त्यागपत्र) ऐसे अभिदाता के लिए पहले से ही स्वीकृति स्थिति में है जो एससीएफ का हिस्सा है, संपूर्ण एससीएफ अस्वीकार कर दी जाएगी. सेवानिवृत्ति के कारण आहरण के मामले में, एनपीएससीएएन उस समय एससीएफ के अपलोड को अस्वीकार कर देगा, यदि इसे आहरण अनुरोध के निष्पादन की तारीख से 15 दिन पूर्व अपलोड किया जाता है.

15. डीटीए / डीटीओ भावी संदर्भ के लिए एनपीएससीएएन में अपलोड की गई अंशदान फाइल का बैक-अप ले सकते हैं. फाइल में अभिदाता स्तर के ब्यौरे मध्यवर्ती फाइल (.fvu file) को खोलकर एफपीयू में ही देखे जा सकते हैं. अतएव डीटीए / डीटीओ को एनपीएससीएएन में अपलोड की गई सभी फाइलों (.fvu विस्तार से मुक्त) का बैक-अप लेना होगा.

16. यह नोट किया जाए कि ऊपर उल्लिखित सभी परिस्थितियों में, किसी एकल रेकॉर्ड में पाई गई त्रुटि के बावजूद संपूर्ण एससीएफ अस्वीकार कर दी जाएगी. अतएव डीटीए / डीडीओ को सुनिश्चित करना होगा कि नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार सुधारा जाए.

6.5. वैधीकरण पश्चात् परिदृश्य

7. एनपीएससीएएन प्रणाली में फाइल के स्वीकृत तथा वैधीकृत हो जाने के बाद, उसे सीआरए प्रणाली में भेजा जाएगा. सीआरए सिस्टम भी फॉर्मेट तथा बिजनेस स्तरीय वैधीकरण करेगा और फाइल को प्रोसेस करने से पूर्व फाइल में घाल-मेल (हैश) का सत्यापन करेगा. यदि वैधीकरण सफल हैं, तो सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति 'सीआरए में स्वीकृत' होगी. यदि वैधीकरण असफल रहता है तो सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति 'सीआरए में अस्वीकृत' होगी. सीआरए प्रणाली में फाइल की स्थिति यूजर के लाभ में लिए दोनों मामले में एनपीएससीएन प्रणाली को वापस सूचित की जाएगी.

8. यदि फाइल एनपीएससीएएन में स्वीकार की जाती है, किन्तु सीआरए में अस्वीकार की जाती है तो फाइल की स्थिति 'सीआरए में अस्वीकृत' रूप में अद्यतन की जाएगी. ऐसे मामले में, एनपीएससीएएन में फाइल के लिए जनरेट हुआ ट्रांजैक्शन आईडी वैध नहीं होगा और डीटीए / डीटीओ को ऐसे ट्रांजैक्शन आईडी के लिए करेक्शन फाइल अपलोड नहीं करनी चाहिए.

9. यदि फार्मेट या बिजनेस स्तरीय वैधीकरण असफल रहता है, एनपीएससीएएन प्रणाली "एनपीएससीएएन मे अस्वीकृत" रूप में फाइल की स्थिति को अद्यतन करेगा और एक त्रुटि फाइल जनरेट करेगा जो यूजर को डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी. इसके अलावा, अस्वीकृतियां सूचित करने के लिए डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल भी भेजा जाएगा.

10. ऐसी सभी फाइलों के लिए, जो एनपीएससीएएन या सीआरए में अस्वीकार कर दी गई हैं, डीटीए / डीटीओ को त्रुटियां सुधारना होगा तथा एक नई फाइल अपलोड करनी होगी.

11. सफलतापूर्वक अपलोड के बाद एनपीएससीएएन एक अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) भी जनरेट करेगा जिसका प्रिंट लेकर निधियो के अंतरण के साथ न्यासी बैंक को प्रस्तुत करना होगा.

12. दिवस टी को 17.30 बजे तक अपलोड की गई एससीएफ को टी+1 को सीआरए में निपटान प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा. बशर्ते न्यासी बैंक को निधियां अंतरित की गयी हैं और निधि पुष्टि रसीद उसके द्वारा सीआरए में अपलोड की गयी है.

सारांश

- **अपलोड की जाने वाली एससीएफ को एफवीयू का प्रयोग करते हुए सफलतापूर्वक वैधीकृत किया जाना चाहिए.**

- **डीटीए / डीटीओ यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करते हुए एनपीएससीएएन में एससीएफ को अपलोड करेंगे. इस प्रयोजन के लिए एनपीएससीएएन में निष्पादक-जॉचकर्ता (मेकर-चेकर) की आवश्यकता नहीं है.**

- दिवस टी को 17.30 बजे तक डीटीए / डीडीओ द्वारा अपलोड की गई सभी अभिदाता अंशदान फाइलों पर टी+1 को सीआरए मे निपटान प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा.

- सफलतापूर्वक अपलोड हो जाने पर एक फाइल संदर्भ संख्या जनरेट होगी और फाइल को स्वीकार करने पर एनपीएससीएएन द्वारा एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट किया जाएगा.

- फाइल के स्वीकार होने पर एक अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) जनरेट होगा जिसे प्रिंटकर निधियों के अंतरण पर न्यासी बैंक को दिया जाना चाहिए.

- डीटीए / डीटीओ को अभिदान अंशदान ब्यौरे के बारे में सीआरए को कोई समर्थनकारी दस्तावेज भेजने की जरुरत नहीं है. अभिदाता अंशदान को एनपीएससीएएन के जरिए डीटीए / डीटीओ द्वारा अपलोड की गई इलेक्ट्रॉनिक सूचना के आधार पर ही सीआरए द्वारा संसाधित किया जाएगा.

7. संशोधन फाइल

एनपीएससीएएन पहले अपलोड की गई किसी फाइल, जो एनपीएससीएएन तथा सीआरए प्रणाली द्वारा स्वीकार की गई है और जिसके लिए एनपीएससीएएन द्वारा ट्रांजैक्शन आईडी जारी किया गया है, के लिए डीटीओ को एक संशोधन (करेक्शन) फाइल अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है. जब डीटीए / डीटीओ किसी गलत आंकडे के कारण मूल फाइल में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे संशोधन फाइल अपलोड कर सकते हैं. यूजर कृपया नोट करें कि संशोधन फाइल सिर्फ ऐसी फाइल के लिए अपलोड की जा सकती है जो पहले से ही अपलोड और एनपीएससीएएन तथा सीआरए द्वारा स्वीकार की गई हो. यदि कोई फाइल एनपीएससीएएन तथा / या सीआरए द्वारा अस्वीकार की गई है तो यूजर को एक नई फाइल, न कि संशोधन फाइल, अपलोड करनी होगी. इसके अलावा, यदि मूल फाइल एनपीएससीएएन / सीआरए में मिलान तथा दर्ज की गई स्थिति में है, अर्थात् मूल फाइल सीआरए में या तो 'Accepted' या 'Match Failed' स्थिति में है तो यूजर संशोधन फाइल अपलोड नहीं कर सकता है.

6.1 संशोधन फाइल तैयार करने तथा वैध बनाने की प्रक्रिया

संशोधन फाइल तैयार करने के लिए यूजर को पहले अंशदान अपलोड का प्रकार 'Correction' के रूप में सिलेक्ट करना होगा तथा निर्दिष्ट फील्ड में ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख करना होगा. यूजर कृपया नोट करें कि अपलोड का प्रकार 'करेक्शन' होने के मामले में ट्रांजैक्शन आईडी अनिवार्य है. संशोधन फाइल नियमित फाइल की तरह ही तैयार तथा वैधीकृत की जानी होती है. यदि एक भी रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो यूजर को पूरी फाइल तैयार तथा अपलोड करनी होगी. यदि जिस मूल फाइल के लिए संशोधन फाइल अपलोड की जा रही है उस फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख नहीं किया गया है तो पूरी फाइल अस्वीकार कर दी जाएगी. यूजर को दिया गया व्यू नीचे चित्र में दर्शाये गये रूप में होगा.

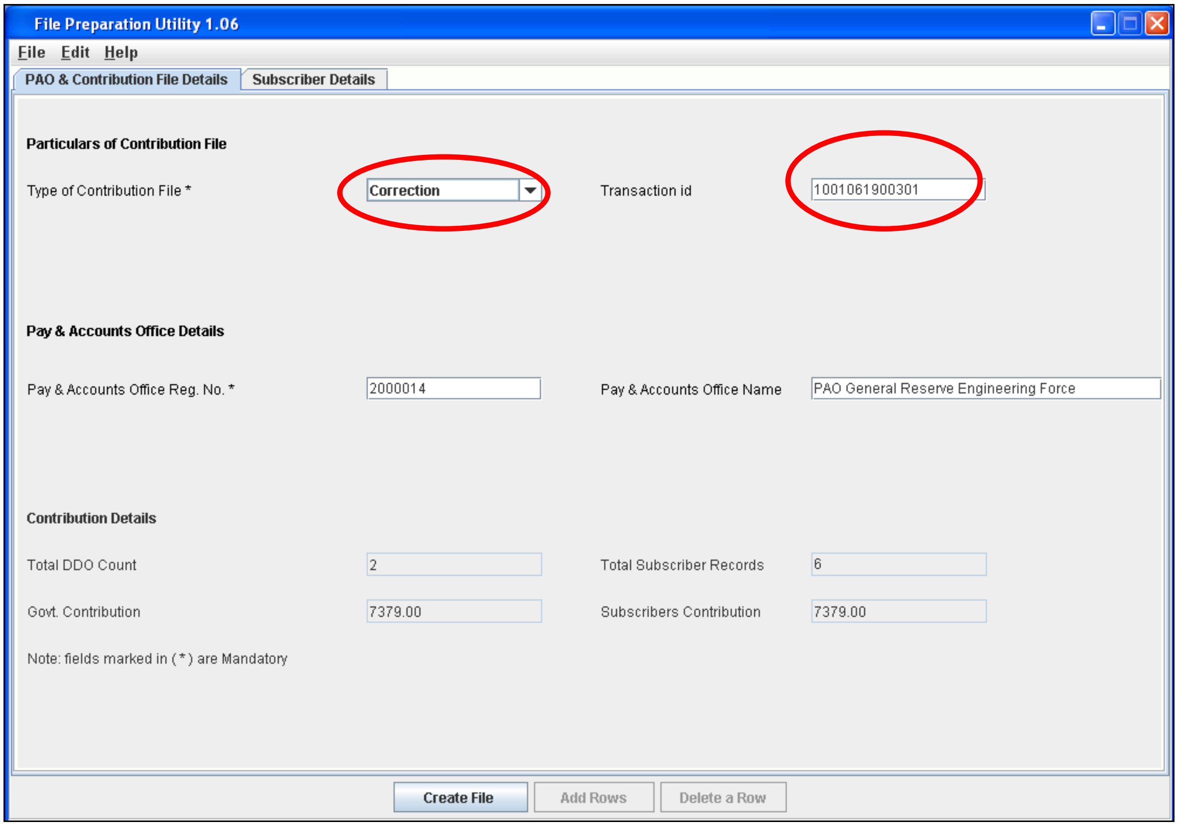

चित्र 38

6.2 संशोधन फाइल के अपलोड की प्रक्रिया

एनपीएससीएएन में संशोधन फाइल अपलोड करने के लिए यूजर को उसी प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा जो नियमित फाइल अपलोड करने के लिए अपनायी गयी थी. संशोधन फाइल अपलोड के मामले में, एनपीएससीएएन को निम्नलिखित वैधीकरण करना होगा :

8. संशोधन फाइल अपलोड के लिए, एनपीएससीएएन फाइल को दिये मूल ट्रांजेक्शन आईडी की विद्यमानता की जाँच करेगा. यदि यह प्रणाली में विद्यमान नहीं है तो एनपीएससीएएन संशोधन फाइल को अस्वीकार कर देगा.

9. एनपीएससीएएन मूल फाइल की स्थिति की जाँच करेगा. यदि मूल फाइल मिलान तथा दर्ज की गई स्थिति में है तो एनपीएससीएएन संशोधन फाइल को अस्वीकार कर देगा.

10. संशोधन फाइल के सफलतापूर्वक अपलोड के लिए कोई ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट नहीं होगा.

11. यदि संशोधन फाइल को सफलतापूर्वक संसाधित किया जाता है तो वह पूर्व फाइल को प्रातिस्थापित कर देगी जिसके लिए संशोधन फाइल अपलोड की गई है. पूर्व फाइल की स्थिति "Cancelled" में बदल जाएगी.

12. संशोधन फाइल की सफलतापूर्वक स्वीकृति पर, एनपीएससीएएन अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म जनरेट करेगा. यूजर इस फॉर्म को डाउनलोड करेगा तथा इसका प्रिंट लेगा और इसे अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक को प्रस्तुत करेगा.

13. मूल फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का प्रयोग फाइल खोजने के लिए किया जाएगा.

14. यदि संशोधन फाइल को एनपीएससीएएन प्रणाली में सफलतापूर्वक संसाधित किया जाता है तो एनपीएससीएएन इस संशोधन फाइल की स्थिति एनपीएससीएएन में "Accepted" रूप में अंकित करेगा जैसाकि नीचे चित्र में दर्शाया गया है और उसे सीआरए प्रणाली मे अद्यतन किया जाएगा.

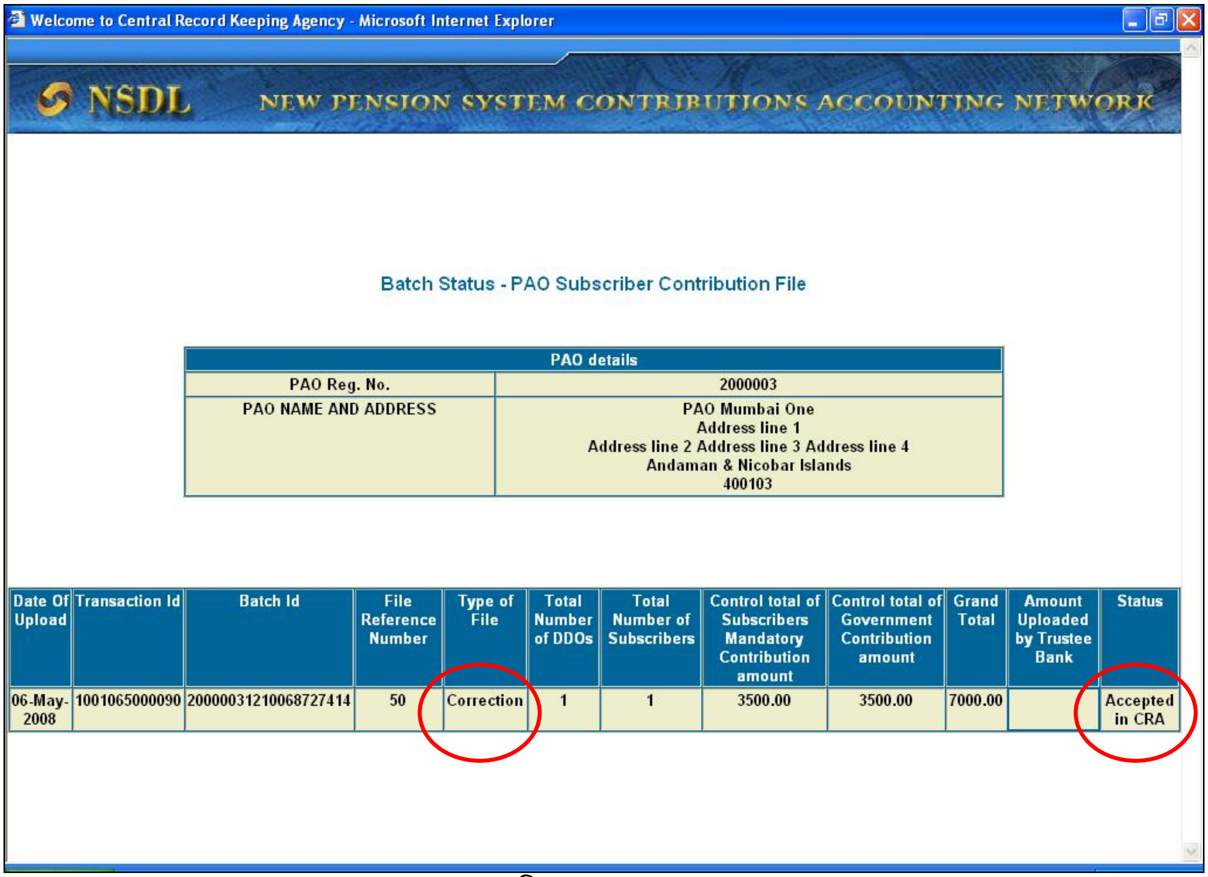

PAO details	
PAO Reg. No.	2000003
PAO NAME AND ADDRESS	PAO Mumbai One Address line 1 Address line 2 Address line 3 Address line 4 Andaman & Nicobar Islands 400103

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
06-May-2008	1001065000090	20000031210068727414	50	Correction	1	1	3500.00	3500.00	7000.00		Accepted in CRA

चित्र 39

सारांश

- यदि अपलोड की गई मूल फाइल, जिसे सीआरए द्वारा स्वीकार किया गया है, में कोई परिवर्तन किया जाना है तो संशोधन फाइल अपलोड की जा सकती है.
- डीटीए / डीटीओ को मूल फाइल के ट्रांजैक्शन आईडी का उल्लेख करना चाहिए.
- डीटीए / डीटीओ को यूजर आईडी तथा आई-पिन का प्रयोग करते हुए संशोधन फाइल अपलोड करनी चाहिए.

8. न्यासी बैंक को निधियो का अंतरण

7.3 न्यासी बैंक मे अंशदान राशि जमा करना (अपलोड का केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत मॉडल)

जब फाइल सफलतापूर्वक अपलोड कर ली गई है और एनपीएससीएएन से रसीद जनरेट हो गई है (सीएसएफ चित्र 30 में दर्शायी गई है), यूजर (डीटीए / डीटीओ) सीएसएफ का प्रिंट लेगा. डीटीए / डीटीओ सीएसएफ में उल्लिखित अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक में सीएसएफ प्रस्तुत करेगा. डीटीए / डीटीओ यूजर को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यासी बैंक को सीएसएफ प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित कार्यकलाप पूरे किये जाते हैं:

6. सीएसएफ प्रिंट की जानी चाहिए और संबंधित खाली फील्डों (अर्थात भुगतान ब्यौरे) डीटीए / डीटीओ (यूजर) द्वारा भरे जाएं. यूजर अपने रिकॉर्ड तथा भावी संदर्भ के लिए अतिरिक्त प्रति प्रिंट कर सकता है.

7. डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक के पास अंशदान राशि जमा करनी होगी. यदि भुगतान का ढंग चेक या डीडी के माध्यम से है तो डीटीए / डीटीओ को सीएसएफ में चेक / डीडी संख्या, चेक / डीडी की तारीख तथा बैंक की शाखा का नाम जहां से चेक / डीडी आहरित है, का उल्लेख करना होगा.

8. डीटीए / डीटीओ द्वारा जमा की गई राशि सीएसएफ में उल्लिखित राशि के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए. यदि डीटीए / डीटीओ गलत राशि जमा करता है तो एससीएफ की स्थिति का मिलान नहीं हो पाएगा.

9. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना होगा कि न्यासी बैंक द्वारा पावती के रूप में दिये गये सीएसएफ के प्रतिपूर्ण को उसके रिकॉर्ड प्रयोजन के लिए तथा किसी विसंगति के मामले में भावी संदर्भ के लिए रखा जाना चाहिए.

10. यदि निधि पुष्टि फाइल टी+3 दिनों (टी एनपीएससीएएन में अपलोड करने का दिन है) के भीतर न्यासी बैंक द्वारा अपलोड नहीं की जाती है तो सीआरए प्रणाली से डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल एलर्ट भेजा जाएगा. एलर्ट के प्राप्त होने पर डीटीए / डीटीओ निधि पुष्टि फाइल अपलोड करने के लिए न्यासी बैंक से संपर्क करेगा

7.4 <u>न्यासी बैंक में अंशदान राशि जमा करना (अर्ध - केन्द्रीकृत मॉडल)</u>

जब फाइल सफलतापूर्वक आपलोड कर ली गई है और एनपीएससीएएन में रसीद जनरेट हो गई है. (सीएसएफ चित्र 30 में दर्शायी गयी है), डीटीए यूजर सीएसएफ का एक प्रिंट लेगा. डीटीए सीएसएफ में उल्लिखित अंशदान राशि के साथ न्यासी बैंक को सीएसएफ प्रस्तुत करेगा. इस मामले में सीएसएफ में ऊपर चित्र 30 में दर्शाये गये सभी विवरण निहित होंगे. इस सीएसएफ में एकमात्र अंतर यह होगा कि ट्रांजैक्शन आईडी के बजाय सुपर ट्रांजैक्शन आईडी प्रदर्शित होगा. इसके बाद डीटीए को न्यासी बैंक को समेकित राशि अंतरित करनी होगी. ऐसे मामलो में न्यासी बैंक को जाने वाली सूचना में डीटीए पंजीकरण संख्या, सुपर ट्रांजैक्शन आईडी तथा अंतरित राशि शामिल होगी, न्यासी बैंक को डीटीओ द्वारा अपलोड की गई फाइलों के लिए एनपीएससीएएन द्वारा जनरेट किये गये अन्तर्निहित ट्रांजैक्शन आईडी के बारे में सूचित नहीं किया जाएगा.

9.3. इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी / आरटीजीएस) के माध्यम से निधियों का अंतरण

डीटीए / डीटीओ एनईएफटी / आरटीजीएस जैसी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सुविधाओं का प्रयोग करते हुए भी न्यासी बैंक को निधियां अंतरित कर सकता है.

निधियां अंतरित करते समय डीटीए / डीटीओ को प्रेषणकर्ता बैंक (जो एनईएफटी / आरटीजीएस अंतरण अनुदेश पर कार्रवाई शुरू करता है) की निम्ननिखित विवरण प्रदान करने चाहिए :

- एनपीएस न्यास खाता संख्या
- डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या
- ट्रांजैक्शन आईडी

आंतरित की जाने वाली राशि ऊपर उल्लिखित ट्रांजैक्शन आईडी के लिए एससीएम मे राशि के बराबर होनी चाहिए. डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रेषणकर्ता बैंक न्यासी बैंक को एनईएफटी / आरटीजीएस अनुदेश के साथ डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या, ट्रांजैक्शन आईडी के विवरण देता है. **यह सूचना आरटीजीएस अंतरण के लिए आरटीजीएस संदेश (आर-41) के फील्ड 7495 (प्रेषक से प्राप्तकर्ता सूचना, पंक्ति सख्या 4) में दी जानी चाहिए. एनईएफटी अंतरण के लिए यह सूचना एनईएफटी संदेश के फील्ड 7002 (प्रेषण. की उत्पत्ति) में दी जानी चाहिए.** उपर्युक्त सूचना के अभाव में, न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली में प्राप्त निधियों के विवरण अपलोड करने की स्थिति में नही होगा. ऐसे मामले में निवेश के लिए पीएफएम को अंतरित की जाने वाली धनराशि में भी विलम्ब हो जाएगा तथा अभिदाता के खाते में प्रविष्टि न्यासी बैंक को अंतरित निधियों के सही विवरण प्रस्तुत किये जाने के

बाद ही हो पाएगी. डीटीए / डीटीओ को अंशदान की स्थिति का पता लगाना चाहिए और यदि भुगतान विवरण सीआरए प्रणाली में दिखाई न दे रहे हों तो न्यासी बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए.

7.4 अंतरित अंशदान राशि की स्थिति का पता लगाना.

डीटीए / डीटीओ हाइपरलिंक पर क्लिक करके तथा एनपीएससीएएन से सीएसएफ को डाउनलोड करके विवरण देख सकता है. डीटीए /डीटीओ फाइल संदर्भ संख्या एंटर करके एनपीएससीएएन में अपलोड की गई फाइल की स्थिति देख सकता है. यदि न्यासी बैंक ने निधि प्राप्ति पुष्टि फाइल अपलोड की है और फाइल को मिलाया तथा दर्ज किया गया है तो फाइल की स्थिति नीचे दर्शाये गये रूप में होगी.

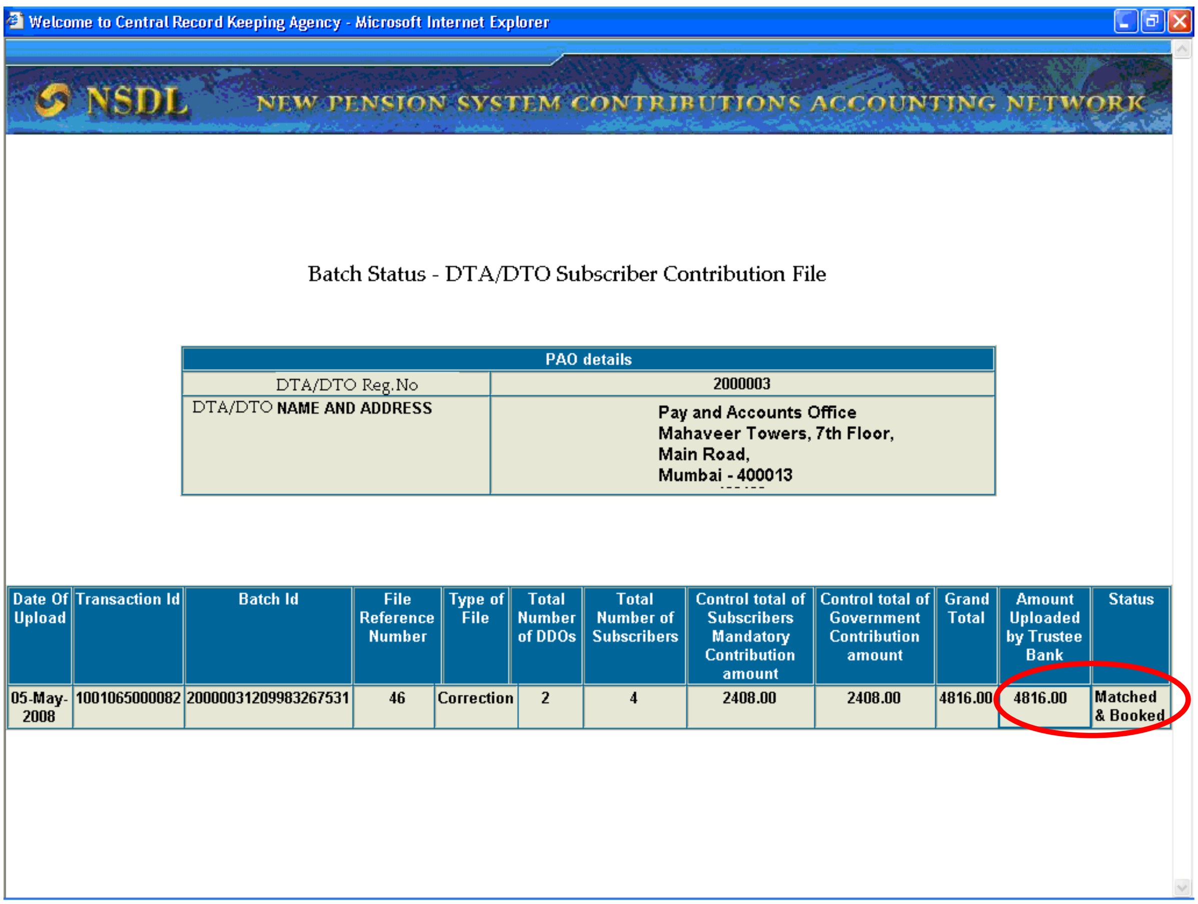

Date Of Upload	Transaction Id	Batch Id	File Reference Number	Type of File	Total Number of DDOs	Total Number of Subscribers	Control total of Subscribers Mandatory Contribution amount	Control total of Government Contribution amount	Grand Total	Amount Uploaded by Trustee Bank	Status
05-May-2008	1001065000082	20000031209983267531	46	Correction	2	4	2408.00	2408.00	4816.00	4816.00	Matched & Booked

चित्र 40

यदि फाइल मिलान विफल (Match Failed) स्थिति में है, जिसका व्यू "File Upload Status View" मे उपलब्ध है (जैसाकि चित्र 24 में दर्शाया गया है), तो डीटीए / डीडीओ को यह जांचना चाहिए कि क्या न्यासी बैंक को अंतरित राशि एससीफ में उल्लिखित

राशि से मेल खाती है. यदि अंतरित राशि वही है तो डीटीए / डीटीओ को विसंगति दूर करने के लिए न्यासी बैंक को सूचित करना चाहिए. इसके बाद न्यासी बैक संशोधित रिकॉर्डो से युक्त फाइल अपलोड करेगा.

सारांश

- **डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक में अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म के अनुसार कुल राशि जमा करनी चाहिए.**
- **यदि निधियां इलेक्ट्रॉनिक अंतरण जैसे एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित की जाती हैं, डीटीए / डीटीओ को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तक बैंक (डीटीए / डीटीओ का प्रामाणिक बैंक) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश में डीटीए / डीटीओ पंजीकरण संख्या तथा ट्रांजैक्शन आईडी दिया जाता है.**
- **यदि निधि पुष्टिकरण रसीद जमा के तीन दिन के भीतर न्यासी बैंक द्वारा अपलोड नहीं की जाती है तो डीटीए / डीटीओ को एक ई-मेल एलर्ट प्राप्त होगा.**
- **जहां एससीएफ की स्थिति एनपीएससीएएन में 'मिलान विफल' रूप में दर्शायी गयी है, वहां डीटीए / डीटीओ को न्यासी बैंक के साथ अनुवर्तन करना चाहिए.**

10. अनुवर्ती महीनों के लिए फाइल तैयार करना :

1) अगले महीने के लिए अभिदाता अंशदान फाइल (एससीएफ) तैयार करते समय डीटीए/ डीटीओ पिछली एससीएफ का प्रयोग कर सकते हैं और वेतन माह आदि जैसे आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं. डीटीए / डीटीओ का एससीएफ तैयार करने से पूर्व परिवर्तनों की निम्नलिखित निदर्शी सूची पर विचार करना चाहिए :

i) पदोन्नति
ii) किसी अभिदाता को वेतनवृद्धि
iii) किसी / सभी अभिदाताओं को बकाया राशि
iv) वेतन रहित छुट्टी
v) शामिल होने वाले नये अंशदाता
vi) अन्य डीटीए / डीटीओ से किसी मौजूदा अभिदाता का स्थानांतरण
vii) मौजूदा अभिदाता की सेवानिवृत्ति / अन्य डीटीए / डीटीओ को स्थानांतरण
viii) अभिदाता का त्यागपत्र

4) यदि उपर्युक्त कोई परिवर्तन नहीं है तो डीटीए / डीटीओ यूजर पिछले महीने के लिए तैयार की गई एससीएफ को पुन: खोलेगा और सिर्फ महीने तथा वर्ष के ब्यौरे संशोधित करेगा तथा मध्यवर्ती फाइल और ".FPU" का अलग नाम से सेव करेगा. यदि उपर्युक्त कोई परिदृश्य उत्पन्न होता है, डीटीए / डीटीओ यूजर को एससीएफ में प्रभाव / संशोधन को समाविष्ट करना होगा. इन परिदृश्यों से उत्पन्न होने वाले संशोधन निम्नलिखित हैं:

i) बकाये के मामले में, डीटीए / डीटीओ यूजर को "Remarks" कॉलम में टिप्पणियां उल्लिखित करनी होंगी और फाइल का प्रकार 'Arrears' के रूप में सिलेक्ट करना होगा.
ii) पदोन्नतियों / वेतनवृद्धियों / वेतन-रहित छुट्टी के मामले में, डीटीए / डीटीओ को अभिदाता तथा सरकारी अंशदान कॉलमों में राशि संशोधित करनी होगी.
iii) अंत:स्थानांतरण तथा बाह्य स्थानांतरण मामलों में, डीटीए / डीटीओ यूजर को मौजूदा फाइल में संबंधित कर्मचारी के सभी ब्यौरे शामिल करने चाहिए / उससे निकाल देने चाहिए और फाइल को अद्यतन करना चाहिए.
iv) सेवानिवृत्तियों / त्यागपत्रों के मामले में, डीटीए / डीटीओ यूजर को सुनिश्चित करना होगा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी विवरण निकाल दिये गये हैं.

<u>सारांश</u>

- डीटीए / डीटीओ चालू महीने की अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करने के लिए पिछले महीने की फाइल का प्रयोग कर सकते हैं.
- डीटीए / डीटीओ को पिछले महीने की फाइल में अंशदान-माह आदि जैसे आवश्यक परिवर्तन करने चाहिए.

11. कार्यकलापों का सारांश

1. डीटीए / डीटीओ द्वारा डीडीओ-वार, अभिदाता-वार अंशदान विवरण का समेकन.

2. एफपीयू के अद्यतन वर्सन का प्रयोग करते हुए फाइल तैयार करना.

10. एफवीयू के अद्यतन वर्सन के जरिए फाइल का वैधीकरण.

11. एनपीएससीएएन प्रणाली में वैधीकृत फाइल का अपलोड

12. अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म प्रिंट करना

13. न्यासी बैंक में अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म के साथ अंशदान राशि जमा करना.

14. एनपीएससीएएन प्रणाली में अपलोड की गईं फाइलों की स्थिति का पता लगाना.

15. यदि फाइलें एनपीएससीएएन में अस्वीकृत हैं या फाइलें मिलान विफल स्थिति में हैं तो संशोधन फाइलें अपलोड करना.

16. सीआरए प्रणाली से एलर्ट प्राप्त होने पर अंशदान प्रस्तुतीकरण फॉर्म (सीएसएफ) के प्रस्तुतीकरण के तीन दिन के भीतर एफआरसी के अपलोड नहीं किये जाने के मामले में न्यासी बैक के साथ समन्वय.

****